१७ वर्ष पूर्व जेल जाने से पहिले श्री० पण्डित जगतराम जी जो आज तक जेल ही में पड़े सड़ रहे हैं !

(आपका विस्तृत परिचय तथा हाल का लिया हुआ चित्र आदि अन्दर देखिए)

शीघ्रता कीजिए !
नहीं तो पछताना पड़ेगा !!
मूल्य लागत मात्र केवल ४) रु०
स्थायी ग्राहकों से केवल ३) रु०
व्यङ्ग-चित्रावली
यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा ; मनुष्यता की याद आने लगेगी ; और सामाजिक क्रान्ति की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नग्न प्रदर्शन किया गया है। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए। एकरङ्गे, दुरङ्गे, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अङ्कित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई। मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३)
स्मृति-कुञ्ज
नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों की आहुति कर सकता है—ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३) ; स्थायी ग्राहकों से २।)
मूर्खराज
यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़ूर हो जायगी। दुनिया के झञ्झटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी छटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी न छोड़ेंगे—यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २)
अपराधी
सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉल्सटॉय के "रिज़रेक्शन" विक्टर ह्यूगो के "लॉ मिज़रेबुल" इबसन के "डॉल्स हाउस" गोस्ट और ब्रियो का "डैमेज़्ड गुड्स" या "मेटरनिटी" के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !!
सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि, सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की धारा बह निकलती है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥।=)
☞ व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद—बृहस्पतिवार ; १६ जुलाई, १९३१ | संख्या ६, पूर्ण संख्या ४२

रायबरेली के किसानों पर गोलियाँ चलीं :: २ मरे ९ घायल !!

लाहौर के नए षड्यन्त्र केस में अभी ६०० सर्कारी गवाह पेश होंगे ?

देहली षड्यन्त्र केस में डॉक्टर किचलू प्रधान वकील नियुक्त हो गए

काश्मीर जेल पर धावा :: कानपुर में दिन-दहाड़े लूट :: तलाशियों में बन्दूकें और रिवॉल्वर बरामद

—मैमनसिंह का ११ वीं जुलाई का समाचार है कि १० वीं जुलाई को डॉ० बिपिनबिहारी सेन तथा यङ्गमेन्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी बाबू गोपालचन्द्र नियोगी और बाबू दक्षिणारञ्जन मित्र के मकानों की तलाशियाँ ली गईं। कहा जाता है, कि कोई सन्देहजनक वस्तु पुलिस को नहीं मिली।

—बम्बई १३ जुलाई—डॉ० अन्सारी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कार्यकारिणी की साम्प्रदायिक समस्या सम्बन्धी नई युक्ति के सम्बन्ध में प्रेस-प्रतिनिधि को अपना वक्तव्य देते हुए कहा है कि यह युक्ति सीमा-प्रान्त और बलूचिस्तान को भारत के अन्य प्रान्तों के समान शासन-प्रणाली प्रदान करने, सिन्ध के एक अलग प्रान्त बनाए जाने तथा प्रत्येक सम्प्रदाय को उसकी जन-संख्या के अनुसार मताधिकार देने के पक्ष में है। इस युक्ति में मुसलमानों की माँगों का सार आ गया है। इस युक्ति से पृथक निर्वाचन का दोष दूर हो जाता है और इससे मुसलमानों की दरिद्रता और अशिक्षा से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ भी दूर हो जायँगी। अब मुसलमानों के सामने दो रास्ते हैं—एक तो देशहित और जातिहित का और दूसरा पृथक निर्वाचन का ; वे दोनों में से कोई एक को चुन लें !

—पेशावर का १३वीं जुलाई का समाचार है कि वहाँ २४ लालकुर्ती वालों पर मामला चल रहा है। इनमें अज्जाखेल नामक गाँव के कुछ ओहदेदार भी शामिल हैं।

कहा जाता है कि एक पुलिस कॉन्स्टेबिल ने रात के समय एक सन्दिग्ध व्यक्ति को गिरफ़्तार किया और उसके पास से एक पिस्तौल, कुछ गोलियाँ तथा एक छुरा बरामद हुआ बतलाया जाता है। जब उक्त गाँव के लालकुर्ती वालों ने यह बात सुनी, तो उन लोगों ने उस व्यक्ति को छुड़ाने की कोशिश की। किन्तु कॉन्स्टेबिल के इन्कार करने पर वे दूसरे दिन इन्स्पेक्टर के पास पहुँचे और इन्स्पेक्टर के उस व्यक्ति को छोड़ने से इन्कार करने पर उन लोगों ने, कहा जाता है, उसे बलात् छुड़ा लिया। किन्तु पीछे वे सभी गिरफ़्तार कर लिए गए !

—पटने का १३वीं जुलाई का समाचार है कि दीनापुर में शेख़ वलीमुहम्मद नामक एक व्यक्ति के दो मकानों की तलाशी ली गई। इनमें से एक मकान में भगतसिंह नामक एक व्यक्ति तथा दूसरे में दुर्गा मिस्त्री तथा मुहम्मद यूसुफ़ नामक व्यक्ति रहते थे। भगतसिंह का सम्बन्ध हाल की बम-दुर्घटना से बतलाया जाता है। उसके पास से कुछ चिट्ठियाँ भी बरामद की गई हैं। दुर्गा मिस्त्री की दूकान से एक पँचनला रिवॉल्वर बरामद किया गया है। तलाशी के समय दुर्गा मिस्त्री के अनुपस्थित रहने के कारण यूसुफ़ गिरफ़्तार किया गया। किन्तु बाद को ज़मानत पर छोड़ दिया गया। मामले की जाँच हो रही है।

—श्रीनगर (काश्मीर) का १३वीं जुलाई का समाचार है कि आज मुसलमानों के एक दल ने श्रीनगर जेल पर धावा किया, जिससे पुलिस को बाध्य होकर गोली चलानी पड़ी, जिसके फल-स्वरूप ९ व्यक्ति मारे गए और अनेक घायल हुए।

—शिमले के १४वीं जुलाई के समाचारों से विदित होता है कि रायबरेली के डिप्टी कमिश्नर ने एसोसिएटेड प्रेस को इस आशय का एक तार भेजा है कि, एक रेवेन्यू अफ़सर मुस्तफ़ाबाद पुलिस सर्किल में जब जायदाद कुर्क़ करा रहा था, उसी समय किसी ने एक भारी मुँगरा उसके सिर पर दे मारा, जिसके फल-स्वरूप वह अफ़सर ज़मीन पर गिर पड़ा। जब पुलिस का दल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, तो कहा जाता है, लोगों ने उस पर भी आक्रमण किया, जिससे पुलिस को फ़ायर करना पड़ा। इस प्रकार पुलिस की गोलियों से ३ व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से दो की मृत्यु हो गई है। डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं घटनास्थल पर जाकर जाँच की है। परिस्थिति अब शान्त बताई जाती है।

—लाहौर का १४वीं जुलाई का समाचार है कि आज ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त भगतराम एक स्ट्रेचर पर पेश किए गए। ट्रिब्यूनल ने उन्हें अदालत में न लाने की आज्ञा दे दी है।

यह षड्यन्त्र केस ६ महीने से चल रहा है, किन्तु अब तक केवल १२९ गवाहों के बयान लिए जा सके हैं। अभी सरकार की ओर से ही केवल ६०० गवाहों का बयान होना बाक़ी है।

कहा जाता है कि एक मुसलमान साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने की चेष्टा करने के अपराध में गिरफ़्तार किया गया था, और जेल में ही उसका मामला चल रहा था। मुसलमानों के एक दल ने उसे छुड़ाने की नीयत से जेल पर धावा किया, जिससे पुलिस को बाध्य होकर गोली चलानी पड़ी। कहा जाता है कि जेल के टेलीफ़ोन का तार भी काट डाला गया था, जिससे आक्रमण की बात अधिकारियों के पास शीघ्र न पहुँच सके।

—नई दिल्ली का १४ वीं जुलाई का समाचार है कि आज डॉ० किचलू ने, जो श्री० आसफ़अली के हट जाने के कारण सफ़ाई-पक्ष के प्रधान वकील नियुक्त किए गए हैं, ट्रिब्यूनल से प्रार्थना की कि उन्हें इस मामले का अध्ययन करने के लिए समय दिया जाय। उन्होंने ट्रिब्यूनल से यह भी प्रार्थना की कि, हज़ारीलाल, जो दिल्ली षड्यन्त्र केस का एक फ़रार अभियुक्त बतलाया जाता है और जो पटने की बम-दुर्घटना के सम्बन्ध में गिरफ़्तार है, मामला चलाए जाने के लिए पटने से दिल्ली लाया जाय, और उसके आने तक मामला स्थगित रहे। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि यदि सरकार, हज़ारीलाल पर, पटना की बम-दुर्घटना के सम्बन्ध में एक पृथक अभियोग उपस्थित करना चाहती है, तब भी उसका मामला यहाँ से हटा लेने के लिए, उसे यहाँ लाया जाय। जब तक ऐसा न किया जायगा, तब तक इस मामले की कार्रवाही अनुचित होगी।

सरकारी वकील के प्रार्थना करने पर आज कैलाश-पति का बाक़ी बयान पढ़ा गया, जिसका विस्तृत विवरण 'भविष्य' के आगामी अङ्क में पाठकों को सदा की भाँति मिलेगा।

—कानपूर का १४ वीं जुलाई का समाचार है कि करमशेर ख़ाँ नामक एक कोर्ट-प्यून, जब वह लगभग ६०० रुपए लेकर इम्पीरियल बैङ्क जा रहा था, उसी समय दो हथियारबन्द व्यक्तियों ने उस पर हमला किया, और रुपए लेकर चम्पत हो गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

—पटने का १४वीं जुलाई का समाचार है कि पुलिस ने दीनापुर के मुहम्मद इस्माइल नामक एक व्यक्ति के घर की तलाशी ली और दो बन्दूकें तथा कुछ गोलियाँ बरामद कीं। कहा जाता है कि उसके पास कोई लाइसेन्स नहीं था। वह ज़मानत पर छोड़ दिया गया है।

—सीतापुर का १४ वीं जुलाई का समाचार है कि श्री० सीताराम नामक एक स्वयंसेवक को स्थानीय ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट ने १ सप्ताह की सज़ा दी है।

—इधर कुछ दिनों से बाराबङ्की गिरफ़्तारियों का केन्द्र हो रहा है। विशेषकर वहाँ के किसान ही गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। लखनऊ की ६ठी जुलाई के समाचारों से विदित होता है कि भारतीय दण्ड-विधान की १०७वीं धारा के अनुसार गत सप्ताह में वहाँ फिर अनेक गिरफ़्तारियाँ हुई हैं।

बाराबङ्की की यह भी ख़बर है कि स्थानीय जेल में कुछ राजनैतिक क़ैदियों ने अनशन कर दिया है।

—गत ७वीं जुलाई को कलकत्ता हाईकोर्ट में एक विचित्र घटना हो गई। कहा जाता है कि एक मनुष्य, जो यूरोपियन ढङ्ग के पोशाक पहने था, लोगों की आँख बचा कर जस्टिस पियर्सन की बग़ल में जा बैठा। कहा जाता है कि उस समय जस्टिस पियर्सन चीफ़ जस्टिस के साथ फाँसी की एक अपील पर विचार कर रहे थे। एक अपरिचित व्यक्ति को इस प्रकार अनधिकार चेष्टा करते देख कर उन्होंने उसे रोका। पीछे अन्य लोगों ने वहाँ पहुँच कर उस व्यक्ति को बलात् वहाँ से हटाया। वह व्यक्ति पागल बतलाया जाता है।

—गया का ८वीं जुलाई का समाचार है, कि मोहल्ला पक्के-कलाली में शराब की दूकानों पर धरना देते समय ६ स्वयंसेवक गिरफ़्तार किए गए। बाद में वे दो-दो सौ रुपए की ज़मानत पर छोड़ दिए गए।

यहाँ के दूकानदारों ने विदेशी वस्त्रों के लिए नया ऑर्डर न देने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए उनकी दुकानों पर से पिकेटिङ्ग हटा ली गई है।

—ज्वालापुर का ८वीं जुलाई का समाचार है, कि स्थानीय महाविद्यालय के श्री० मनपाल वर्मा, जो महाविद्यालय डेपूटेशन के साथ होशियारपुर (पञ्जाब) गए हुए थे, भारतीय दण्ड-विधान की धारा ३०२ (ख़ून) के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—कलकत्ते का ८वीं जुलाई का समाचार है, कि आज स्थानीय कॉरपोरेशन में श्री० दिनेश गुप्त की फाँसी के सम्बन्ध में एक शोक-प्रस्ताव पेश किया गया। कॉरपोरेशन के यूरोपियन सदस्य अनुपस्थित थे। यहूदी कौन्सिलर भी प्रस्ताव पढ़े जाते समय उठ कर बाहर चले गए। प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हो गया। कॉरपोरेशन का कार्य उस दिन बन्द रहा।

—अयोध्या का ८वीं जुलाई का समाचार है कि आज सवेरे श्री० रामगोपाल शरद, श्री० रामावतार, श्री० भट्टाचार्य और श्री० प्यारेलाल ३९२ धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए।

—दिल्ली का ८वीं जुलाई का समाचार है कि दिल्ली षड्यन्त्र केस का प्रधान मुख़बिर कैलाशपति ९वीं जुलाई को कानपूर लाया गया था। वह फिर दिल्ली भेज दिया गया है। कहा जाता है कि लगभग १ मास से कानपूर में एक नया षड्यन्त्र केस चलाने की तैयारी की जा रही है, और कैलाशपति इसी सम्बन्ध में वहाँ लाया गया था।

—पटने का ८वीं जुलाई का समाचार है कि गुरुप्रसाद चौधरी नामक एक व्यक्ति विद्रोहात्मक पर्चे बाँटने के अभियोग में १०८वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिया गया है।

खुफ़िया विभाग के इन्सपेक्टर का कहना है कि यह व्यक्ति अभियुक्त हज़ारीलाल को छुड़ाने के फ़िराक़ में था और स्वयं उसका सम्बन्ध भी उस बम-दुर्घटना के षड्यन्त्र से था। यह भी कहा गया है कि गुरुप्रसाद आधी रात के बाद इन्सपेक्टर के मकान के समीप पकड़ा गया था और उसने इन्सपेक्टर को धमकी भी दी थी।

कहा जाता है कि गुरुप्रसाद ने अपना एक वक्तव्य दिया था, जिसमें उसने बम दुर्घटना के षड्यन्त्र से अपना सम्बन्ध और हज़ारीलाल को छुड़ाने का प्रयत्न करने की बात को स्वीकार किया है। किन्तु कहा जाता है, कि फिर पीछे उसने कहा कि मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

ज़िला मैजिस्ट्रेट ने उसे ज़मानत पर छोड़ने से अस्वीकार कर दिया है।

सीमा-प्रान्त के गाँधी को नदी में डुबाने का षड्यन्त्र

हाल ही में पेशावर में गागमान नदी में ख़ुदाई ख़िदमतगारों की एक किश्ती डूब गई थी, जिससे कई लोगों की जानें गई थीं। अब पता चला है कि वास्तव में वह किश्ती कुछ षड्यन्त्रकारियों द्वारा डुबाई गई थी और यह भी कहा जाता है, कि उस षड्यन्त्र का उद्देश्य था, ख़ाँ अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ को डुबाना!! किन्तु सौभाग्यवश ख़ाँ साहब उस किश्ती पर सवार न थे। यह रहस्य खुल जाने से चारों ओर सनसनी फैली हुई है। षड्यन्त्रकारियों के सम्बन्ध में अभी कुछ पता नहीं चला है।

चीन और जापान ?

पेकिङ्ग ९वीं जुलाई—कोरिया की ख़बरों से पता चलता है कि कोरियन लोगों के एक दल ने सीयूल नामक स्थान में चीनी कौन्सुलेट पर आक्रमण किया और लगभग ५०० चीनियों को घायल किया। कौन्सल जेनरल भाग कर गवर्नर जेनरल के महल में चले गए हैं।

जापान और चीन में एक तो योंही मनमुटाव हो रहा है, इस घटना से बात और भी बढ़ जाने की आशङ्का की जाती है।

—मथुरा का ९वीं जुलाई का समाचार है, कि अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सदस्य तथा स्थानीय ज़िला कॉङ्ग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हकीम बृजलाल दण्ड-विधान की १०७वीं धारा के अनुसार आज गिरफ़्तार कर लिए गए।

इस ज़िले में दमन-चक्र ज़ोरों से जारी है। जनरल सेक्रेटरी भी उक्त धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—लाहौर का ९वीं जुलाई का समाचार है कि सरदार गोपालसिंह क़ौमी १२४-ए धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। आप हाल ही में अखिल भारतीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सदस्य चुने गए थे।

—कानपूर का एक समाचार है कि बिल्हौर तहसील के प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता श्री० कृष्णप्रसाद अग्नि जी, राजद्रोहात्मक भाषण देने के अभियोग में १०८वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—लाहौर का ९वीं जुलाई का समाचार है कि नवजवान भारत-सभा के अध्यक्ष श्री० जगदीशरतन जैन १०८वीं धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—लाहौर का ९वीं जुलाई का समाचार है कि नवजवान भारत-सभा के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री० रणधीरा १२४-ए धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं।

—लाहौर का १०वीं जुलाई का समाचार है कि पञ्जाब सरकार ने (१) १४वीं जून का उर्दू साप्ताहिक 'मज़दूर किसान' (२) 'Hanged at last' ("आख़िर लटका ही दिए गए") नामक एक चित्र (३) 'हरिकिशन की फाँसी' नामक एक उर्दू पैम्फ़लेट और "मन मोह लिया लँगोटी वाला हँस-हँस के" नामक एक उर्दू पैम्फ़लेट ज़ब्त कर लिए जाने की सूचना निकाली है!

—पटने की १०वीं जुलाई की ख़बरों से पता चलता है कि पुलीस ने हाल ही में वहाँ होने वाली बम-दुर्घटना के सम्बन्ध में अपनी जाँच समाप्त कर दी है। सम्भव है, इस महीने के आख़िरी सप्ताह तक मामला शुरू हो जाय।

कहा जाता है कि पुलीस को इस बात का पता लगा है कि इस बम-दुर्घटना का कङ्कर बाग़ के हत्याकाण्ड से भी सम्बन्ध है। पाठकों को याद होगा कि कङ्कर बाग़ में एक युवक गोली से मार डाला गया था। अब तक उस युवक की मृत्यु एक रहस्य ही थी।

—लाहौर का ११वीं जुलाई का समाचार है कि 'ज़मींदार' पत्र के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक चौधरी अब्दुल हक़ विदेश सम्बन्धी ऑर्डिनेन्स (Foreign ordinance) के अनुसार गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। कहा जाता है कि आपने अपने पत्र में अफ़ग़ानिस्तान सम्बन्धी कुछ लेख फिर प्रकाशित किए थे।

—शिमला की ११वीं जुलाई की ख़बरों से पता चलता है कि फ़ेडरल स्ट्रक्चर कमिटी तथा गोलमेज़ परिषद के लिए अतिरिक्त-सदस्यों की नामावली के सम्बन्ध में वॉयसरॉय मन्त्रि-मण्डल से बातचीत कर रहे हैं। ऐसी आशा की जाती है कि वॉयसरॉय और महात्मा जी की बातचीत के बाद अतिरिक्त-सदस्यों के नाम प्रकाशित कर दिए जायँगे।

—पूना का ११वीं जुलाई का समाचार है, कि २री बैटेलियन और ५वीं मरहट्टा लाईट इन्फ़ैण्टरी के अतिरिक्त, जिन्हें १४वीं जुलाई तक बर्मा के लिए रवाना हो जाने की आज्ञा दे दी गई है, १८वीं म्यूल ट्रॉन्सपोर्ट कम्पनी को भी १४वीं जुलाई को भेजे जाने की आज्ञा दे दी गई है।

—पेशावर का ११वीं जुलाई का समाचार है कि स्थानीय ज़िला मैजिस्ट्रेट ने ग्राण्ड ट्रङ्क रोड के उत्तर और दक्षिण ४ मील तक, दो महीने के लिए १४४वीं धारा जारी कर दी है, जिसमें न सभाएँ की जा सकें, और न जुलूस निकाले जा सकें।

—मद्रास ११वीं जुलाई। नागापट्टम का एक समाचार है कि स्थानीय पुलीस ने चित्रों की दो मुख्य दूकानों की तलाशियाँ लीं और कुछ चित्रों को आपत्तिजनक बता कर अपने साथ उठा ले गई।

बर्मा समाचार

९वीं जुलाई का एक समाचार है कि हेनज़ादा में २५ डकैतों पर हमला किया गया, जिनमें से ३ मारे गए। वहाँ कुछ हथियारबन्द डकैतों ने ४ डाके डाले हैं।

—रङ्गून १० जुलाई—शान रियासतों की ख़बरों से पता चलता है कि लॉकशॉक के सिपाहियों का एक दल, ७वीं जुलाई को बिला रोक-टोक के हपाकवाँ में पहुँचा और उसने विद्रोहियों के कैम्प और उनके क़िले को जला डाला।

प्रोम से ४ डकैतियों की ख़बरें आई हैं। कहा जाता है, कि डकैतों ने गाँव वालों को बुरी तरह घायल किया। घायलों में से एक की मृत्यु हो गई है। कहा जाता है १०००) रुपए का माल लूट कर डाकू चम्पत हो गए।

थारावड्डी और बेसीन में भी डकैतियाँ होने की ख़बरें आई हैं।

—रङ्गून ११ जुलाई—सरकार ने अतिरिक्त-पुलीस नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में आज्ञा दे दी है। यह अतिरिक्त-पुलीस प्रोम के पादाङ्ग और पॉकाङ्ग नामक स्थानों में तथा उन ज़िलों में, जहाँ की परिस्थिति अभी तक अशान्त है, रक्खी जायगी।

हेनज़ादा के ज़िला मैजिस्टेट ने १४४वीं धारा के अनुसार आज्ञा जारी की है, जिसके अनुसार रात में ४ से अधिक मनुष्यों के एकत्रित होने की मनाही की गई है।

म्यानॉङ्ग और हेनज़ादा सब-डिविज़नों में यह आज्ञा जारी की गई है कि वहाँ के लोग सूर्यास्त के बाद बिना रोशनी के घर से बाहर न निकलें। यह आज्ञा इस वर्ष के अन्त तक के लिए लागू है।

कहा जाता है कि ९वीं जुलाई को थारावड्डी के उत्तर-पूर्व एक गाँव में ४ डाकू घुस पड़े, और उन्होंने लोगों से रुपए और खाने-पीने की सामग्री आदि देने को कहा। कहा जाता है कि गाँव वालों ने उन पर हमला किया। दो डाकू मारे गए और दो भाग गए।

थायेटमेयो में ५० डाकुओं ने, जिनके पास ४० देशी बन्दूक़ थे, छठी जुलाई को ४ गाँवों पर धावा किया और वे कुछ रुपए लूट कर ले गए।

प्रोम में ३६ मनुष्यों ने गत दो दिनों के भीतर आत्म-समर्पण किया है।

शान-रियासतों की ख़बरों से मालूम होता है कि वहाँ करीब ४० विद्रोही अपनी सेना के साथ घेर लिए गए हैं। ६० अन्य विद्रोहियों को भी, जो छिपे हुए हैं, वश में लाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

कहा जाता है कि प्रोम के एक घने जङ्गल में पुलीस को विद्रोहियों के दो झोपड़े मिले। एक झोपड़े में तो कुछ कम्बल और खाने के कुछ पदार्थ रक्खे थे, और दूसरे में एक मनुष्य हथियार लिए बैठा था। यह मनुष्य मार डाला गया।

—रङ्गून के १३वीं जुलाई के समाचारों से पता चलता है कि अनेक स्थानों में लूट और हत्या अभी जारी है। कहा जाता है कि प्रोम में अब तक १०१९ विद्रोहियों ने आत्म-समर्पण किया है।

१४वीं जुलाई की एक ख़बर है कि पुलिस एसिस्टेण्ट कमाण्डेण्ट कैप्टेन एल० वी० डार्ट विद्रोहियों द्वारा घायल किए गए हैं। घटना का पूरा ब्योरा अभी नहीं मिला है। शान रियासतों में कुछ विद्रोहियों के गिरफ़्तार किए जाने की ख़बर मिली है।

शान रियासतों के सम्बन्ध में ताज़ी ख़बर यह है, कि मिलिटरी विद्रोहियों को ढूँढ़ने में लगी हुई है। विद्रोहियों के कुछ घायल आदमी तथा उनके कुछ बन्दूक़ पाए गए हैं, किन्तु विद्रोहियों के किसी बड़े दल से अभी मुठभेड़ नहीं हुई।

१३वीं जुलाई को रात्रि के समय इन्सीन की पुलिस के एसिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट ने, प्राम से २८ मील की दूरी पर एक मोटर लॉरी में जाते हुए १९ हथियार बन्द डकैतों को रोका। ४ डकैत मारे गए और ३ पकड़ लिया गया। कुछ हथियार भी पुलिस के हाथ लगे।

—बम्बई का ९वीं जुलाई का समाचार है, कि बर्मा के एकतावादी नेता श्री० मॉङ्ग म्यी ने सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट के पास निम्न-लिखित तार भेजा है :—

"अखिल बर्मा-सङ्घ-समिति की ओर से, शिमला में वॉयसरॉय से बातचीत करते हुए बर्मीज़ एसोसिएशन की जनरल कौन्सिल के रेवेरेण्ड यू० उत्तामा और यू० चित ह्लैङ्ग ने बर्मा के सम्बन्ध की अलग कॉन्फ़्रेन्स किए जाने का घोर विरोध किया है। बर्मा के प्रश्न पर विचार करने के लिए भारतीय गोलमेज़ परिषद की एक कमिटी नियुक्त की जानी चाहिए। इस कमिटी में एकतावादी सदस्यों की काफ़ी संख्या होनी चाहिए। अलग कॉन्फ़्रेन्स किए जाने का अर्थ यह है कि उन लोगों का—जो चाहते हैं कि बर्मा भारत से अलग हो जाय, और जो बहुत ही अल्प-संख्यक हैं—बोलबाला रहे। एकतावादी जनता उनके निर्णय को नहीं मानेगी।

इसलिए हमारा यह विचार है कि बर्मा के हित के लिए गोलमेज़ परिषद में १२ और सीटें बढ़ा दी जायँ। फ़ेडरल स्ट्रक्चर कमिटी में भी कम से कम २ एकतावादी सदस्यों को सीटें दी जायँ।

—पटने के ११ वीं जुलाई के समाचारों से विदित होता है कि वहाँ की बम-दुर्घटना के सम्बन्ध में अभी जाँच-पड़ताल की जा रही है। बाबू लक्ष्मीनारायण सिंह के यहाँ जो बही मिली थी, वह इस सन्देह पर कि शायद उसमें गुप्त लेखन-शैली में कुछ लिखा हुआ हो, जाँच के लिए कलकत्ता भेजी गई है।

ख़ुफ़िया विभाग के अफ़सरों का सन्देह है कि इस बम दुर्घटना का कङ्कड़-बाग़ हत्याकाण्ड से सम्बन्ध है। उनका यह भी अनुमान है कि सारे उत्तरी भारत में एक राजनैतिक षड्यन्त्र किया गया है और उसकी एक शाखा पटने में भी है, जिसका कि कङ्कड़ बाग़ का मृत युवक एक सदस्य था। उस युवक के पास कुछ पत्र भी पाए गए थे, जिनमें से कुछ के अन्त में 'सहस्त्र बार चुम्बन' ये शब्द लिखे थे। इससे यह अनुमान किया जाता है कि वह युवक अपने पथ से भ्रष्ट होना चाहता था, और इसीलिए वह मार डाला गया। श्री० चौबे और श्री० हज़ारीलाल के विरुद्ध चार्ज-शीट अभी नहीं तैयार किया गया है। अभियुक्त २१वीं जुलाई को सिटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जायँगे।

—मुन्शीगञ्ज (ढाका) का ११वीं जुलाई का समाचार है, कि ज्योतिभूषण नामक एक विद्यार्थी को, पुलिस ने आर्म्स एक्ट की १९-ए धारा के अनुसार गिरफ़्तार कर लिया है। कहा जाता है कि उसके पास २७ गोलियाँ पाई गई थीं। वह ५००) की ज़मानत पर छोड़ दिया गया है।

—शिमला का ११वीं जुलाई का समाचार है, कि स्थानीय पुलिस ने शिमला कॉङ्ग्रेस कमिटी के अध्यक्ष डॉ० एन० एल० वर्मा के मकान की तलाशी ली। कहा जाता है कि यह तलाशी 'चाँद' कार्यालय द्वारा मुद्रित 'भगतसिंह' नामक पुस्तक के सम्बन्ध में ली गई था, किन्तु पुस्तक नहीं मिली।

—ससराम (शाहाबाद) का १०वीं जुलाई का समाचार है कि ज़िले के प्रसिद्ध कॉङ्ग्रेस कार्यकर्त्ता तथा हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थी श्री० सरदार बुधन राय को, जिन पर कई मास से पिकेटिङ्ग के सम्बन्ध में मुक़दमा चल रहा था, तीन मास की कड़ी क़ैद की सज़ा सुनाई गई। श्री० बुधन राय हाल ही में चौदह मास की सज़ा काट कर पटना कैम्प जेल से छूटे थे।

—कानपूर का १३वीं जुलाई का समाचार है, कि दङ्गे के समय पुलिस अफ़सरों के व्यवहार के विरुद्ध जो शिकायतें की गई थीं, उनकी जाँच के लिए सरकार ने जो कमिटी नियुक्त की है, वह Circuit House में अपना कार्य करेगी, और उसकी कार्यवाही अत्यन्त गुप्त रहेगी। सर्वसाधारण या प्रेस-प्रतिनिधि किसी को भी वहाँ जाने की आज्ञा नहीं दी जायगी। इस प्रकार की गुप्त कार्यवाही के सम्बन्ध में सर्वसाधारण में बड़ा असन्तोष फैल रहा है।

—मथुरा का १३वीं जुलाई का समाचार है, कि आज श्री० भूपेन्द्रनाथ सान्याल का मामला, जो १२४-ए धारा के अनुसार अभियुक्त हैं, जेल ही में ज़िला मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ। अदालत ने श्री० सुभाषचन्द्र बोस, सरदार किशनसिंह और कुँवर आनन्दसिंह के पास, अभियुक्त की ओर से गवाही देने के लिए, समन भेजा है।

—पेशावर का १३वीं जुलाई का समाचार है कि स्थानीय ज़िला मैजिस्ट्रेट ने मरदान तहसील के ३ दूकान-दारों को गत १४वीं जनवरी को उनके बाराखड़ा में एक बम पाए जाने के अपराध में ७ से ९ वर्ष तक की कड़ी क़ैद की सज़ा दी है।

—सीतापुर का १४वीं जुलाई का समाचार है कि यहाँ ११वीं और १२वीं जुलाई को श्री० जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल के सभापतित्व में किसानों की दो सभाएँ हुईं। सभापति ने अपने भाषण में किसानों की कारुणिक दशा और अधिकारियों की दमन-नीति का वर्णन किया। श्री० मोहनलाल सक्सेना और श्रीमती बख़्शी के भी भाषण हुए।

* * *

(चौथे पृष्ठ का शेषांश)

जायगा और राष्ट्र का साम्प्रदायिक वातावरण ठीक हो जायगा।

इसके उपरान्त कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी-समिति ने स्पृश्य-निवारण के कार्य को करने के लिए, जो गत सत्याग्रह-संग्राम के समय एक प्रकार से बन्द सा हो गया था, सेठ जमनालाल बजाज को यह कार्य सौंपा कि वे इस कार्य को अपने हाथों में लें और आवश्यक योजना तैयार करें।

कराची कॉङ्ग्रेस में भारत से राष्ट्रीय ऋण (Public debt) के सम्बन्ध में जो एक सब कमिटी नियुक्त हुई थी उसने अथक परिश्रम के अनन्तर अपनी रिपोर्ट पेश की और कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने उसे स्वीकार करते हुए उस कमिटी के सदस्यों को धन्यवाद दिया। १२वीं जुलाई के सात बजे सायङ्काल समिति की बैठक समाप्त हुई। सभी नेता अपने-अपने स्थान के लिए रवाना हुए तथा महात्मा गाँधी सूरत के लिए। कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक ४थी और ५वीं अगस्त को बम्बई में होना निश्चित हुआ है।

* * *

कॉङ्ग्रेस कार्य-कारिणी समिति की ऐतिहासिक बैठक

पाठकों को पता होगा कि इस बार कॉङ्ग्रेस कार्य-कारिणी समिति की एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण बैठक में, जो बम्बई में एक सप्ताह तक होती रही और गत १२वीं जुलाई की सात बजे सन्ध्या को समाप्त हुई, सरकार द्वारा गाँधी-इर्विन समझौते भङ्ग होने की शिकायतें कई प्रान्तों से आई थीं। बङ्गाल, पञ्जाब, केरल, बिहार, संयुक्त-प्रान्त आदि सभी स्थानों के समझौते के स्पष्टतः भङ्ग होने की शिकायतें सप्रमाण आई थीं और इसी पर महात्मा गाँधी ने 'नवजीवन' में "समझौते की कड़ियाँ टूक-टूक हो रही हैं" शीर्षक सम्पादकीय लेख लिखा था। महात्मा जी ने वॉयसरॉय के पास उन शिकायतों का ज़िक्र करते हुए एक आवेदन पत्र भेजा था और एक पञ्चायत (Board of Arbitration) का कार्य कर समझौते की स्थिति के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल के लिए प्रार्थना की थी। यह विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि गृह-सचिव (Home Secretary) मि० ईमरसन को महात्मा जी के पास उक्त पत्र का उत्तर लिखते हुए पञ्चायत क़ायम करने में सरकार की असमर्थता प्रकट की है। उस पत्र में महात्मा गाँधी के गोलमेज़ में सम्मिलित होने की अपने निश्चय की भी सूचना दी थी, जिसके उत्तर में वॉयसरॉय ने महात्मा जी के इस निश्चय पर हर्ष प्रकट करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया है कि वॉयसरॉय महात्मा जी को आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार हैं। इस उत्तर के पाने के बाद महात्मा जी ने तार द्वारा वॉयसरॉय को कई प्रान्तीय एवं स्थानीय सरकार द्वारा सन्धि-भङ्ग की शिकायत और उसके सम्बन्ध में अपनी निजी कठिनाइयों की सूचना भेजी। केन्द्रीय सरकार ने बम्बई सरकार के द्वारा महात्मा गाँधी को १२वीं जुलाई की रात में व्यक्तिगत रूप में राजकीय पत्र भेजा। जिसके सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य एकमत हैं और समिति इस सम्वाद से सन्तुष्ट है! अब महात्मा जी का लन्दन गोलमेज़ में जाना निश्चित है। वे अभी वॉयसरॉय से व्यक्तिगत रूप में कई आवश्यकीय नियमों पर बातें करने के लिए शिमले के लिए रवाना हो चुके हैं। लन्दन जाने का समय अगस्त के पहले सप्ताह में है। और उसके पूर्व ४ और ५ अगस्त को बम्बई में अखिल भारतवर्षीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की बैठक होना निश्चित हुआ है। तथा ता० ६वीं अगस्त को कार्यकारिणी की अखिल भारत-वर्षीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की बैठक होगी।

कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी समिति की इस बैठक को हमने अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक इस हेतु कहा है कि इस बार देश के तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कमिटी ने अनुसन्धान कर अपनी निश्चित एवं सार-गर्भित राय दी! कमिटी ने समयानुकूल एवं परम आवश्यकीय विषय स्वयंसेवकों के सङ्गठन पर विशेष ध्यान देते हुए "हिन्दुस्तानी सेवादल" की सेवाओं पर हर्ष प्रकट करते हुए उसे कॉङ्ग्रेस का एक अङ्ग स्वीकार किया और नवयुवक-शिरोमणि पण्डित जवाहरलाल जी को उसका सेना-नायक (Commandere-in-Chief) तथा श्री० हार्डिकर को उसका (Organising Officer) नियुक्त करते हुए एक सब कमिटी क़ायम कर दी गई। "हिन्दुस्तानी सेवादल" के नियम उपनियम तैयार कर कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी समिति के सामने संशोधन सुधार आदि के लिए पेश करेगी।

भिन्न-भिन्न प्रान्तों से आई हुई समझौते के भङ्ग की शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यकारिणी की ओर से महात्मा जी ने वॉयसरॉय से लिखा-पढ़ी की और वॉयसरॉय से सन्तोषप्रद उत्तर पाकर १९वीं जुलाई को शिमले में उनसे मिल कर उसके सम्बन्ध में सविस्तार बातें करने का निश्चय कर लिया है। बाद का समाचार है कि महात्मा जी शिमले पहुँच चुके हैं।

अभी-अभी शिमले में राष्ट्रवादी मुसलमानों और सङ्कीर्ण सम्प्रदायवादी मुसलमानों में जो समझौते की चेष्टा की गई थी और उसके भङ्ग हो जाने के कारण देश के राष्ट्रीय वातावरण में एक प्रकार का क्षोभ, एवं अशान्ति फैल रही थी, अभी कॉङ्ग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इसके लिए भरपूर चेष्टा की और राष्ट्रीय मुसलमान के साथ ही साथ मौलाना शौकतअली साहब को भी आमन्त्रित किया गया। बड़ी देर तक बहसें होती रहीं और अन्त में एक सब कमिटी नियुक्त कर दी गई जो इसके सम्बन्ध में परामर्श पेश करे।

फूल या काँटा ?

कॉङ्ग्रेस की कार्य-कारिणी समिति ने निम्न लिखित स्कीम विचारार्थ पेश की है और आशा की है कि इस पर समझौता हो जायगा। स्कीम इस प्रकार है :—

(१) [क] मौलिक अधिकारों के विधान में सभी जातियों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, धार्मिक आचार-विचार, धार्मिक आचरण और जायदाद पर पूरा अधिकार रहेगा।

[ख] विधान में इसके लिए पूरा प्रबन्ध रहेगा कि व्यक्तिगत आधार और नियमों के लिए विशिष्ट ध्यान दिया जाय।

[ग] अल्प-संख्या वालों के राजनीतिक तथा अन्य सभी प्रकार के हक़ों की रक्षा का भार और दायित्व हमारे सङ्घ शासन (Federal Government) पर होगा।

मताधिकार

(२) सभी बालिग़ पुरुष और स्त्री को मताधिकार होगा।

प्रतिनिधित्व का आधार

(३) [क] भारत के भावी-शासन-विधान में संयुक्त निर्वाचन के आधार पर हो प्रतिनिधित्व की स्थापना होगी।

[ख] सिन्ध के हिन्दुओं, आसाम के मुसलमानों, पञ्जाब और सरहद के सिक्खों या अन्य किसी प्रान्त के हिन्दू या मुसलमानों के लिए जहाँ वे २५ प्रतिशत से भी कम हैं, जन-संख्या के आधार पर ही केन्द्रीय एवं प्रान्तीय कौन्सिलों में स्थान सुरक्षित रहेंगे और उससे अधिक स्थान के लिए भी प्रतिद्वन्द्व का अधिकार रहेगा।

नौकरियाँ

(४) नौकरियों के लिए एक ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन रहेगा जो किसी भी ख़ास पार्टी का न हो। उसके ज़िम्मे यह भी काम रहेगा कि जन-सेवा के लिए आवश्यक गुण और योग्यता की जाँच कर तथा सभी जाति के व्यक्तियों को साधारणतः जन-सेवा का अवसर प्रदान करते हुए नियुक्ति किया करे।

मन्त्रि-मण्डल

(५) मन्त्रि-मण्डल में अल्प संख्यकों के अधिकार को स्वभावतः परिपाटी के अनुसार स्वीकार किया जायगा।

(६) उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा बलूचिस्तान को भी उसी प्रकार का शासन-विधान होगा जैसे दूसरे प्रान्तों में है।

(७) यदि सिन्ध के निवासी अलग होने का ख़र्च सँभाल सकें तो सिन्ध को अलग कर दिया जाय।

(८) देश का भावी शासन सङ्घ-शासन होगा।

इस स्कीम से, आशा की जाती है कि राष्ट्रीय मुसलमानों और सम्प्रदायवादियों में समझौता हो

(शेष मैटर तीसरे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

'सरदार भगतसिंह' का मामला

ज़िला मैजिस्ट्रेट के सामने श्री० सान्याल का शानदार वक्तव्य

११वीं जुलाई का स्थानीय समाचार है कि आज उस मामले के सम्बन्ध में गवाहियाँ ली गईं, जिसमें श्री० यतीन्द्रनाथ सान्याल और श्री० त्रिवेणीप्रसाद सम्पादक 'चाँद' और 'भविष्य' पर 'सरदार भगतसिंह' नामक पुस्तक के प्रकाशन के सम्बन्ध में १२४-ए धारा के अनुसार राजद्रोह का अभियोग लगाया गया है।

अभियुक्तों की ओर से, युक्त प्रान्तीय धारा-सभा तथा सर्वेंयट्स ऑफ़ इण्डिया सोसायटी के भूतपूर्व सदस्य पं० वेङ्कटेशनारायण तिवारी, तथा एसेम्बली के भूतपूर्व सदस्य पं० कृष्णकान्त मालवीय से, जो सफ़ाई-पक्ष की ओर से गवाही देने आए थे, जिरह की गई।

अभियुक्तों की ओर के बैरिस्टर श्री० अखिलनाथ सान्याल के जिरह करने पर पं० वेङ्कटेशनारायण तिवारी ने कहा कि हाल ही में अभियुक्त सान्याल ने मुझे 'सरदार भगतसिंह' की एक प्रति दी थी, उसे मैंने पढ़ा था। इसका अनुवाद भी मैंने पढ़ा था, जो 'भविष्य' में निकला करता था।

अभियुक्तों के वकील—क्या आप इस पुस्तक में ऐसा कोई वाक्य-समूह पाते हैं, जिससे सरकार के प्रति घृणा फैलना सम्भव हो?

श्री० तिवारी जी ने कहा कि पुस्तक के पढ़ने पर ऐसा कोई भाव नहीं उत्पन्न होता है।

इसके बाद सफ़ाई-पक्ष के वकील ने गवाह का ध्यान पुस्तक के उस वाक्य-समूह की ओर आकर्षित किया, जिसमें कहा गया था—जेलों में राजनैतिक क़ैदी अन्य क़ैदियों से अलग रक्खे जाते हैं। वकील ने गवाह से पूछा कि, क्या वह अपने इस विचार का कारण बतला सकते हैं कि वह वाक्य-समूह सरकार के प्रति घृणा-भाव नहीं फैला सकता है?

गवाह ने कहा—उस वाक्य-समूह में जो कुछ भी कहा गया है, वह ७०,००० राजनैतिक क़ैदियों का अनुभव है, जो भद्र-अवज्ञा आन्दोलन के समय जेल भेजे गए थे, और इसी प्रकार के वक्तव्य भी प्रकाशित किए गए हैं। स्वयं मेरा भी ऐसा ही अनुभव है।

श्री० तिवारी जी ने आगे कहा कि जब पं० जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, उस समय मैं उनसे मिलने गया था। उस समय जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने कहा कि पं० जवाहरलाल नेहरू अपने बैरक से बाहर नहीं जा सकते हैं। वे वहाँ अकेले रक्खे गए हैं, और बैरक के बाहर घूमने का उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जब मैं स्वयं सज़ा पाकर जेल गया, तो पं० जवाहरलाल नेहरू से मुझे मालूम हुआ कि कुँवर महाराजसिंह (कमिश्नर) की आज्ञा से शाम और सुबह को उन्हें टहलने के लिए बाहर निकलने की आज्ञा दी गई है। जब पण्डित जी घूमने के लिए बाहर निकलते थे, तो उस समय अन्य सभी क़ैदी अपने सेलों में बन्द रहते थे, और जब तक पण्डित जी लौट कर बैरक में वापस नहीं आ जाते थे, तब तक अन्य क़ैदी सेलों से नहीं निकाले जाते थे।

मैजिस्ट्रेट ने पं० जवाहरलाल नेहरू सम्बन्धी बातों को अनुचित समझा और इसलिए उसे नोट नहीं किया।

इसके बाद सफ़ाई-पक्ष के वकील ने गवाह का ध्यान पुस्तक के उस वाक्य-समूह की ओर आकर्षित किया, जिसमें सरदार भगतसिंह को कोर्ट-रूम में मारने के सम्बन्ध का विवरण दिया गया था, और पूछा कि उक्त वाक्य-समूह सरकार के प्रति असन्तोष उत्पन्न करता है या नहीं?

श्री० तिवारी जी ने कहा कि इससे कुछ विशेष अफ़सरों को छोड़ कर, जो इस कार्य में शरीक थे, सरकार के प्रति असन्तोष का कोई भाव नहीं उत्पन्न होता है।

आगे सवाल करने पर गवाह ने कहा कि उक्त पुस्तक ऐसी भाषा और शैली में लिखी गई थी, जिससे सरकार के विरुद्ध कोई भाव नहीं उठता है। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में उसकी भाषा बेजान है और लिखने का ढङ्ग भी भद्दा सा है।

सरकारी वकील के जिरह करने पर श्री० तिवारी जी ने कहा कि साधारण स्थिति के मनुष्य की हैसियत से, १२४-ए धारा में आने वाले 'hatred,' 'contempt' और 'disaffection' शब्दों में मैं कोई अन्तर नहीं समझता। उन्होंने आगे यह स्वीकार किया कि 'discontent' और 'disaffection' में कोई अन्तर नहीं है।

सफ़ाई-पक्ष के वकील—क्या आप 'revolution' और 'revolutionary' शब्दों का अर्थ जानते हैं?

गवाह—हाँ!

वकील—किसी क्रान्ति में भाग लेने वाला मनुष्य क्या सरकार के विरुद्ध असन्तोष का भाव रखता है?

गवाह—यह कुछ आवश्यक नहीं है। वह सरकार के विरुद्ध असन्तोष का भाव रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है।

वकील—सरकार के प्रति असन्तोष को छोड़ कर ऐसा और कौन भाव है, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य क्रान्ति कर सकता है?

गवाह—उदाहरण-स्वरूप कोई व्यक्ति, सरकार के प्रति असन्तोष के भाव से नहीं, बल्कि सुधार-भाव से प्रेरित होकर क्रान्ति कर सकता है।

इसके बाद सरकारी वकील ने गवाह का ध्यान निम्न-लिखित वाक्य-समूह की ओर आकर्षित किया :—

"Henceforth his life was part of a story of the revolutionary movement in India and it now behoves us to give some account of this revolutionary organisation to which Bhagat Singh dedicated his heart and soul."

अर्थात्—"अब से इनका जीवन भारतीय क्रान्ति की कहानी का एक भाग बन गया, और हमें अब उस क्रान्तिकारी सङ्गठन का कुछ विवरण देना उचित है, जिसके लिए सरदार भगतसिंह ने अपना हृदय और अपनी आत्मा समर्पित कर दी थी।"

सरकारी वकील—क्या यह सत्य नहीं है कि पुस्तक का रचयिता सरदार भगतसिंह की प्रशंसा करता है, और उन्हें उदाहरण-स्वरूप अपने पाठकों के सम्मुख इस उद्देश्य से रखना चाहता है कि वे उनका अनुसरण करें।

गवाह—नहीं, ऐसा कोई भाव ज़ाहिर नहीं होता है।

इसके बाद अदालत ने गवाह से जिरह की। अदालत के यह पूछने पर कि समूची किताब को पढ़ कर क्या भाव उत्पन्न होता है, गवाह ने कहा—पुस्तक पढ़ते समय ऐसा कोई भाव मेरे हृदय में नहीं उत्पन्न हुआ, जिससे मालूम हो कि पाठकों के हृदय में इस पुस्तक से सरकार के विरुद्ध कोई भाव उत्पन्न होगा। बल्कि मेरे हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि इस पुस्तक से सरकार के प्रति साधारण जनता के हृदय में न तो कोई बुरा ही भाव उत्पन्न होगा और न अच्छा ही।

अदालत—इस पुस्तक को पढ़ कर लोग भगतसिंह को अच्छा समझेंगे या बुरा?

गवाह—भगतसिंह के सम्बन्ध में ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिनका प्रभाव पाठकों पर पड़ सकता है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि भगतसिंह सम्बन्धी सारी बातों की लोग प्रशंसा करेंगे।

आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा—इस पुस्तक को पढ़ कर लोग भगतसिंह को, उनके कार्य करने का मार्ग दूसरा होते हुए भी, अच्छा समझेंगे।

अदालत—क्या इस पुस्तक में सरदार भगतसिंह के विरुद्ध कुछ लिखा गया है?

गवाह—जहाँ तक मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, न तो भगतसिंह के पक्ष में ही कोई बात लिखी गई है और न उनके विरुद्ध ही कोई बात लिखी गई है।

अदालत—यदि पाठक भगतसिंह को अच्छा व्यक्ति समझें, तो क्या उनके मन में यह ख़्याल भी उत्पन्न होगा कि उन्हें सरदार भगतसिंह के समान बनना चाहिए?

गवाह—यह कुछ आवश्यक नहीं है। जनता पर पुस्तक का साधारण प्रभाव इस ढङ्ग का नहीं पड़ता है कि सरदार भगतसिंह का अनुकरण करने का भाव उनके हृदय में उत्पन्न हो।

आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा—पुस्तक का प्रभाव न तो भगतसिंह के मार्ग के पक्ष में ही पड़ सकता है और न उसके विपक्ष ही में।

पं० कृष्णकान्त मालवीय

अभियुक्तों की ओर के वकील के पूछने पर पं० कृष्णकान्त मालवीय ने कहा कि पढ़े गए वाक्य-समूहों में ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे सरकार के प्रति असन्तोष का भाव फैले।

एक दूसरे वाक्य-समूह को सुना कर वकील ने गवाह से पूछा—पुस्तक का रचयिता भगतसिंह को त्रासवादी के रूप में दिखलाना चाहता है या साम्यवादी के रूप में?

गवाह—साम्यवादी के रूप में।

आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा कि इस पुस्तक का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि लोगों ने इसके पहले भी समाचार-पत्रों में इन सब बातों को पढ़ लिया है।

जिरह किए जाने पर पं० मालवीय ने कहा—यह पुस्तक इतनी नम्र भाषा में लिखी गई है कि पाठकों के हृदय पर सरकार के विरुद्ध कोई भाव नहीं उत्पन्न हो सकता है।

सरकारी वकील—क्या आप जानते हैं कि भगतसिंह और सरकार एक-दूसरे के विरोधी थे?

गवाह—हाँ!

वकील—पुस्तक पढ़ कर, आप किनके साथ सहानुभूति करते हैं?

गवाह—जो कष्ट सहन करता है, स्वभावतः वही सहानुभूति के योग्य होता है। भगतसिंह ने दुख सहा था, इसलिए उन्हीं की ओर सहानुभूति भी उत्पन्न होती है।

दरख़्वास्त

सफ़ाई-पक्ष के वकील ने अभियुक्त श्री० सान्याल की ओर से एक दरख़्वास्त पेश की, जिसमें कहा गया था कि सरकारी वकील या तो यह स्वीकार करें कि पुस्तक में प्रकाशित वक्तव्य सच है, या सफ़ाई-पक्ष को यह साबित करने की आज्ञा दी जाय।

सरकारी वकील ने कहा कि यह मामला राजद्रोह का है, मानहानि का नहीं; इसलिए उन वक्तव्यों की सत्यता प्रमाणित करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त दण्ड-विधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके अनुसार मुझसे उन वक्तव्यों की सत्यता के सम्बन्ध में पूछा जा सके। इसलिए मैं न तो उन्हें असत्य ही कह सकता हूँ और न सत्य ही। किन्तु चूँकि सफ़ाई-पक्ष वाले उसे सत्य प्रमाणित करना चाहते हैं, तो यदि अदालत यह स्वीकार कर ले कि वे वक्तव्य सत्य हैं, तो मुझे कोई आपत्ति न होगी।

श्री० सान्याल ने आज अपना वक्तव्य पेश किया। आगामी शनिवार को बहस होगी।

श्री० सान्याल का वक्तव्य

श्री० यतीन्द्रनाथ सान्याल ने ज़िला मैजिस्ट्रेट की अदालत में अपना निम्न-लिखित वक्तव्य पेश किया :—

"मुझ पर सरदार भगतसिंह की जीवनी लिखने और प्रकाशित करने के कारण, भारतीय दण्ड-विधान की १२४-ए धारा के अनुसार राजद्रोह का अभियोग लगाया गया है। पुस्तक के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कहा गया है कि मैंने उक्त पुस्तक में, सरदार भगतसिंह तथा अन्य त्रासवादियों के कार्यों की प्रशंसा की है, तथा एसेम्बली-बम-केस में दिए गए सरदार भगतसिंह के वक्तव्य को बिना उसका प्रतिवाद किए, प्रकाशित किया है। किसी साधारण परिस्थिति में कोई भी राष्ट्रीय कार्यकर्ता इस धारा के अनुसार—जिसे महात्मा गाँधी ने 'भारतीय दण्ड-विधान की धाराओं की रानी' कह कर सम्मानित किया है—अभियुक्त होने में गर्व का अनुभव करता। जब कोई जाति उन्नति की ओर अग्रसर होती है, तब वह उस अवस्था से, जब कि उसको अपने शासन में कोई हाथ नहीं है, उस अवस्था को पहुँचना चाहती है, जब देश की सरकार और वहाँ की जाति में कोई अन्तर नहीं रह जाता। तब प्रत्येक देशभक्त शासन में परिवर्तन उपस्थित करने की चेष्टा करेगा और यही चेष्टा राजद्रोह समझी जाती है। मैंने दो कारणों से अपने को निर्दोष कहा है; पहला कारण तो यह है कि राजद्रोह फैलाने के उद्देश्य से मैंने यह किताब नहीं लिखी और दूसरा कारण यह है कि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि किताब में कोई विद्रोहात्मक बात नहीं है।

"सब से पहले मैं उन परिस्थितियों का वर्णन करूँगा, जिनसे प्रभावित होकर मैंने यह पुस्तिका लिखी है। मैं क़रीब डेढ़ वर्ष तक सरदार भगतसिंह के साथ रहा हूँ। मेरे साथ उनका जितना ही अधिक सम्पर्क होता गया, मेरे हृदय में उनके प्रति उतनी ही श्रद्धा उत्पन्न होती गई। जब मैं जेल से बाहर आया, मैंने देखा—जैसी कि मुझे आशा थी कि सरदार भगतसिंह की प्रशंसा करने वाले एक-दो नहीं, हज़ारों-लाखों की संख्या में हैं। किन्तु जब मैंने उनकी प्रशंसा करने वालों में से कुछ लोगों से पूछताछ की, तो पता लगा कि बहुत कम लोगों को सरदार भगतसिंह के सम्बन्ध में सच्चा ज्ञान है। साधारण जनता तो सिर्फ़ यही जानती थी कि सरदार भगतसिंह का, साॅण्डर्स हत्याकाण्ड और एसेम्बली बम-काण्ड, इन दो घटनाओं से ही सम्बन्ध है। किन्तु मैं जानता था कि सरदार भगतसिंह न तो त्रासवादी थे और न अराजकतावादी। अतएव अपने स्वर्गीय मित्र के प्रति कर्त्तव्य-पालन के उद्देश्य से मैंने उनका सच्चा और ऐतिहासिक चित्र चित्रित करने का विचार किया। इसमें मैं यह दिखाना चाहता था कि वे एक साम्यवादी और अन्तर्राष्ट्रीयतावादी थे और जनता उन्हें ग़लत समझे हुई थी। मुझे अपने इस प्रयत्न में सफलता मिली, जैसा कि 'पीपुल' की उक्त पुस्तक की आलोचना से स्पष्ट होता है, जिसकी एक प्रति अदालत के सामने पेश की गई है। यदि यह पुस्तक विद्रोहात्मक होती या इस प्रकार के कोई उद्देश्य से लिखी जाती, तो 'हिन्दुस्तान टाइम्स' जैसा प्रसिद्ध पत्र उसके सम्बन्ध में यह न लिखता कि मैंने इस पुस्तक को प्रकाशित कर सार्वजनिक सेवा की है। ('हिन्दुस्तान टाइम्स' की वह प्रति भी पेश की गई है।)

"पुस्तक के विषय के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि मैंने फिर उस पुस्तक को पढ़ा है, और मैं सत्यतापूर्वक कह सकता हूँ कि उसकी भाषा जनता के द्वारा कही गई या लिखी गई उक्तियों से कहीं अधिक नम्र और संयम है। जब मैं यह देखता हूँ कि स्वयं महात्मा गाँधी जी ने सरदार भगतसिंह की फाँसी को 'पाशविक शक्ति का प्रदर्शन' ठहराया था, सरदार पटेल ने सरदार भगतसिंह के मामले की कार्यवाही को अन्यायपूर्ण ठहराया था और जब मुझे कॉङ्ग्रेस के प्रस्ताव तथा नेताओं के वे भाषण स्मरण होते हैं, जो सरदार भगतसिंह-दिवस के अवसर पर दिए गए थे, तो मैं वास्तव में यह विश्वास करने लगता हूँ कि विनम्र और संयत होने के कारण ही मैं सरदार भगतसिंह की जीवनी को वास्तविक रङ्ग में नहीं रँग सका।

"फिर इस अभियोग को देखते हुए मुझे आश्चर्य होता है कि इस नम्रता और संयत-भाव का फल भी कितना विचित्र हुआ है! मैं यह अनुमान करने के लिए विवश किया जा रहा हूँ कि मुझ पर इसलिए मामला नहीं चलाया जा रहा है कि मैंने कुछ ऐसे वाक्य अपनी पुस्तक में लिखे हैं, जिन्हें खींच-तान कर विद्रोहात्मक बतलाया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि यह पुस्तक सरदार भगतसिंह की जीवनी है।

"मैं नहीं समझता कि उन वाक्यों के सम्बन्ध में, जिन्हें विद्रोहात्मक बताया जाता है, मुझे अपनी सफ़ाई देने की आवश्यकता है। उनके सम्बन्ध में मैं सब से पहली बात यही कहना चाहता हूँ कि वे सभी बातें, जो विद्रोहात्मक बतलाई जाती हैं—पूर्णतया सत्य हैं। दूसरी बात यह है, कि उन बातों का वर्णन विद्रोह फैलाने की नीयत से नहीं किया गया है, किन्तु उनका वर्णन इसलिए किया गया है, कि वे बातें, सरदार भगतसिंह की जीवनी को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक थीं। उनके बिना पुस्तक में अपूर्णता रह जाती।

"अन्त में मैं, एसेम्बली बम-केस में दिए गए सरदार भगतसिंह के वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सरदार भगतसिंह की जीवनी-सम्बन्धी कोई भी पुस्तक उनके पूरे वक्तव्य के बिना अपूर्ण रह जाती। इस वक्तव्य से सरदार भगतसिंह का आन्तरिक भाव प्रकट होता है, और इससे उनके कई कार्यों पर प्रकाश पड़ता है। यह कहना कि 'यह वक्तव्य राजद्रोह फैलाने के लिए ही प्रकाशित किया गया है' ग़लत है, क्योंकि यह वक्तव्य अब पुराना हो चुका है, और कोई नया उत्साह उत्पन्न करने की शक्ति अब इसमें नहीं रह गई है। यह वक्तव्य भारत के अनेक पत्रों में छप चुका है, जिनमें 'पायनियर' और 'सिविल एण्ड मिलिटरी गज़ेट' जैसे सरकार के हिमायती पत्र भी हैं। इसका अनुवाद भी देशी भाषाओं के अनेक पत्रों में छप चुका है। इसलिए, इतने दिनों के बाद इसे प्रकाशित करने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

"इस अभियोग के सम्बन्ध में कि मैंने सरदार भगतसिंह तथा अन्य त्रासवादियों के कार्यों को उचित ठहराया है; मैं ज़ोर देकर कहता हूँ कि मैंने इस प्रकार का कोई प्रयत्न अपनी पुस्तक में नहीं किया है। मैंने न तो उनके कार्यों की प्रशंसा की है और न निन्दा। क्योंकि मेरा यह विचार है कि ऐतिहासिक घटनाओं पर फ़ैसला करना, एक इतिहासकार के क्षेत्र के बाहर की बात है। केवल घटनाओं और सच्ची बातों का चित्रण करके ही मैं सन्तुष्ट हुआ हूँ। स्थान-स्थान पर मैंने कुछ विशेष घटनाओं के मानस-शास्त्र सम्बन्धी कारण तथा घटनाओं के कारण और उनका नतीजा दिखाने की चेष्टा की है।

* * *

आगामी युद्ध के लिए तैयार रहो!

गत ९वीं जुलाई को बिहार-रत्न, देश-पूज्य बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने बोरसद में भाषण देते हुए बड़े ही प्रभावशाली शब्दों में कहा था—"यदि यह क्षणिक सन्धि स्थायी शान्ति में परिवर्तित नहीं हो जाती, तो इसमें कॉङ्ग्रेस का कोई क़सूर नहीं होगा। कारण कि कॉङ्ग्रेस सन्धि की शर्तों को मन, वचन और कर्म से अक्षरशः पालन करने की कोशिश करती आ रही है। शान्तिपूर्ण वातावरण लाने के लिए कॉङ्ग्रेस सन्धि की सभी शर्तों को पूर्णतः पालन कर रही है और करती रहेगी। कॉङ्ग्रेस के आदमियों को सिर फुड़वाने या जेल जाने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, परन्तु जब इन कष्टों और गुलामी में एक को चुनने की बारी आती है तो उनके सामने दूसरा कुछ उपाय रह नहीं जाता, इसके सिवा कि वे हँसते-हँसते कष्टों का आलिङ्गन करें।

"यदि सरकार हमें युद्ध ही के लिए बाध्य करे तो हमें उसके लिए भी पूर्णतः तैयार रहना चाहिए। आने वाला युद्ध तो पिछले युद्ध से कहीं अधिक भयानक होगा!"

चम्पारन में महात्मा गाँधी जी की सेवाओं की चर्चा करते हुए राजेन्द्र बाबू ने कहा—महात्मा जी के कार्यों से उस समय तो कुछ प्रत्यक्ष लाभ दीख न पड़ा, परन्तु कुछ ही साल में निलहे गोरों को चम्पारन छोड़ ही देना पड़ा। उसी प्रकार स्वराज्य का युद्ध अभी हमें प्रत्यक्षशः सफलतापूर्ण न मालूम हो, परन्तु शीघ्र ही भावी युद्ध से स्वराज्य की शुभ-स्थापना होगी।

* * *

१६ जुलाई, सन् १९३१

भावी युद्ध और हमारी तैयारी

गुलामी का नशा बड़ा विचित्र होता है। इसकी बेहोशी में हम पतन के उस भयानक गड्ढर में गिर पड़ते हैं, जहाँ हमारा सर्वस्व सदा के लिए मिट जाता है, सूर्य की किरणें मयस्सर नहीं होतीं, प्रकाश की ओर देखने पर आँखें तिलमिला उठती हैं, सिर में चक्कर आने लगता है। उपर की ओर देखते नहीं बनता। धीरे-धीरे हम उस निविड़ अन्धकार को बर्दाश्त करते-करते उसी के आदी हो जाते हैं, उसी में हिल-मिल जाते हैं, बाहर की उजियाली दुनिया से नाता तोड़ लेते हैं, कड़ियाँ जकड़ जाती हैं, हृदय पर काई जम जाती है और आँखें पथरा जाती हैं। राष्ट्र का उज्ज्वल इतिहास अपनी दारुण 'इति' पर आकर ठिठक जाता है!

नैराश्य के उस घने अन्धकार में भी आशा का एक तन्तु पकड़ कर जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर्दा फाड़ कर आगे बढ़ने में सचेष्ट होते हैं, कड़ियों को छिन्न-भिन्न कर मुक्ति का सन्देश सुनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनका भी पथ इतना दुरूह, कण्टकाकीर्ण, सङ्कटापन्न एवं भयावह है, कि क़दम-क़दम पर मृत्यु के साथ खेलना पड़ता है, भीषण कष्ट एवं कठिनाइयों का मुक़ाबला पल-पल पर करना पड़ता है; अब फिसले तब फिसले; परन्तु फिर भी प्रभु के नाम पर आज़ादी का भूखा साधक अपने क्षीण प्रकाश और अखण्ड आत्म-विश्वास के साथ आगे बढ़ जाता है; सफलता का सेहरा उसके सिर पर बँधता है और सारा राष्ट्र उसके पीछे हो लेता है। उस समय देश की सोई हुई शक्तियाँ जग जाती हैं, उसकी मिटती हुई संस्कृति, मृत-प्राय स्वातन्त्र्य-पिपासा, कुचला हुआ आत्म-सम्मान फिर एक बार लहलहा उठता है।

देश में आज गत दस वर्षों से कितनी ही उथल-पुथल मची और अपना प्रभाव देश की राष्ट्रीयता पर छोड़ कर विलीन हो गई। गत असहयोग आन्दोलन में देश ने नवीन प्राण से अनुप्राणित होकर एक हुङ्कार छोड़ी थी। और उस हुङ्कार में राज्य-सिंहासन के पाए हिल उठे थे। परन्तु असहयोग आन्दोलन से भी बढ़ कर पिछले सत्याग्रह संग्राम में देश ने जो जौहर दिखलाए, वह तो अब एक विचित्र जादू सा मालूम होता है। राष्ट्र की आत्मा का जगा कर उसके अन्तःतन्तुओं में एक नवीन जीवन, एक नवीन शक्ति का ओज भरा गया। महात्मा गाँधी की वह ऐतिहासिक डण्डी-यात्रा राष्ट्र की स्वतन्त्रता के पथ में, सम्मिलित सामूहिक यात्रा थी। उधर महात्मा जी डण्डी की ओर अपनी सत्याग्रही सेना लेकर बढ़ रहे थे, इधर सारा देश उनके युद्ध-प्रवचनों, उनके मूक सङ्केत पर स्वतन्त्रता के पथ में बेतहाशा बढ़ता चला जाता था। कौन ऐसा सच्चा भारतीय उस समय होगा, जिसका हृदय इस सत्य और अहिंसा के युद्ध में सम्मिलित होने के लिए मचल नहीं पड़ा हो? उस समय देश की राष्ट्रीय पिपासा जगी और ख़ूब ही जगी। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक बस एक ही ध्वनि निकलती थी, "No more, no more under this thraldom" अर्थात्—"बहुत हुआ, यह ग़ुलामी अब न सही जायगी।"

संसार आश्चर्य-चकित हृदय से हमारी ओर निहार रहा था। राष्ट्र की अन्तरात्मा विक्षुब्ध होकर जाग उठी थी। देश की स्त्रियों और अबोध बच्चों ने सत्याग्रह संग्राम में अपने को झोंक दिया; अपनी जान की उन्हें तनिक भी परवाह न थी। ऐसा मालूम हो रहा था, मानो बम्बई से अङ्गरेज़ी राज्य अब उठा, तब उठा। गुजरात के किसान अपने 'देवता' के पीछे दीवाने बने हुए थे; वे उसके सङ्केत पर जीवन और मृत्यु के साथ खेल रहे थे; हिजरत और क्षुधा-पीड़ा में आत्म-विस्मृत, बेसुध किसान अपनी ही आँखों अपना सर्वस्व स्वाहा होते देख रहे थे और ज़बान भी हिलाना गुनाह समझते थे! लाठी और गोलियों की वर्षा एक साधारण सी घटना हो गई थी! सरहद के वे बाँकुरे पठान, जो ज़रा सा किसी के आँख दिखाने पर ज़िन्दा ही निगल जायँ, अहिंसा का कवच पहने चुपचाप सभी ज़ुल्म हँसते-हँसते सह रहे थे। बीहपुर अपनी रणभेरी अलग फूँक रहा था। सिन्ध से आसाम तक, कन्याकुमारी से हिमालय तक, सारा देश अपने एक मात्र सरदार महात्मा गाँधी के सङ्केत पर जा रहा था। तात्पर्य यह कि गत सत्याग्रह संग्राम में हमने दिखा दिया है कि हमारी शक्ति का अन्दाज़ा हमारे शत्रु लगा नहीं सकते और यदि हम सामूहिक रूप से पूर्ण अहिंसा के साथ जग खड़े हों, तो ब्रिटेन की कौन कहे, सारा संसार मिल कर भी हमारा मुक़ाबला नहीं कर सकता। युद्ध के लिए हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है, उसकी प्रतिक्रिया संसार में कोई शक्ति कर ही नहीं सकती! अहिंसा और सत्य के मुक़ाबले में उनका सारा अस्त्र, गोले-तोप, बन्दूक़, मैशीनगन आदि निरर्थक सिद्ध हो चुके हैं। हमें तो वार भी नहीं करने हैं; हमें तो चुपचाप उनके किए गए वारों को हँसते-हँसते सहना है; इधर हम पिटते हैं, उधर उनके साम्राज्य की नींव हिल रही है!

उस वीरतापूर्ण अभिनय का भला या बुरा जो कुछ हो, असामयिक पटाक्षेप हुआ। युद्ध बन्द हुआ, दोनों ओर की सेनाओं ने अपने-अपने अस्त्र कुछ काल के लिए रख दिए। शाही माफ़ी की शोहरत हुई; पर पहाड़ खोदने पर चुहिया निकली, इतनी भयङ्कर एक मर्मान्तक प्रसव-वेदना पर समझौता का एक सतवाँसा लड़का पैदा हुआ, वह भी बहुत दुबला-पतला, रोगी पिलपिलाहा। इसके जन्म के साथ ही यम का भी आगमन हो गया है और राहु तथा शनिश्चर का भयङ्कर प्रकोप बना हुआ है। बेचारा अब गया तब गया; दम घुँट रहे हैं, आख़िरी साँसें ले रहा है। हमारी सरकार और हम, दोनों ही समझौते की शर्तों को कौन किस हद तक मानते हैं, इसे दुनियाँ देख रही है। विगत सप्ताह के 'भविष्य' में इस विषय पर हमने काफ़ी प्रकाश डालने का प्रयत्न किया था। इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि सरकार इस समझौते की ज़रा सा भी क़द्र नहीं कर रही है—हमें विशेष दिक़्क़त नहीं उठानी पड़ेगी, आँख खोल कर जहाँ देख लीजिए वहीं सरकार की ओर से समझौते का जनाज़ा दिखाई पड़ेगा। इस स्थिति में भी कॉङ्ग्रेस-पक्ष की स्थिति महात्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है—

" We must continue to fulfil our part of the agreement. If it must break, let it break in spite of the Congress efforts to the contrary. The greater our patience, which is another name for suffering, the greater will be our strength."

अर्थात्—"समझौते में हमें अपने अंश को पूरा करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए और यदि यह भङ्ग भी हो जाय तो इसलिए भङ्ग न हो कि हमने अपने भाग की पूर्ति नहीं की है। जितना ही अधिक हमारा धैर्य होगा—वह धैर्य, जिसका दूसरा नाम कष्ट है,—उतनी ही अधिक शक्ति हममें प्रस्फुटित होगी।"

परन्तु कॉङ्ग्रेस के अधिकांश ज़िम्मेदार व्यक्ति सरकार की स्वेच्छाचारिता से अब ऊब-से गए हैं और बङ्गाल तथा पञ्जाब के नेताओं ने तो महात्मा जी से यहाँ तक पूछा भी है कि हम कितनी देर तक और ठहरें तथा इन दारुण अत्याचारों को सहते रहें? इसके उत्तर में महात्मा जी ने उपरोक्त शब्दों का हवाला देते हुए कॉङ्ग्रेस की कार्यकारिणी समिति के निर्णय तक ठहरने की राय दी थी। महात्मा जी तथा देश के सभी अग्रगण्य नेता आज कलेजे पर पत्थर रख कर सरकार के व्यवहारों की ओर दृष्टि न डालते हुए इस बात के लिए सिरतोड़ परिश्रम कर रहे हैं, कि हमारी ओर से सन्धि की शर्तों के पालन में रत्ती भर भी कोर-कसर न की जाय और हम अन्तिम समय तक उसका पालन करें; परन्तु यदि निर्दिष्ट का सङ्केत यही है कि समझौता भङ्ग ही हो जाय, तो वह सरकार की ओर से और उसके व्यवहार के कारण ही हो। हमारी ओर से इसके पालन करने में ज़रा सा भी ढीलापन न किया जाय। कॉङ्ग्रेस इस विषय में बड़ी सतर्कता एवं चुस्ती से काम ले रही है। अभी गत ९वीं जुलाई को कॉमन्स-सभा में भाषण देते हुए मि० वेजवुड बेन ने भारत-सरकार को गाँधी-इर्विन समझौते का अक्षरशः मनसा, वाचा, कर्मणा पालन करने का उपदेश देते हुए महात्मा गाँधी की शान्ति-स्थापना के सतत् प्रयत्न की भूरि-भूरि प्रशंसा में कहा था—

"× × × The British India and the Provincial Governments had, all as the first article of their policy that the undertakings given by Lord Irwin should be fulfilled in letter and spirit. × × × it had been Mr. Gandhi's policy also. Whatever charges might be made against

Mr. Gandhi, nobody ever charged him with breach of faith. × × × Mr. Gandhi had laboured for the fulfilment of his undertaking and today Mr. Gandhi represented in India a great force for peace."

अर्थात्—"× × × भारत की केन्द्रीय तथा प्रन्तीय सरकारों की नीति का प्रथम और महत्वपूर्ण अंश यह रहा है कि वे लॉर्ड इर्विन द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं का अक्षरशः और भाव-रूप में पालन करें। मि० गाँधी की भी यही नीति रही है। मि० गाँधी पर चाहे जो कुछ अभियोग लगाया जाय, पर किसी ने उन पर आज तक विश्वासघात का दोषारोपण नहीं किया। × × × मि० गाँधी ने अपने दिए हुए वचनों के पालन के लिए परिश्रम किया है और आज मि० गाँधी भारत में शान्ति की एक प्रवर्तक शक्ति के द्योतक हैं।"

जिस समय हम ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं, बम्बई में कॉङ्ग्रेस-कार्यकारिणी-समिति देश के इस अत्यन्त गम्भीर एवं महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करती होगी, कि कॉङ्ग्रेस सरकार की वर्त्तमान कलुषित एवं स्वेच्छाचारिता-पूर्ण नीति तथा दायित्वहीन व्यवहार को दृष्टि में रखते हुए आगामी गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में भाग ले सकेगी अथवा नहीं। पिछली बार भी जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो महात्मा जी ने समिति के सदस्यों से इस बात पर बहुत ज़ोर डाला था कि देश की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए राउण्ड टेबुल कॉन्फ्रेन्स में सम्मिलित होना सर्वथा युक्ति-हीन, अर्थ-हीन एवं निष्प्रयोजक सिद्ध होगा; परन्तु महात्मा जी के इतने ज़ोर देने पर भी समिति के सदस्यों ने उन्हें गोलमेज़ सभा में सम्मिलित होने के लिए वाध्य किया था और महात्मा जी ने भी अपने स्वाभाविक "जनसत्तात्मक सिद्धान्त" के कारण उस आज्ञा के सामने सिर झुका दिया। पर सच बात तो यह है कि आज भी गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में जाने के नाम से ही महात्मा जी के पैर काँपने लगते हैं। उनकी अन्तःर्ध्वनि उन्हें वहाँ जाने देने के लिए अभिप्रेरित नहीं करती। वे देख रहे हैं कि गोलमेज़ से ख़ाली हाथ लौटना है। घर के झगड़े अलग मुँह बाए खड़े हैं। मुसलमान संयुक्त निर्वाचन और पृथक् निर्वाचन को अपने जीवन-मृत्यु का सवाल बना रहे हैं। देशी रजवाड़े कुछ और ही स्वप्न देख रहे हैं, और सब से बड़ी बात तो यह है कि "म्याऊँ" अलग लाल-लाल आँखें कर ग़ुर्रा रही है—जो सामने आवे उसे वह चट निगल जाने के लिए उधार खाए बैठी है!

गोलमेज़ का काल्पनिक सौन्दर्य! उसके विरुद्ध हमें अभी कुछ कहना नहीं है। परमात्मा करे गोलमेज़ सफल हो और हमारे देश की मुरादें पूरी हो जायँ तथा ब्रिटेन और भारत में परस्पर सुन्दर एवं सद्भावपूर्ण समानता का व्यवहार प्रारम्भ हो जाय। हम युद्ध मोल लेना नहीं चाहते। हम शान्ति के उपासक हैं और उस शान्ति की उपलब्धि के लिए जो कुछ मूल्य चुकाना होगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। परन्तु एक बात के सम्बन्ध में हमें अभी से सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। हमें प्रलोभनों के संसार में अपने एवं अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को विस्मरण नहीं करना होगा। हम यह बात हृदय में धारण कर लें कि गोलमेज़ में कुछ होने जाने वाला नहीं है; उससे भारतीय असन्तोष एवं क्षोभ को शान्ति नहीं मिल सकती। हमारा घाव इतना गहरा है कि लन्दन की गोलमेज़ उसकी मरहम-पट्टी के लिए सर्वथा असमर्थ है—अयोग्य है। ब्रिटेन हमारे दर्द को समझ नहीं सकता। वहाँ तो अभी तक संरक्षणों का ही बाज़ार गर्म है और अभी तक भारत को चूसने का ही स्वप्न देखा जा रहा है। ब्रिटेन इस सुख-स्वप्न को मिटने देना नहीं चाहता, जिसमें भारत रूपी सोने की चिड़िया उसके घर को सम्पदा से भरपूर करती रहे। हमारी भयानक दरिद्रता उसे मर्माहत नहीं करती। साम्राज्यवाद के स्थायित्व की उन्मत्त उत्कण्ठा में उसे यह सोचने का न तो अवसर ही है और न चिन्ता ही!

हाँ, तो हम स्वराज्य की छाया के प्रलोभन से प्रेरित होकर गोलमेज़ में सम्मिलित न हों, वहाँ से कुछ लाने के लोभ को हमें इस समय सम्बरण करना चाहिए। हाँ, केवल एक बात के लिए ही हम गोलमेज़ में अपने प्रतिनिधि भेजें और वह भारतीय वस्तु-स्थिति का सच्चा और नग्न चित्र संसार के सामने रखने के लिए। इससे अधिक की आशा करना या उस मृगतृष्णा के पीछे परेशान होना हमारी राजनीतिक अदूरदर्शिता का परिचायक होगा। हमें गोलमेज़ की सारी सफलता केवल इतने में ही समझना चाहिए कि हमने भारतीय वस्तु-स्थिति को संसार के सामने नग्न रूप में रख दिया है और अपने दिए हुए वचनों को सचाई के साथ पालन किया है तथा भीषण से भीषण उत्तेजनाओं में भी कभी ब्रिटेन से विश्वासघात नहीं किया। कॉन्फ्रेन्स में हमारी स्थिति क्या होगी, इस बात को तो कराँची कॉङ्ग्रेस ने स्पष्ट कर ही दिया है, उससे अधिक स्पष्ट हमारी कोई भी नीति नहीं हो सकती। हमारा कल्याण इसी में है कि हम अक्षरशः उसके अनुकूल ही चलें।

गोलमेज़ में हमारी माँगें, जैसा कि कराची कॉङ्ग्रेस ने देश के सामने रक्खा है—पूरी नहीं होंगी, यह निर्विवाद है। ब्रिटेन जीते जी भारत के शासन-सूत्र को अपने हाथ से जाने न देगा, जब तक हम इस देश में उसका शासन पूर्ण अहिंसात्मक रूप से सर्वथा असम्भव न कर दें। वह हमारे देश की वस्तुस्थिति की भयानकता और गम्भीरता का अनुभव करते हुए भी अभी हमें मायाचक्र में डाले रखना चाहता है। उसे अभी भी अपने पशु-बल का बड़ा भरोसा है। अभी भी वह सुधारों (Reforms) के फेर में हमें डाल कर हमारे देश पर अपना स्थायी प्रभुत्व जमाना चाहता है। पर देश का पद्दलित आत्म-सम्मान आज अपने सत्य, सुन्दर एवं शिव के रूप में जाग उठा है; आज हमारे रग-रग में, नस-नस में, हमारी आत्मा और हृदय में एक दैवी स्फूर्ति का आकस्मिक आविर्भाव हो गया है। भारत ने बुद्ध और महावीर, शङ्कर और रामानुज, कबीर और रामतीर्थ; विवेकानन्द आदि जगतगुरुओं के बाद गाँधी को विश्वगुरु के रूप में पैदा किया है। पतित भारत फिर विश्व-वरेण्य होने जा रहा है। विज्ञान, पूँजीवाद, स्वार्थ-लिप्सा, हिंसा और विनाश की काली और भयावनी रजनी के एक ओर से सत्य, दाक्षिण्य, विश्व-प्रेम, अहिंसा का सुमङ्गल प्रभात झाँकता हुआ दीख पड़ रहा है। प्रभात के चरण प्रतिष्ठित होने ही वाले हैं, जब कि इस रजनी का अभिनय समाप्त हो जायगा। गाँधी विश्व में अहिंसा, सत्य, आत्म-बल और त्याग का झण्डा फहराने जा रहा है और वह समय अब दूर नहीं है, जब कि सारा संसार उसके झण्डे के नीचे सिर टेक देगा। उस समय पाशविकता के भग्नावशेष पर आत्म-बल का दुर्ग खड़ा होगा और इस प्रकार भारत का स्वराज्य विश्व में राम-राज्य उपस्थित कर देगा।

यह हमारा सुख-स्वप्न नहीं है; यह एक कठोर एवं ध्रुव-सत्य है; काल-चक्र की अनियन्त्रित गति की घटनाएँ बार-बार हमें यही सन्देश दे रही हैं; आयर्लैण्ड जगा, देखते ही देखते रूस का नक़शा बदल गया, अफ़ीमची चीनी जगे......भारत का इतिहास भी अपना एक नया अध्याय प्रारम्भ करने में संलग्न है। आवश्यकता है एक बार इस ग़ुलामी की ढहती हुई दीवाल में ज़ोर से धक्का लगा देने की। राष्ट्र आज नवयुवक-भारत को बलिदान और आत्म-समर्पण के लिए आवाहन कर रहा है; परन्तु इस आवाहन में हमारी सब से बड़ी साधना अहिंसा होगी और इस बलिदान की सब से बड़ी ज्वाला हमारी पवित्रता एवं आन्तरिक सच्चाई होगी। कहने की आवश्यकता नहीं, कि हमारी स्वतन्त्रता का प्रश्न गोलमेज़ में कभी हल नहीं हो सकेगा। इसे बार-बार दुहराने की ज़रूरत नहीं, कि हमारी और हमारे शासकों की निर्णायक बुद्धि में बहुत बड़ा अन्तर है, उनकी देन और हमारी माँग का कभी संयोग नहीं हो सकता। इस विषय में हमारा उनका समझौता कठिन ही नहीं, वरन् सर्वथा असम्भव है। भारतवासियों के स्वराज्य जैसी चीज़ की कल्पना हमारे शासक स्वप्न में भी नहीं कर सकते। स्वराज्य, जिसे हम अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं, हमारे ही किए मिल सकता है। किसी भी देश को स्वराज्य देने पर नहीं मिला है; जिस देश ने स्वराज्य प्राप्त किया है, वह अपनी शक्ति से। यदि स्वराज्य हमारा अभीष्ट है तो उसके लिए उद्योग करना होगा। बात की बात में बहस-मुबाहिसों से यदि स्वराज्य मिलने को होता तो आज तक कोई भी देश ग़ुलाम न रहता। शासक तब तक इस देश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक कि हम प्रत्येक उचित और अहिंसात्मक उपाय से उनके शासन-चक्र का चलना ही सर्वथा असम्भव न कर दें।

परन्तु इस वृहद् कार्य के लिए हमें पुनः एक बार विराट यज्ञ का आयोजन करना है। स्वतन्त्रता की देवी का आवाहन करने के लिए हमें शुद्ध अहिंसा और सत्य के आधार पर पुनः सत्याग्रह संग्राम छेड़ना होगा। देश का यह दुर्भाग्य है कि इस समय अधिकांश कॉङ्ग्रेस कमिटियाँ निर्वाचन के कीचड़ में फँसी हुई हैं। प्रायः चारों ओर कार्यकर्ताओं में वैमनस्य फैल रहा है और हम आज परस्पर एक दूसरे की आलोचना करने में ही अपने राजनीतिक जीवन की सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं। नाम और यश के भुक्खड़ कुछ व्यक्ति पिछले युद्ध के समय हमारे दल में घुस आए थे। उनका एकमात्र धर्म आदि से अन्त तक हुल्लड़ मचाना हो गया है। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक कॉङ्ग्रेस-कमिटी में कुछ ऐसे भी ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, जो देश की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त और देश के यश को अपना यश समझते हैं! देश के साथ उन्होंने तादात्म्य स्थापित कर लिया है, देश ही के लिए उनका खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना-जागना होता है। सौभाग्य से देश में ऐसे निस्पृह कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं है। इस पारस्परिक मनोमालिन्य एवं विरोध के समय भी उन्होंने देश की तुला को ठीक रक्खा है। उनसे हमारी विनीत प्रार्थना है कि वे निर्वाचन और यश-लिप्सा के कीचड़ में फँसे हुए व्यक्तियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ें, वे इन झगड़ों से ऊपर उठें। यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं, कि उनके साथ और पीछे चलने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। गाँवों में बहुत काम पड़ा हुआ है। किसान स्वराज्य का अर्थ नहीं समझते। उन्हें समझाने का हमें अवकाश ही नहीं मिला। यह तो केवल महात्मा गाँधी की जादू की छड़ी का ही प्रभाव था कि बिना कुछ समझे-बूझे ही किसानों ने अवर्णनीय त्याग किया एवं अपार दुःख सहे। इसलिए राष्ट्र को आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम देहातों में स्थायी रूप से बैठ कर ग़रीब किसानों को स्वराज्य का महत्व बतलाएँ। शहर में क्या रक्खा है? शहर के लोग प्रदर्शन-प्रिय होते हैं, अतएव शहर में ऐसे कुछ शहरी नेताओं को छोड़ दिया जाय जो गाँवों में जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त एवं अयोग्य हैं। कॉङ्ग्रेस के अन्य कार्यकर्ता टिड्डियों के दल

की भाँति गाँव-गाँव में फैल जायँ। किसानों की कष्ट-कहानी ध्यान देकर सुनी जाय और उसे दूर करने के लिए भरपूर चेष्टा की जाय। इस समय देश के किसानों की दशा बड़ी दयनीय हो रही है। उनके पास नमक-तेल तक के लिए पैसा नहीं; लड़कों की पढ़ाई-लिखाई की बात तो दूर रही। इस समय कॉङ्ग्रेस किसानों के इस विकट प्रश्न पर ख़ास तौर से ध्यान दे; अपनी सारी शक्ति इसी में लगा दे। देश की ८५ प्रतिशत से भी अधिक आबादी किसानों की है। हमें आज उनकी कष्ट-कथा सुननी होगी। उन्हें ताल्लुक़ेदारों और ज़मींदारों के पाशविक अत्याचारों से बचाना होगा, उनके साथ रह कर उन पर पड़ती हुई लाठियों और हन्टरों को अपने शरीर पर रोक कर, किसानों के सुख-दुःख में साथी होकर, हमें उनको समझाना होगा कि भावी शासन-विधान में किसानों के हितों पर विशेष रूप से ध्यान रक्खा जायगा। किसानों के वे मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) जिन्हें कराची कॉङ्ग्रेस ने स्वीकार किए हैं, जनता को आज समझाने की अत्यन्त अधिक आवश्यकता है। साथ ही किसानों में आत्म-सम्मान, देश-गौरव के भाव हमें जगाना होगा और आने वाले युद्ध के लिए उन्हें ख़ूब तैयार करना होगा। गाँव-गाँव में बारडोली के किसानों के अनुपम त्याग और अकथनीय कष्टों तथा अखण्ड तत्परता एवं दृढ़ प्रतिज्ञा की कहानियाँ सुनानी होंगी। आज किसानों की शक्ति तितर-बितर हो गई है; देश के अन्नदाता होते हुए भी वे महा कङ्गाल, दरिद्र, अपङ्ग और निरीह हो रहे हैं! यदि किसान जग जायँ तो वे किसी भी राष्ट्र का, किसी भी पराई शक्ति का, सामना बड़ी तत्परता एवं कुशलता के साथ कर सकते हैं। फिर इन ज़मींदारों और पूँजीपतियों की शक्ति ही कितनी है जो उन पर अत्याचार करें? अस्तु—

देश में रचनात्मक कार्य करते हुए, किसानों और मज़दूरों में जीवन का सञ्चार करते हुए, हमें अपनी लड़ाई के असली रुख़ की ओर बहुत सतर्क रहना होगा। हमें अपनी सेना के सङ्गठन की आवश्यकता को भूलना नहीं चाहिए। युद्ध में विजय का सारा दारोमदार हमारे सिपाहियों पर ही है। पिछली बार हमने देखा, हमारे आन्दोलन के पवित्र एवं सात्विक आह्वान पर, हमारी रणभेरी बजते ही किस प्रकार स्वयंसेवकों का ताँता बँध गया था। हमने वह दृश्य भी बड़ी उत्सुकता एवं चाव-भरी दृष्टि से देखा है, जब युवक-दल माता-पिता के लाख रोते-चिल्लाते रहने पर, उनके लाख प्रयत्न करने पर भी, युद्ध का शङ्ख-घोष सुन, अपने को रोक नहीं सकता था। एक विचित्र उन्माद सा आ गया था। रण में न जाने की बात सुहाती ही नहीं थी। देश में एक विचित्र उन्माद छा गया था। गाँधी ने एक अजीब जादू फूँका था। छः-छः वर्ष के अबोध बच्चे बड़े शौक़ एवं लगन के साथ जेल में जाते देखे गए हैं। राष्ट्र के अभूत-पूर्व जागरण के वह दृश्य देखे गए हैं जो देखने की ही वस्तु थी। स्वर्ग के देवता भी ऐसे सात्विक युद्ध में इस अपूर्व त्याग को देख सिहर रहे थे, आशीष-प्रसून बरसा रहे थे। हमारी देवियों ने, जिन्हें हम ने अपनी नासमझी से 'अबला' नाम दे रक्खा है, गत युद्ध में जिस वीरता एवं सहिष्णुता का परिचय दिया है, उसे स्मरण कर आज भी नसों में बिजली दौड़ जाती है। स्त्रियों की इस तपस्या की गाथा आने वाली सन्तान बड़े गौरव एवं अभिमान के साथ गाएगी। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे युद्ध का असली रुख़ यही है; हमें इन्हीं स्वयं-सेवकों, देशसेविकाओं और बानर-सेनाओं के साथ अपने विरोधियों से मोर्चा लेना है। हमारे युद्ध के प्राण हमारे ये दीवाने स्वयंसेवक ही हैं!

इन स्वयंसेवकों, बानर-सेनाओं और देश-सेविकाओं का सङ्गठन फिर नए सिरे से हो, उनकी शिक्षा-दीक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाय और उनके विनयन (Discipline) पर पूरी चौकसी रक्खी जाय। पिछले युद्ध में तो हमारे बिना किसी प्रयत्न के ही, हमारी विशेष चेष्टा के बिना ही, देश के इन योद्धाओं में अपूर्व सङ्गठन का भाव आ गया था तथा उनमें एक विचित्र लगन एवं कल्पनातीत उमङ्ग की लहर आ गई थी। उनकी उस लगन और उमङ्ग को हमने अपनी दलबन्दी और यश-लिप्सा की विनाशकारी भूख में विशृङ्खलित कर दिया है, हमें फिर एक बार सजग हो जाना होगा और अपनी निजी दुर्बल-ताओं से ऊपर उठ कर देश की इस अत्यन्त बलवान, परन्तु बिखरी हुई शक्ति का सङ्गठन करना होगा, जिससे हम पहले की अपेक्षा अधिक वीरता तथा कौशल के साथ शत्रुओं से मोर्चा ले सकें। भावी युद्ध के लिए हमारी तैयारी का यह सब से मुख्य, सब से महत्वपूर्ण अङ्ग है, इसे भूल कर, इसकी अवहेलना कर हम अपने राष्ट्रीय अस्तित्व की अवहेलना करेंगे—इसे हमें विस्मरण न करना चाहिए।

अन्त में हमें अपने उन भाइयों की सेवा में दो शब्द निवेदन करना है, जिनका विश्वास अहिंसा में नहीं है। यह हमारा एक दायित्वपूर्ण धर्म है कि हम प्रत्येक भारतवासी का ध्यान उस मार्ग की ओर आकर्षित करें, जो हमारी समझ से, अधिक से अधिक कल्याणकारी है। साथ ही साथ हमारा यह भी कर्तव्य है कि जो बातें देश-हित की अवरोधक हैं, उनमें व्यक्तित्व का ज़रा सा भी ख़्याल न रखते हुए, बिना सङ्कोच उस पद्धति की कड़ी से कड़ी आलोचना करें। अहिंसा के द्वारा आज हम अपनी एवं राष्ट्र की अन्तरात्मा में कितनी असीम नैतिक-शक्ति की सृष्टि कर सकते हैं तथा संसार की सहानुभूति कितने अधिक अंश में हम अपनी ओर खींच सकते हैं और इसके साथ ही हम अपने शत्रुओं के हृदय में कितना बड़ा आतङ्क ला सकते हैं, यह बात आज बतलाने की नहीं है। विगत सत्याग्रह आन्दोलन में हमने अपनी आँखों से अहिंसा की अमर एवं सर्वव्यापी विजय देखी है। यह विषय सन्देह-ग्रस्त या विवादास्पद नहीं रह गई कि हमें केवल अहिंसा मार्ग के द्वारा ही स्वराज्य की प्राप्ति होगी! फिर भी हमारे देश में कितने ऐसे उभड़े दिल और दिमाग़ के नौजवान हैं, जो देश की इस पराधीनता को सभी उचित या अनुचित उपायों के द्वारा यहाँ से उखाड़ फेंकने पर उतारू हो गए हैं। इनका विश्वास है कि इस देश में ख़ुराफ़ात की ख़ास वजह चन्द सरकारी अफ़सर हैं, जिनकी हत्या से देश की छाती पर होने वाला पराधीनता का यह भयङ्कर ताण्डव सदा के लिए शान्त हो जायगा। वे ज़रा जल्दबाज़ी में हैं और उनके उतावलेपन से देश की बड़ी क्षति हो रही है। उनकी हत्याओं और बमबाज़ियों का बुरा असर देश पर पड़े बिना नहीं रह सकता। नौजवानों का हृदय और उनकी आत्मा विषाक्त होती जा रही है। हम उनके त्याग की भावना की, उनके अल्हड़, लापरवाह, भोले हृदय की—अगाध देश-भक्ति की अभ्यर्थना करते हुए भी, उनकी पद्धति से, उनकी कार्य-शैली से मूलतः मतभेद रखते हैं। हमें उन पर दया आए बिना नहीं रह सकती। हम जानते हैं हमारी ये बातें उन्हें ज़रा भी सुहाती न होंगी; हमारी इन पंक्तियों को वे दम्भ, पाखण्ड एवं मिथ्या देश-भक्ति से भरी समझ कर उपहास की दृष्टि से देखेंगे; हम यह भी जानते हैं कि हमारे इस अप्रासङ्गिक उपदेश का उन पर कुछ भी असर न होगा; फिर भी हमारी अन्तरात्मा देश के सुखद-कल्याण का जो उचित मार्ग समझती है, और जिसकी हमने पूरी तरह विगत सत्याग्रह आन्दोलन में परीक्षा भी कर ली है, उसे तो हम अन्त समय तक डङ्के की चोट कहते रहना, अपना पवित्र कर्तव्य समझेंगे। अस्तु—

सच बात तो यह है, कि इन हत्याओं से देश की बड़ी हानि हो रही है। देश-प्रेम के दीवाने, अल्हड़ नौजवान अपनी जान पर खेल कर देश भर की सहानु-भूति को अपनी ओर खींच लेते हैं सही, पर ऐसा करने पर देश की जाग्रत शक्ति को अपनी ओर नहीं खींच सकते। उनका रास्ता ख़तरे से भरा और हमेशा घाटा देने वाला है—इस बात से स्वयं वे भी इन्कार नहीं कर सकते। भारतवर्ष की संस्कृति ही हिंसा से मूलतः भिन्न है, हिंसा का पौदा यहाँ पनप नहीं सकता। इन अनमोल हीरों को खोते हुए हमारे हृदय को बड़ी ठेस लगती है! यदि उन बुझते हुए प्यारे प्राणों की अगाध देश-भक्ति को आज हम अहिंसा पथ में प्रेरित कर सकें, यदि हम उनके देश-प्रेम की कभी न बुझने वाली ज्वाला को लेकर अहिंसापूर्ण ग्राम-सङ्गठन के रचनात्मक कार्य में लग जायँ, तो देश की नौका शीघ्र ही किनारे लग जाय। उनमें एक-एक ऐसे प्रतिभाशाली जीव हैं जो एक-एक ज़िले और प्रान्त के सङ्गठन का सूत्र अपने हाथों में बड़ी ख़ूबी के साथ ले सकते हैं.........परन्तु देश का दुर्भाग्य!

यदि उन्हें अपनी कार्य-पद्धति छोड़ कर हमारे अहिंसात्मक संग्राम में आने की गुञ्जाइश नहीं है तो वे भले ही न आवें, पर इस समय ज़रा अपने विष-बुझे वाणों को रोक लें। देश में एक बार एक छोर से दूसरे छोर तक अहिंसा का पवित्र वायुमण्डल उपस्थित होने दें तथा उसे अपनी व्यर्थ की पटाख़ेबाज़ियों से दूषित न कर डालें।

आज देश भावी अहिंसात्मक क्रान्ति की अन्तर्ध्वनि का स्पष्ट अनुभव कर रहा है। उसे अहिंसा में पूर्ण अविचल विश्वास हो गया है। देश के अग्रगण्य नेता हमारे सोए हुए आत्म-सम्मान को जगा कर उसमें नव-जीवन का सञ्चार कर रहे हैं। नव-जीवन के इस सुन्दर ऊषाकाल को हिंसा की रक्त लालिमा दूषित कर देगी और यदि हिंसा क्रान्ति के उद्दाम-जागरण में सत्याग्रह का युद्ध एवं राष्ट्र की स्वतन्त्रता का प्रवाह सदा के लिए नष्ट हो गया, तो भावी इतिहासकार इस बात का सङ्केत किए बिना नहीं रह सकते कि देश-प्रेम की ज्वाला से जलते हुए, कुछ उन्मत्त नवयुवकों ने अपने प्राणों के उत्सर्ग और निस्पृह आत्म-समर्पण के द्वारा ही देश की परा-धीनता को सदा के लिए अमर किया था!!

*　*　*

भीषण एवं करुण!!

गाँधी-इर्विन समझौते की आड़ में प्रान्तीय सर-कारों के उपहासजनक अभिनय के भीषण एवं करुण समाचार आ रहे हैं! "भविष्य" के गताङ्क में हमने सर मैलकम हेली की संयुक्त प्रान्तीय सरकार के कुछ कारनामों की चर्चा की थी। उसी प्रसङ्ग में हमने रायबरेली के ख़ैरख़्वाह हिन्दुस्तानी डिप्टी कमिश्नर के द्वारा ज़मींदारों के पास भेजे गए दो लज्जा-जनक 'गोपनीय' पत्रों की भी चर्चा की थी। यद्यपि प्रान्तीय सरकार की आज्ञा से डिप्टी कमिश्नर के वे 'गोपनीय' सरक्यूलर वापस ले लिए गए हैं; फिर भी दशा सुधरती नज़र नहीं आती। रायबरेली ज़िले से ही लगभग सात सौ गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं! निर्दोष कॉङ्ग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारियों से ही यदि देश की सारी उलझनें सुलझ जातीं, तो भी कोई बात न थी; पर यहाँ तो देश का कोना-कोना दमन की भीषण आग से जल उठा है! गत ९वीं जुलाई के "यङ्ग-इण्डिया" में महात्मा जी ने "क्या यह टूक-टूक होकर ढह रहा है" (Is It Crumbling?) शीर्षक एक

बड़ा ही मर्मस्पर्शी सम्पादकीय लिखा है। उस लेख में संयुक्त प्रान्त के सुलतानपुर और मथुरा ज़िले के किसानों पर ज़मींदारों और पुलीस तथा अधिकारियों के द्वारा किए गए अत्याचारों की लोमहर्षक कहानी का हृदय-विदारक वर्णन किया गया है। इन स्थानों के अतिरिक्त पञ्जाब और बङ्गाल प्रान्तों की कष्ट-कहानियों का भी उल्लेख महात्मा जी ने अपने उसी लेख में किया है। साथ ही महात्मा जी ने लिखा है—"इस सप्ताह के लिए यह पर्याप्त है। मुझे देश के अन्य भाग अथवा प्रान्तों की और भी शिकायतें हैं; जिनकी चर्चा मैं आगामी अङ्क में करूँगा।"

कहना नहीं होगा कि प्रान्तीय सरकारों की इस दोमुँही चाल ने देश और विशेषकर कॉङ्ग्रेस को, एक उलझन में डाल दिया है। दमन और युद्ध बुरा नहीं है; और विशेषकर उस समय जब कि उसकी सृष्टि स्वतन्त्रता के पथ में होती है। प्रत्युत उस अवस्था में वह कल्याणप्रद है। देश को स्वतन्त्र करने के पवित्र-प्रयत्न में युद्ध गौरव एवं मर्यादा की; तथा दमन हित, कल्याण, साधना और स्वागत की वस्तु है। परन्तु इसके साथ ही समझौते के कारण, जबकि एक दल निश्चेष्ट एवं निर्विकार भाव से चुपचाप शान्त पड़ा है, दूसरी ओर से समझौते की आड़ में आक्रमण होना आक्रमणकारी दल के लिए लज्जास्पद है। आज देश की ठीक यही अवस्था है। महात्मा गाँधी आज देश की बागडोर बहुत दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। देश की मचलने वाली आत्माओं को सहस्रों पुकार को, देश के नवयुवक-हृदयों के भीषण असन्तोष को वे एक ओर शान्त और नियन्त्रित करने में दत्तचित्त हैं और दूसरी ओर ताल्लुक़ेदार अथवा उनके आदमी देश के अभागे किसानों को मार-पीट कर कर वसूलने में लगे हुए हैं। गर्भिणी कृषक-स्त्रियों को निर्दयता के साथ पीटा जा रहा है। बाप के रुपए बेटे से और पति के रुपए पत्नियों के गहनों से वसूल किए जा रहे हैं!! अभागी कृषक-ललनाओं के सतीत्व नष्ट करने के भी रोमाञ्चकारी समाचार आए हैं। गाँधी-इर्विन समझौते के इस सन्धि-स्थल पर आज भी लाठियों द्वारा सभाएँ बन्द की जा रही हैं। किसानों को अपने घरों से राष्ट्रीय झण्डा हटाने को कहा जा रहा है और जब वे यह अपमानजनक काम करने से अस्वीकार कर देते हैं तो उन्हें हवालात में बन्द कर दिया जाता है! देश के कार्यकर्ताओं की खुले-आम गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। जिन-जिन स्थानों में सङ्गठन एवं पिकेटिङ्ग का कार्य हो रहा है, वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता जेलों में बन्द कर दिए जा रहे हैं; और तारीफ़ तो यह, कि दमन एवं अत्याचारों की इन करुण कहानियों के रचनात्मक कार्यों में जहाँ एक ओर प्रान्तीय सरकारें लगी हुई हैं, वहाँ दूसरी ओर लॉर्ड विलिङ्गडन अपने व्याख्यानों में चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं—"हम क्षणिक समझौता नहीं, वरन् स्थायी सन्धि चाहते हैं।" इस स्थायी सन्धि का रूप और आकार क्या है, यह तो भगवान ही जानें; पर हम यही कहेंगे कि यदि ब्रिटेन और भारत के अस्थायी समझौते का अर्थ लाठी-प्रहार और जेल-प्रवास है तो इस क्रम से स्थायी सन्धि का अर्थ अत्यन्त भयावह होगा और सम्राट के प्रतिनिधि लॉर्ड विलिङ्गडन की सरकार को उस स्थायी-सन्धि का रूप निर्माण करने के लिए कुमारी अन्तरीप से लेकर हिमालय तक और आसाम से लेकर सिन्ध तक तोप और गोलियों की वर्षा करनी होगी! कम से कम वर्तमान का यह भीषण एवं करुण दृश्य भविष्य की भीषणता और अधिक करुण घटनाओं का सङ्केत कर रहा है!

परन्तु इसका परिणाम क्या होगा? सारा देश आज त्राहि-त्राहि पुकार रहा है। सारे देश की कॉङ्ग्रेस कमिटियाँ महात्मा जी से निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistence) की आज्ञा माँग रही हैं। गाँधी जी सहमे हुए हैं; वे आज्ञा देने में सङ्कोच कर रहे हैं। उनका कहना है—धैर्य धारण करो, सहन करो! सहनशीलता का ही दूसरा नाम कष्ट है। जितना अधिक हम कष्ट सहेंगे, उतनी ही अधिक हमारी शक्ति बढ़ेगी। इस शक्ति को बढ़ाने के निमित्त ही राजनीतिक यथार्थवाद (Political Realism) में महात्मा जी आध्यात्मिक आदर्शवाद (Spiritual Idealism) का सम्मिश्रण करना चाहते हैं। "यदि निर्देश के सङ्केत को यही स्वीकार है कि समझौता भङ्ग हो तो होने दो, परन्तु कॉङ्ग्रेस की सारी शक्ति समझौता भङ्ग के विपरीत प्रयत्न में लग जाय!" यह महात्मा गाँधी की अमृत-वाणी है। इस वाणी में बुद्ध और शङ्कर; महावीर और रामानुज को जन्म देने वाले राष्ट्र का सामूहिक आदर्शवाद छिपा है—वह आदर्शवाद, जिसके सम्मुख संसार के बड़े से बड़े साम्राज्य का स्वेच्छाचार काँप उठता है और उसकी कूटनीति हिल उठती है! हम चाहते हैं, हमारा देश महात्मा जी की इस अमृत-वाणी से यथेष्ट लाभ उठाए। समझौता भङ्ग यदि होना ही है तो भले हो, पर हमारा सारा प्रयत्न उसे स्थापित करने में ही लगना चाहिए। वास्तव में देश का गौरव इसी बात में है कि सरकार की ओर से अधिक से अधिक दमन और उत्तेजना मिलने पर भी सन्धि-काल तक हम उसका उत्तर सन्तोष एवं धैर्य के द्वारा दें—उस सहनशीलता के द्वारा जिसका दूसरा नाम कष्ट है। इसके बाद अर्थात् सन्धिकाल की समाप्ति पर कौन कह सकता है, भावी सत्याग्रह के सर्व-व्यापी प्रवाह में ब्रिटिश सत्ता भारत में स्थायी रह सकेगी?

* * *

न्याय का आदर्श

भारतीय उच्च न्यायालयों (High Courts) के इतिहास में कदाचित् यह दूसरा अवसर है, जबकि राजनीतिक मामलों में पञ्जाब हाईकोर्ट के जस्टिस भिडे एवं जस्टिस टैप नामक दो आदर्श जजों ने पूर्ण निर्भीकता एवं विशुद्ध न्याय के द्वारा अपना निर्णय दिया है। "भविष्य" के पाठकों को स्मरण होगा कि नए लाहौर षड्यन्त्र के अभियुक्त श्री० सुखदेवराज को स्पेशल ट्रिब्यूनल (Special Tribunal) की आज्ञा से गत दूसरी जून को षड्यन्त्र के अन्य अभियुक्तों के साथ जेल-हवालात में रक्खा गया; परन्तु चार ही दिन बाद, अर्थात् छठी जून को पञ्जाब-सरकार की आज्ञा से श्री० सुखदेवराज अन्य अभियुक्तों से पृथक कर फाँसी वाले सेल (Condemned Cell) में इस प्रकार रक्खे गए कि अन्य अभियुक्तों से उनकी मुलाक़ात असम्भव कर दी गई। इस पर श्री० सुखदेवराज की ओर से ट्रिब्यूनल को इस आशय की दरख़्वास्त दी गई कि ट्रिब्यूनल इस बात का पता लगाए कि उसकी आज्ञा के विरुद्ध प्रान्तीय सरकार के व्यवहार का क्या कारण है। साथ ही ट्रिब्यूनल से इस बात की भी प्रार्थना की गई कि यदि ट्रिब्यूनल की दृष्टि में प्रान्तीय सरकार के इस कार्य का भरपूर एवं समुचित कारण दीख न पड़े तो वह प्रान्तीय सरकार को आदेश दे कि उस (ट्रिब्यूनल) की आज्ञा के अनुसार कार्रवाई की जाय; परन्तु ट्रिब्यूनल को इतना साहस कहाँ था कि वह प्रान्तीय सरकार के विरुद्ध जाय? उसने तत्क्षण श्री० सुखदेवराज की दरख़्वास्त को, इसलिए अस्वीकार कर दिया कि यह उसकी अधिकार-सीमा से बाहर की बात है। ट्रिब्यूनल के इस निर्णय पर श्री० सुखदेवराज के वकील श्री० श्यामलाल ने हाईकोर्ट में इस आशय की दरख़्वास्त दी कि श्री० सुखदेवराज या तो तनहाई से हटा कर षड्यन्त्र के अन्य अभियुक्तों के साथ रक्खे जायँ अथवा ज़मानत पर मुक्त कर दिए जाएँ। इस दरख़्वास्त के निर्णय का भार जस्टिस भिडे और जस्टिस टैप को दिया गया। उक्त दोनों विद्वान जजों ने ट्रिब्यूनल के कमिश्नरों का निर्णय ग़लत बतलाया और ट्रिब्यूनल के पास इस आदेश के साथ मुक़दमा लौटा दिया, कि वह अपनी आज्ञा के विरुद्ध प्रान्तीय सरकार के आचरण के कारण का पता लगा कर अपना निर्णय करे।

कहना नहीं होगा कि हाईकोर्ट के उक्त दो विद्वान जजों का निर्भीक निर्णय केवल न्याय का आदर्श ही स्थापित नहीं करता, वरन् यह एक ऐसा निर्णय है जो भविष्य के राजनीतिक मुक़दमों के सम्बन्ध में एक सम्मानित एवं अधिकारपूर्ण क़ानूनी प्रमाण उपस्थित करेगा। और चूँकि इस निर्णय का सौभाग्य पञ्जाब हाईकोर्ट को प्राप्त है, इसलिए हम उसे बधाई देना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। जस्टिस भिडे और टैप के निर्णय का महत्व केवल न्यायालयों की अधिकार-सीमा निर्धारित करने में ही नहीं है, वह इस बात का भी पूर्णतः स्पष्टीकरण करता है कि यदि किसी अभियुक्त के साथ अधिकारियों के द्वारा क़ानून के निर्देशानुसार आचरण नहीं किया जाता, तो अदालत को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह इस मामले में दरयाफ़्त करे तथा अभियुक्तों के क़ानूनी-संरक्षण के लिए अधिकारियों को आवश्यक आज्ञा दे। ट्रिब्यूनल की भूल एवं कर्त्तव्य पालन की असमर्थता बतलाते हुए जस्टिस भिडे के निम्न-लिखित शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं:—

"The main question involved in this case is that of the jurisdiction of the courts to enquire into a complaint of this character made by an undertrial prisoner in connection with his treatment in jail. In my opinion, the learned Commissioners were not right in dropping the matter, as they did without any enquiry and refusing to consider the question of bail at the same time."

अर्थात्—"इस मामले में मुख्य प्रश्न यह है कि यदि किसी अभियुक्त क़ैदी के साथ जेल में उचित व्यवहार न हो और यदि वह अदालत से इस शिकायत के सम्बन्ध में दरियाफ़्त करने की प्रार्थना करे तो अदालत को इस सम्बन्ध में दरियाफ़्त करने की अधिकार-सीमा कहाँ तक है। मेरे विचार में ट्रिब्यूनल के विद्वान कमिश्नरों ने इस मामले को इस प्रकार स्थगित कर भूल की; कारण उन्होंने न तो इस मामले के सम्बन्ध में जाँच ही की और न अभियुक्त की ज़मानत के प्रश्न पर ही विचार करना स्वीकार किया।"

जस्टिस भिडे के ये शब्द उन अभागे राजनीतिक अभियुक्तों की उस करुण-दशा पर प्रकाश डालते हैं; जिनके साथ एक ओर अधिकारियों के द्वारा अत्याचार किया जाता है और दूसरी ओर अदालत उन पर किए जाने वाले उन दारुण अत्याचारों को दूर करना तो दूर रहा, सुनना भी स्वीकार नहीं करती। इस दशा में उन अभागे अभियुक्तों की दशा इतनी असहाय हो जाती है, कि उन्हें उचित क़ानूनी संरक्षण भी नहीं दिया जाता। उनकी इसी असहायावस्था की चर्चा करते हुए विद्वान जस्टिस भिडे ने अपने उसी सारगर्भित निर्णय में ये महत्वपूर्ण शब्द कहे हैं:—

"They did once enquire whether the grounds on which their recommendation was over-ruled could be disclosed, but

that was only for the information of the defence and not for their own satisfaction. Eventually, they held that they had no jurisdiction to go any further and they also refused to grant bail. If the view taken by the Commissioners, be correct, it would mean that an under-trial prisoner in the position of a petitioner can get no redress from courts, and is practically without any remedy. But I don't think the court is in such a helpless position."

अर्थात्—"उन्होंने (ट्रिब्यूनल के कमिश्नरों ने) अवश्य ही एक बार यह बात दरियाफ़्त की थी कि उनकी आज्ञा न पालन करने का कारण बतलाया जा सकता है, अथवा नहीं। परन्तु इस बात को उन्होंने अपने सन्तोष के लिए नहीं, वरन् अभियुक्त को बताने के लिए ही पूछा था। अन्त में उन्होंने यह राय क़ायम रक्खी कि इस मामले में और आगे बढ़ना उनकी अधिकार-सीमा के बाहर की बात है और साथ ही उन्होंने ज़मानत भी अस्वीकार कर दी। कमिश्नरों ने इस मामले में जिस दृष्टिकोण से निर्णय किया है, यदि वह ठीक हो तो इसका अर्थ यह है कि प्रार्थी के रूप में कोई अभियुक्त क़ैदी अदालत के द्वारा अपने पर किए गए अन्यायों को दूर नहीं करा सकता। और उसकी सहायता के लिए वास्तव में कोई भी उपाय नहीं है। जो कुछ भी हो, मेरा विचार यह नहीं है कि इस मामले में अदालत इतनी असहाय अवस्था में है।"

कहना नहीं होगा कि राजनीतिक मामलों में अधिकारियों द्वारा क़ानून की सीमा उल्लङ्घन करना एक साधारण सी बात है। सच बात तो यह है, कि इन राजनीतिक अभियुक्तों के विरुद्ध सरकार के प्रतिकार की भावनाएँ इतनी प्रबल और तीव्र होती हैं कि उसे साधारण क़ानून की मर्यादा लाँघने में तनिक भी सङ्कोच नहीं होता। श्री० सुखदेवराज का दृष्टान्त इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है। ट्रिब्यूनल की सिफ़ारिश पर भी जेल-अधिकारियों के द्वारा श्री० सुखदेवराज के साधारण क़ानूनी अधिकारों को कुचला जाना इस बात का अत्यन्त करुण एवं घृणास्पद प्रमाण है कि पञ्जाब-सरकार किस भयानक रूप में क़ानून की सीमा लाँघ कर प्रतिकार की अपनी दानवी इच्छा पूरी करना चाहती है। क़ानून की दृष्टि से पञ्जाब-सरकार श्री० सुखदेवराज के साथ कोई भी ऐसा आचरण नहीं कर सकती जो जेल-नियमों का अपवाद प्रमाणित हो और वह भी विशेषकर उस अवस्था में जब कि;

(१) श्री० सुखदेवराज के अपराध प्रमाणित नहीं हुए तथा वे अभी एक अभियुक्त की हैसियत से जेल की हवालात में हैं।

(२) जबकि उनके अभियोग में स्वयं पञ्जाब-सरकार एक फ़रीक़ है।

परन्तु क़ानून की चिन्ता कौन करता है? स्वेच्छाचार की शासन-प्रणाली अबाध गति से अपने दैनिक व्यापार में संलग्न है। वहाँ न्याय एवं न्यायालय की बात कोई नहीं सुनता।

फिर भी हम सुखदेवराज के सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल के निर्णय एवं पञ्जाब सरकार के रुख़ की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता के साथ कर रहे हैं।

* * *

आत्म-समर्पण

उस दिन, विगत सोमवार ता० ६ठीं जुलाई के प्रातःकाल कलकत्ते की विशाल ऐतिहासिक नगरी ने जीवन और मृत्यु के अद्भुत सङ्गम पर सारी मानवी-उत्कण्ठाओं के आत्म-समर्पण का विचित्र अभिनय देखा था! भिन्न-भिन्न पक्ष के इतिहासकार उस अभिनय का भिन्न-भिन्न रूप देकर संसार में होने वाले घटना-चक्र के लिए अपना दैनिक कार्यक्रम पूरा करेंगे। कोई कहेगा—दिनेश हत्यारा था, आततायी था, सिम्पसन की उसने निर्दयतापूर्ण हत्या की थी और इसके दण्ड-स्वरूप उसे ६ठीं जुलाई सन् १९३१ को अलीपुर सेन्ट्रल जेल में फाँसी दे दी गई। दूसरा कहेगा—वह वीर था, देशभक्त था, मातृभूमि का शहीद था, मातृभूमि के लिए जीवित रहा और मरा। तीसरा कहेगा—हिंसा के दूषित एवं अहितकर पथ का पथिक होते हुए भी उसकी देश-भक्ति स्तुत्य और उसकी वीरता प्रशंसनीय थी! हम क्या कहेंगे, हम स्वयं नहीं जानते; पर जो कुछ भी कहेंगे, वह इतिहास की बात न होगी। इतिहास निराकार के असीम को साकार की सीमा के रूप में प्रकट करने की चेष्टा करता है—यही उसकी भूल है। दिनेश गुप्त ने अपने सीमित साकार-रूप को निस्पृह एवं निर्विकार भाव से भगवान की अनन्त निराकार ज्योति में मिला दी—यहीं उनके ओजमय व्यक्तित्व की सारी महत्ता और गौरव है!

इस स्थान पर हम श्री० दिनेश गुप्त के ग़लत अथवा सही रास्ते की आलोचना करना नहीं चाहते और न हम उनका किसी प्रकार छिद्रान्वेषण ही करना चाहते हैं; कारण, जीवन की भूलें और संसार के विकार केवल इस संसार में ही रह जाते हैं। मृत्यु, मनुष्य को जीवन की इन साधारण घटनाओं—भूल, राग, ईर्षा, द्वेष, बैर, शत्रुता आदि—से ऊँचा, बहुत ऊँचा उठा देती है! मृत्यु, मनुष्य को पृथ्वी के इस दूषित वातावरण से ऊँचा कर भगवान के उज्ज्वल आलोक में छोड़ देती है—वह मृत्यु जिसका दूसरा नाम आत्म-समर्पण है। इसी कारण हम श्री० दिनेश गुप्त के ग़लत रास्ते की चर्चा इस प्रसङ्ग में लाना नहीं चाहते। यदि उन्होंने क़ानून को अपने हाथों में लिया तो क़ानून ने इसका प्रतिकार उनके जीवन से किया; यदि उन्होंने जन-साधारण के नैतिक नियमों के विरुद्ध हिंसा की तो उस "नैतिक नियम" ने भी इसका बदला उनके सर से लिया। प्रतिशोध एवं प्रतिकार के इस प्रज्ज्वलित अग्नि-शिखा में श्री० दिनेश गुप्त की सारी कायिक एवं ऐहिक दुर्बलताएँ भस्म हो गईं और संसार के लिए उनके शुद्ध-आत्म-समर्पण की रोती और हँसती हुई कहानी शेष रह गई है; रोती, इसलिए कि आत्म-समर्पण के उस दुःखान्त अभिनय का स्मरण कर मनुष्य की कोमल भावनाएँ अनायास ही रो उठती हैं; रोती, इसलिए कि मृत्यु के एक दिन पहले जब माँ ने बेटे की ओर बेटे ने माँ की अन्तिम झाँकी की थी......और जब वात्सल्य स्नेह से आकुल होकर माँ ने पगली-माताओं की भाँति दिनेश को चूमना आरम्भ किया, तथा माता के मोह-स्नेह से कातर होकर "माँ...माँ...माँ...कहते हुए बेटे ने माँ को छाती से लगा लिया...........और जब दोनों एक-दूसरे के गले में लगे हुए बेसुध तथा आत्म-विस्मृत थे............उस समय अधिकारियों ने यह कह कर कि 'मुलाक़ात की अवधि समाप्त हो गई'—दोनों को एक-दूसरे से सदा के लिए पृथक कर दिया! और हँसती हुई, इसलिए कि दिनेश के मानवी-रूप में निर्वाण-पथ के उस स्थित-प्रज्ञ एवं जीवन-मुक्त पथिक के काँपते हुए होठों पर अन्त समय तक 'बन्देमातरम्' और मुस्कराहट थी!

फाँसी की 'सेल' चाहे जितनी भी साफ़-सुथरी क्यों न हो, पर उसका वातावरण मृत्यु के अन्धकार से सदा आच्छन्न रहता है। वहाँ सूर्य की ज्योतिर्मय रश्मियाँ भी मृत्यु की तिमिर-राशि से आच्छादित रहती हैं। उसमें जाते ही मनुष्य अपना बाह्य एवं आन्तरिक ज्ञान खो देता है! महीनों उस में रह कर भी दिनेश की चेतना-शक्ति वैसी ही थी; इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा और अनुभव किया था और इस अनुभव में उन्होंने भगवान के महाशङ्ख की आह्वान-ध्वनि सुन कर अपनी मझिदीदी को लिखा था—

शुधु जानि—जे,
शुनेछे काने
ताँहार आह्वान गीत, छुटेछे से निर्भीक पराने
सङ्कट आवर्त्त माझे, दियेछे से विश्व विसर्जन
निर्यातन लयेछे से वक्षपाति;
मृत्युर गर्जन शुनेछे से सङ्गीतेर मत।

फाँसी पड़ी, जेल के भीतर ही हिन्दू-धर्म की रीति से मृत्यु-संस्कार कराया गया, सारे दिन कलकत्ते में हड़ताल रही......ये सब बातें इतिहासकारों के लिए हैं। हम तो उस रहस्यमय आत्म-समर्पण में जीवन के एक मधुर-सङ्गीत की कल्पना करते हैं—वह मधुर सङ्गीत जो दूर से आती हुई मृत्यु की छाया से लिपटा था। उस मधुर-सङ्गीत में मृत्यु-गर्जन की भयानकता भगवान की आह्वान-ध्वनि के सौन्दर्य में परिणत हो गई थी!

मृत्यु आई और चली गई। दिनेश का सांसारिक अवशेष निराकार की छाया में परिणत हो गया! वह आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही रहेगा—कवियों के लिए रहस्य के रूप में, इतिहासकारों के लिए घटना के रूप में!!!

* * *

पण्डित जगतराम

हाल में ही पञ्जाब प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी ने इस आशय का प्रस्ताव पास किया है कि सरकार पं० जगतराम को शीघ्र ही छोड़ देने की आज्ञा दे दे। पं० जगतराम पुराने लाहौर षड्यन्त्र के एक अभियुक्त हैं और सहयोगी "यङ्ग-इण्डिया" के एक ऐसे सम्वाददाता के कथनानुसार—जो गत सत्याग्रह आन्दोलन में उनके साथ स्पेशल जेल गुजरात (पञ्जाब) में तीन महीनों तक साथी-क़ैदी थे—आपके विरुद्ध वास्तविक हिंसा का कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं हुआ। उपरोक्त षड्यन्त्र के मुक़दमे में पं० जगतराम जी को आजीवन क़ैद का दण्ड मिला और गत १६ वर्षों से आप जेल में अपनी हड्डियाँ सुखा रहे हैं। जेल के नियम के अनुसार पण्डित जी को पाँच वर्ष पहले ही मुक्त हो जाना चाहिए था। कारण १४ वर्ष सज़ा काट लेने पर आजीवन क़ैदी इस बात के अधिकारी हो जाते हैं कि उनकी बाक़ी सज़ा माफ़ कर दी जाय। परन्तु पण्डित जी अभी तक मुक्त नहीं हो सके। यहाँ एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि १४ वर्ष की सज़ा काटने के बाद पण्डित जी का मामला पञ्जाब-सरकार के सम्मुख उचित आज्ञा के लिए रक्खा गया; परन्तु पञ्जाब-सरकार ने उस समय यह उत्तर दिया कि पाँच वर्ष बाद इस मामले पर विचार किया जायगा। पाँच वर्ष पूरा हो जाने पर जब सन् १९३० ई० में पुनः उनकी रिहाई का प्रश्न पञ्जाब-सरकार के सम्मुख उपस्थित किया गया तो पुनः वही आज्ञा मिली कि पाँच वर्ष बाद उनके मामले पर विचार किया जायगा।

इस सम्बन्ध में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि पं० जगतराम के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक बन्दियों के पास भी भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारों के द्वारा यही अथवा इसी प्रकार की ही आज्ञाएँ दी गई हैं। साथ ही इस प्रसङ्ग में यह बात भी भूली नहीं जा सकती कि पं० जगतराम जैसे अभागे राजनीतिक बन्दियों की संख्या इस देश में कम नहीं है, जिन्होंने अपनी काफ़ी सज़ाएँ काट ली हैं, और जो इतने कष्टों के बाद अपना स्वास्थ्य नष्ट कर अब जेलों के जीवित मुर्दों के नाम से ही पुकारे जा सकते हैं। जब हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमारे हृदय में इस बात से स्वाभाविक चोट लगती है कि जनता ने पं० जगतराम तथा उनकी भाँति अन्य अभागे देश-भक्त एवं आजीवन-बन्दियों के छुड़ाने के लिए कोई भी उचित प्रयत्न नहीं किया। जिस देश की सेवा के पुरस्कार में पं० जगतराम तथा उनके जैसे न जाने कितने आजीवन-क़ैदी वर्षों से जेल की कठिनाइयों में अपने रक्त, मांस और जीवनों की आहुतियाँ चढ़ा रहे हों, वह देश उनके कष्टों के प्रति बहिरा हो तथा उनकी मुक्ति के लिए प्रत्येक उचित एवं शान्त उपाय का प्रयोग न करे, यह बात सारे राष्ट्र के लिए कलङ्क एवं लज्जा की है। पं० जगतराम जिन राजनीतिक अभियोगों के लिए आजीवन-क़ैद की सज़ा काट रहे हैं; उनसे हम भले ही सहमत न हों, और हैं भी नहीं; परन्तु हम उनकी देश-सेवा के भावों और उन भावों के कारण उनमें इतने विशाल-त्याग का अभिवादन करते हैं। हम हिंसा के उपासक नहीं, अहिंसा के कल्याणप्रद पथ में हमारा अन्ध-विश्वास है; फिर भी हम पं० जगतराम की देश-भक्ति और आदर्श-त्याग के क़ायल हैं और हमारी सम्मति में जनता का यह कर्तव्य है कि पं० जगतराम तथा उनकी भाँति अन्य अभागे राजनीतिक बन्दियों की मुक्ति के लिए प्रत्येक शिष्ट, शान्त उचित एवं अहिंसात्मक उपाय से देश-व्यापी आन्दोलन करें।

इस स्थान पर पञ्जाब-सरकार से भी हम दो आवश्यक बातें कहना अपना कर्तव्य समझते हैं। वह यह कि जेल-नियम की दृष्टि से पं० जगतराम की तत्क्षण मुक्ति केवल उचित ही नहीं, वरन् वाञ्छनीय है; और विशेषकर उस अवस्था में, जबकि उनका आचरण जेल-नियमों के विरुद्ध नहीं रहा है। पण्डित जी का स्वास्थ्य आवश्यकता से भी अधिक ख़राब हो गया है। उनके फ़ेफड़ों में शिकायत है; उनकी पाचन-शक्ति इतनी नष्ट हो गई है कि अब उसकी सुधार की आशा न रही। वे प्रायः बीमार रहा करते हैं। परन्तु इन सारे कष्टों पर भी उनका स्वभाव इतना मधुर एवं उनका जीवन इतना पवित्र है कि जेल के अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त पञ्जाब प्रान्त के जेलों के इन्स्पेक्टर जनरल कर्नल बार्कर भी उनसे सदा सन्तुष्ट रहते हैं; और यदि उनकी मुक्ति कर्नल बार्कर के व्यक्तिगत अधिकार की बात होती तो कदाचित वे कभी मुक्त हो गए होते।

इधर कुछ दिन हुए पण्डित जी के छोटे भाई और माता का देहान्त हो गया था। हाल में ही उनके पिता भी पुत्र की निराशा में इस संसार से चल बसे। अब उनके सम्बन्धियों में केवल उनकी अनाथिनी पत्नी ही शेष रह गई हैं। इस दशा में कम से कम मनुष्यता का आदेश भी यही है कि पञ्जाब-सरकार पं० जगतराम जी को शीघ्रातिशीघ्र छोड़ दे। और यदि पञ्जाब-सरकार मनुष्यता के इस करुण-आह्वान से द्रवित नहीं होती तो उसका यह पवित्र दायित्व है कि वह सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस सम्बन्ध में उचित प्रकाश डाले।

* * *

भारत में अलस्टर का स्वप्न

मि० फ़िलिप प्लाउडेन एक सीविलियन अङ्गरेज़ और संयुक्त प्रान्त में कहीं ज़िला-जज हैं। आपने लन्दन के 'सण्डे ग्रेफ़िक' नामक अख़बार में एक पत्र छपवा कर, भारत में अङ्गरेज़ी राज्य को महाप्रलय तक क़ायम रखने के लिए निहायत अच्छी युक्ति बताई है। भारत की वर्तमान राजनीतिक अवस्था तथा उसके भविष्य शासन-तन्त्र के सम्बन्ध में ब्रिटिश सीविलियनों की मनोवृत्ति का परिचय प्रदान करते हुए मि० प्लाउडेन ने इस बात की आशङ्का प्रकट की है कि शायद अब यह सोने के अण्डे देने वाली चिड़िया अङ्गरेज़ों के हाथ में न रहेगी।

आपकी राय है कि हिन्दुओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनमें अधिकांश राष्ट्रीयतावादी हैं और वे अङ्गरेज़ों को फूटी आँखों भी देखना नहीं चाहते। इसलिए इस समय एकमात्र उपाय है, भारत को हिन्दू और मुस्लिम, दो भागों में विभक्त कर देना। जिस तरह आयर्लैण्ड में 'अलस्टर' की सृष्टि करके उसका कुछ अंश अपने हाथों में रख लिया गया है, उसी तरह भारत में भी शीघ्र ही एक 'मुस्लिम-भारत' की नींव डाल देनी चाहिए। बस वही एक तरीक़ा है, जिससे भारत अङ्गरेज़ों के हाथों में रह सकता है।

इसके साथ ही 'मुस्लिम-भारत' के निर्माण का तरीक़ा भी मि० प्लाउडेन ने बतला दिया है। आपकी राय है कि चूँकि कराची मुस्लिम-प्रधान स्थान है, इसलिए धीरे-धीरे बम्बई की जगह कराची को भारत का प्रधान बन्दरगाह बना देना चाहिए। क्योंकि कराची को केन्द्र बना लेने पर समस्त सिन्ध, पञ्जाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त और बलूचिस्तान मुस्लिम भारत के रूप में परिणत हो जाएगा। इसका सुन्दर और सहज परिणाम यह होगा कि ईराक़, ईरान, अरब और सीरिया आदि मुस्लिम देशों से, यहाँ के मुसलमानों का घनिष्ट सम्बन्ध हो जाएगा, और वे मज़बूत हो जायँगे तथा इसके साथ ही। हिन्दू-भारत दुर्बल हो जायगा और इस दशा में इन दो भागों में विभक्त भारत का नियन्त्रण अङ्गरेज़ों के लिए निहायत आसान हो जाएगा।

ख़ैर, मि० प्लाउडेन का यह सुख-स्वप्न कभी वास्तव में परिणत होगा या नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यता नहीं। परन्तु आपके पत्र से इस बात का पता अवश्य चल सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी और उनके अनुचर-वृन्द हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव की सृष्टि के लिए क्यों इतने व्यग्र हैं। इसके साथ ही हमें इस पत्र द्वारा, मि० जिन्ना की चौदह शर्तों और सर मुहम्मद इक़बाल के मुस्लिम भारत-सम्बन्धी स्वप्न की मूल भित्ति का भी पता लग जाता है। साथ ही यह समझना भी कुछ कठिन नहीं रह जाता कि मौ० शौकतअली, सर शफ़ी और सर फ़ज़्ले हुसेन आदि क्यों पृथक निर्वाचन के लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक कर रहे हैं।

उपरोक्त बातों के लिए हमें मि० प्लाउडेन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, साथ ही आपकी बातों से भारत के राष्ट्रीयतावादी मुसलमानों को तो सावधान होना ही चाहिए, कॉङ्ग्रेस को भी हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रश्न पर ख़ूब गम्भीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर आगामी राउण्डटेबुल कॉन्फ़्रेन्स में अखिल भारत की समवेत माँग पेश करने के लोभ में पड़, कॉन्फ़्रेन्स में साम्प्रदायिकता को प्रश्रय देकर शौकतपन्थियों के साथ किसी प्रकार का समझौता किया तो परिणाम अच्छा न होगा और मि० प्लाउडेन का दिवा-स्वप्न एक दिन निश्चय ही सत्य में परिणत हो जायगा।

* * *

अहिंसा ही अन्तर्राष्ट्रीय अस्त्र होगी !

फ़ादर एलविन् तथा सेण्ट ऐण्ड्र्यूज़ ऐसे महात्माओं में से हैं, जो भारत की कल्याण-कामना में ही अहर्निशि लगे रहते हैं, जिनके जीवन का प्रत्येक पल भारत की दरिद्रता और ग़ुलामी दूर करने तथा उसे स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने में बीतता है। अभी-अभी जब महात्मा जी बोरसद में भ्रमण कर रहे थे, उस समय उनके साथ फ़ादर एलविन्, प० जवाहरलाल नेहरू और ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ भी थे। 'दोहद' में गत १ली जुलाई को भाषण देते हुए फ़ादर एलविन् ने अत्यन्त ओजपूर्ण शब्दों में कहा:—

"सन् १९१९ में मैं साम्राज्यवादी था। जब मैंने अमृतसर-हत्याकाण्ड के विषय में सुना तो मैंने उसका समर्थन किया। परन्तु इसके अनन्तर ऑक्सफ़र्ड में महात्मा गाँधी की पुस्तकों की प्रेरणा से मेरे भीतर एक विचित्र परिवर्तन और उथल-पुथल मचा। मेरी यह धारणा हो गई कि उस युद्ध और पाशविक शक्ति का प्रतिकार केवल 'प्रेम' ही है।

"मैं भारत के लिए इसलिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरा यह निश्चय है कि भारतवर्ष को इस ब्रिटिश साम्राज्य के बन्धन से मुक्त हो जाना चाहिए। उससे दोनों देशों का कल्याण होगा। भारतवर्ष स्वतन्त्र होकर एक विशाल राष्ट्र बन जाएगा। अमेरिका के किसी दार्शनिक ने कहा है कि ब्रिटेन वाले भारत को अपना ग़ुलाम बना कर सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। जितनी सचाई के साथ मैं अपनी स्वतन्त्रता का इच्छुक हूँ, उतनी ही सचाई से मैं भारतवर्ष की स्वतन्त्रता का पुजारी हूँ।

"मैं महात्मा गाँधी को ब्रिटिश साम्राज्य का शत्रु नहीं समझता, परन्तु उसका त्राता समझ कर उनकी पूजा करता हूँ। उन्होंने यह दिखला दिया है कि सच्चा धर्म मन्दिरों में नहीं है, वरन् संसार की सेवा में है। यदि कोई धर्म अपने अनुयायियों को किसी दूसरे देश को अपने अधीन रखने की शिक्षा देता है तो वह धर्म कदापि कहला नहीं सकता। धर्म का दूसरा नाम प्रेम है, प्रेम से बढ़ कर शक्तिशाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आज यूरोप वाले ऐसी-ऐसी मैशीनों के आविष्कार में फँसे हुए हैं, जो एक ही क्षण में शहर का शहर तथा समूह के समूह आदमियों को धूल में मिला दे। इस महान आपत्ति से बचने का एक ही रास्ता है और वह है राजनीति में धर्म और प्रेम का प्रवेश। अपने झगड़ों को तय करने के लिए महात्मा जी ने हमें यह एक अन्तर्राष्ट्रीय अस्त्र प्रदान किया है।

"चर्ख़ा को पुनरुज्जीवित कर महात्मा जी ने संसार का बड़ा कल्याण किया है! चर्ख़ा ही ऐसी चीज़ है, जिससे भारतवर्ष के करोड़ों कङ्गाल और दरिद्रों की रोटी का प्रश्न हल होगा! सरदार वल्लभभाई पटेल ने मुझसे एक बार कहा था, कि चर्ख़ा के प्रवेश करते ही घर में ताड़ी और शराब की बोतलें घुसने नहीं पातीं! ठीक जैसे ईसाइयों को क्रॉस का अर्थ त्याग और सेवा है, उसी प्रकार चर्ख़ा भी सेवा और त्याग का द्योतक है। यह धनी और ग़रीब तथा एक जाति को दूसरी जाति से मिला देता है। गाँधी जी दरिद्रों और किसानों के लिए स्वराज्य चाहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने जितनी सेवा भारतवर्ष की पिछले १५० साल में की है, उससे कहीं अधिक गाँधी जी ने केवल १० वर्षों में की है।"

* * *

क्षमा

[श्री० कन्हैयालाल जी टण्डन]

पास पहुँच कर जयरामसिंह ने सलाम करते हुए कहा—गुड ईव्निङ्ग सर !

"गुड ईव्निङ्ग ठाकुर ।"—कॉलेज के प्रिन्सिपल साहब ने बेत की कुर्सी पर उसको बैठने के लिए इशारा करते हुए कहा—"तुम्हारी याद ही कर रहा था कि तुम समय पर आ गए ।"

प्रिन्सिपल साहब टेनिस खेल कर सुस्ता रहे थे। उनके एक हाथ में रैकेट था और दूसरे में फूल थे। उनकी मेम भी पास ही बैठी थीं।

प्रिन्सिपल साहब ने बातचीत शुरू करने के लिए जयरामसिंह की तरफ़ देखा। वह अभी तक खड़ा ही था।

"बैठ जाओ ठाकुर, तुम्हारे अनुभव सुन कर मैं बहुत प्रसन्न हूँगा ।"—प्रिन्सिपल ने बुज़ुर्गाना लहजे में कहा।

मेम साहिबा जो पास ही बैठी थीं, उन्होंने पूछा—यदि मेरी उपस्थिति से आप लोगों की बातों में विघ्न पड़ने की सम्भावना हो तो मैं चली जाऊँ।

"नहीं मैडम"—जयराम ने जवाब दिया—"आपके बैठे रहने से मेरा भला ही है ।"

मेम ने अपने पति की ओर दृष्टि फेरी। साहब ने सिगरेट निकालते हुए कहा—"बैठो रहो प्रिये, ठाकुर बड़ी उपयोगी बातें बताएगा ।" सिगरेट जला कर साहब ने जयराम को सङ्केत किया।

जयरामसिंह ने अपने कॉलेज छोड़ने के समय के मनोभाव, उसके बाद के कार्य, गिरफ़्तारी और सज़ा इत्यादि का सारा हाल संक्षेप में सुना दिया।

"ओ, आई सी, तुम भी ऑर्डिनेन्स के अनुसार बन्दी बनाए गए थे ?"—साहब ने अचरज भरे स्वर में कहा—"मैंने तो सुना था कि तुम नमक बनाते थे ।"

मेम साहिबा न जानें क्या सोच रही थीं, उन्होंने टोंक कर पूछा—तो तुम लोगों ने सफ़ाई नहीं पेश की ?

"नहीं मैडम"—जयराम ने पहिले मेम को उत्तर दिया—"हम लोग बिल्कुल चुप रहे। हमसे कुछ पूछा भी नहीं गया। मैजिस्ट्रेट साहब के सामने हम भेड़ों की तरह कोई २० मिनट तक खड़े रहे। बस, फ़ैसला हो गया !"

"तुमको किसी ने पहिचाना था ? कितनी गवाहियाँ हुई थीं ?"—मेम ने वकील की तरह पूछा।

"अपराध तो प्रकट ही था। इसलिए कचहरी के आचार-व्यवहार में समय नष्ट न करके मैजिस्ट्रेट ने ठीक ही किया ।"—साहब ने सिगरेट में अन्तिम दम लगा कर उसे फेंकते-फेंकते कहा—"तुमको किस दर्जे में रक्खा गया था ?"

"हमें सी क्लास मिला था। हममें से किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की ।"—जयराम ने ज़रा सिर को ऊँचा करके कहा।

धीरे-धीरे अँधेरा हो चला था। नीलाकाश में एक-दो तारे भी निकल आए थे, इसलिए जयराम को प्रिन्सिपल साहब की पेशानी की सिकुड़न नहीं दिखाई पड़ी। वह धड़ल्ले के साथ नमक-आन्दोलन के समय के पुलीस के अत्याचारों का वर्णन कर गया और साथ ही लाठी-राज्य की निन्दा भी की।

मेम साहिबा बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थीं। उसके चुप हो जाने पर उन्होंने पूछा—"तुमको जेल में तो बड़ी तकलीफ़ हुई होगी। वहाँ क्या खाने को मिलता था ?" मेम के स्वर में समवेदना साफ़ झलक रही थी।

जयराम ने किञ्चित उत्साहित होकर मुस्कराते हुए कहा—"ज्वार-बाजरे की रेत मिली कच्ची-जली रोटियाँ, इमली और नमक का अधपका रसा और वनस्पति के साग। कभी-कभी काली दाल और लाल मिर्च भी मिल जाती थी ।" इसके बाद उसने खटमल, मच्छर, जुएँ और गन्दगी आदि जेल के साथियों का भी ज़िक्र कर दिया। पानी की कमी का उल्लेख करना भी न भूला। परन्तु मेम की इच्छा पूरी न हुई। उन्होंने बड़ा दुःख प्रकट किया और पूरी कहानी सुनाने के लिए जयराम को किसी दूसरे दिन का निमन्त्रण देकर वह बँगले में चली गईं।

प्रिन्सिपल साहब अपना क्रोध बड़ी सफ़ाई से छुपा लेते थे और भीतर ही भीतर कुढ़ कर रह जाते थे। उन्होंने जयराम की बातों पर अपना कोई मन्तव्य नहीं प्रकट किया। इसलिए जयराम की भोली समझ ने समय को अपने अनुकूल समझा और उसने प्रिन्सिपल साहब से नम्रतापूर्वक प्रार्थना की—"मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे फिर कॉलेज में प्रवेश करने की स्वीकृति दे देंगे। क्योंकि अब समझौता हो गया है और आन्दोलन भी रुक गया है। मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी अभिलाषा है, और मैं अपना समय भी नहीं खोया चाहता हूँ। मैं विज्ञान-विभाग का छात्र हूँ, बिना कॉलेज में आए और प्रयोग किए मैं कुछ भी नहीं सीख सकता। इसलिए कृपा करके मुझे आज्ञा दे दीजिए ।"

"देखो ठाकुर, मुझे बड़ा दुःख होता है कि तुम्हारे जैसे होशियार और मेहनती विद्यार्थी को मुझे निराश करना पड़ रहा है। डाईरेक्टर ऑफ़ एजूकेशन का यह सरकूलर निकल गया है कि भद्र-अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने वाले किसी भी छात्र को कॉलेज में पुनः प्रविष्ट न होने दिया जाय ।"—प्रिन्सिपल साहब ने बड़ी गम्भीरता से कहा।

"महाशय, मैं आपसे न्याय पाने की आशा रखता हूँ। इसीसे मैं आपके पास आया हूँ। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। देश-प्रेम प्रत्येक युवक में होना स्वाभाविक है और यदि कोई उच्च भाव से प्रेरित होकर कोई ग़लती भी कर दे, तो भद्र मनुष्य उसे क्षमा कर देते हैं। फिर आपतो पादरी (रेवरेण्ड) हैं, आपका तो इस देश के युवकों को उच्चतम शिक्षा देना प्रधान उद्देश्य है ।"—जयराम ने साहब के चेहरे की तरफ़ देख कर अन्तिम वाक्य आवेगपूर्ण स्वर में कहा।

"मेरे पास तुम शनिवार को दो बजे आना ।"—यह कह कर साहब उठ कर खड़े हो गए।

जयरामसिंह भी उठ कर "वेरी वेल सर, गुडबाई सर" कह कर चला आया।

२

जिस कॉलेज में ठाकुर जयरामसिंह पढ़ता था, वह ईसाई मिश्नरियों का स्थापित किया हुआ था। रेवरेण्ड बुल उसके प्रिन्सिपल थे। उनकी पत्नी श्रीमती बुल थीं तो अङ्गरेज़ माता-पिता की सन्तान, परन्तु उनका जन्म अमेरिका में हुआ था और उन्होंने शिक्षा भी वहीं पाई थी, इसलिए वह स्वतन्त्र विचार की थीं और उसी मिशन के एक गर्ल्स स्कूल में प्रधानाध्यापिका थीं। रेवरेण्ड बुल भारत में ईसाई-धर्म का प्रचार करने आए थे और भारतवासियों को ईसाई बनाने में सब उपायों का अवलम्बन करते थे, परन्तु मेम का मत भिन्न था। कोई ईसाई-मत ग्रहण करे या न करे, वह सबका समान रूप से उपकार करना चाहती थीं। मिशन का उद्देश्य उनकी समझ में जन-सेवा था।

शुक्रवार की साँझ को चाय पीकर मेम साहिबा अपने कमरे में पहुँची ही थीं कि अर्दली ने एक काग़ज़ का पुर्ज़ा लाकर उन्हें दिया। उस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था—ठाकुर जयरामसिंह।

मेम तुरन्त उठ कर बाहर आईं और जयराम को देख कर प्रसन्नता से बोलीं—"भीतर चले आओ मिस्टर ठाकुर, तुम बड़े उपयुक्त समय पर आए। मेरा मन ऊब रहा था और मैं जी बहलाने के लिए एक उपन्यास ढूँढ़ने को थी। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ।" मेम ने मीठी और कोमल वाणी से उसका स्वागत किया।

जयराम और मेम एक मेज़ पर आमने-सामने दो कुर्सियों पर बैठ कर बातें करने लगे। मेम बड़ी उत्सुकता से पिकेटिङ्ग, करबन्दी, नमक-आन्दोलन, धरासना की चढ़ाई और शोलापुर तथा पेशावर की घटनाएँ सुनती रहीं। जेल इत्यादि विषयों पर प्रश्न पर प्रश्न करती जाती थीं। जयराम भी बड़े धैर्य और उत्साह से उन्हें उत्तर देता और समझाता जाता था।

"तुम्हारी बातों और समाचार-पत्रों के लेखों में बड़ा अन्तर है। परन्तु तो भी तुम्हारी बातें मुझे सच्ची जान पड़ती हैं। तुम्हारे चेहरे पर निष्पक्षता का भाव है ।"—मेम ने अन्त में कहा।

"थैङ्क यु वेरीमच मैडम, मैंने आपसे कोई बात घटा-बढ़ा कर नहीं कही है।............आप कौन सा अख़बार पढ़ती हैं ?"—जयराम ने शङ्का दूर करने की इच्छा से पूछा।

"'पायोनियर' और 'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया।' कभी-कभी 'स्टेट्समैन' भी पढ़ लिया करती हूँ ।"—मेम ने कहा !

"मैडम, इन पत्रों के सम्पादकों को भारतीय स्वतन्त्रता से तनिक भी सहानुभूति नहीं है, इसीलिए वे........."

जयराम को टोंक कर मेम साहिबा बोल उठीं—"हाँ, हाँ, यह बात स्पष्ट ही है। मैं इसे ख़ूब समझती हूँ। मिस

स्लेड से तुम कभी मिले हो ?"—मेम ने उत्सुकता से पूछा।

"नहीं मैडम, उस देवी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ है।"—जयराम ने सम्मानसूचक स्वर में उत्तर दिया।

"मुझे बड़ी डाह होती है, मिस स्लेड ने ख़ूब प्रतिष्ठा पाई है। कदाचित् मैं भी........."

मेम ने अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि रेवरेण्ड बुल ने दरवाज़े पर आकर कहा—प्रिये, यदि तुम्हें फ़ुर्सत हो तो ज़रा चल कर प्यानो बजाओ। मिस्टर स्नील और मिस्टर क्रेक रीडिङ्ग रूम में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मेम ने जयराम को बिदा कर दिया। साहब ने मेम से, दूसरे कमरे में जाते-जाते कहा—प्यारी, ऐसे मनुष्यों से ज़्यादा बातें मत किया करो। ये लोग दूसरे के विचारों को विषाक्त बनाने में बड़े चतुर होते हैं।

मेम का ध्यान दूसरी तरफ़ था। उन्होंने सुन कर भी साहब का मतलब नहीं समझा। वह तेज़ी से रीडिङ्ग रूम में चली गईं।

परन्तु आज मेसर्स क्रेक और स्नील जल्दी चले गए। क्योंकि मेम कुछ चिन्तित दिखाई पड़ती थीं। प्यानो बज रहा था, पर उसके स्वर में उतनी सरसता नहीं थी। मेम और साहब मित्रों को बँगले के फाटक तक पहुँचाने गए। लौटते समय मेम ने कहा—प्यारे, ठाकुर बड़ा सहृदय युवक है।

"उसका जादू तुम पर चल गया न ? प्रिये, वह एक विद्रोही है; कॉलेज में वह पुनः प्रवेश करना चाहता है।"—साहब ने चौकन्ना होकर कहा।

"अरे, तुम विद्रोही का क्या अर्थ करते हो ?"—मेम ने सहम कर पूछा।

"वह जेल काट चुका है; वह न्याय और क़ानून का विरोध करता है।"—साहब ने समझाया।

"यदि ऐसा था तो तुमने उसे उस दिन क्यों बुलाया था ?"—मेम ने उत्तेजित स्वर में पूछा।

"तुम बड़ी भोली हो, मेरी प्यारी, तुम्हें मालूम नहीं कि विष शक्कर में मिला कर दिया जाता है। मैं उसे कॉलेज में पुनः प्रविष्ट नहीं होने दूँगा।"—साहब ने दृढ़ शब्दों में कहा।

"तो तुम उस बेचारे को विष देना चाहते हो ?"—मेम का चेहरा लाल पड़ गया।

"हाँ, क्योंकि उसने सरकार के विरुद्ध आन्दोलन में भाग लिया, क्रान्ति मचाई, क़ानून तोड़ा, अदालत की अवहेलना की—वह विद्रोही है।"—साहब ने बड़ी नर्मी से उत्तर दिया।

मेम ने भी नरम होकर कहा—पर हम लोग तो मिश्नरी हैं, हमें राजनीति से क्या मतलब ?

"तुम बड़ी नासमझ हो प्रिये, तुम अपना अङ्गरेज़ होने का कर्त्तव्य भूल रही हो। यह ब्रिटेन का शत्रु है। भारत से हमारा साम्राज्य मिटाया चाहता है। इसने बाईबिल की शिक्षा में अड़ङ्गा लगाया, कॉलेज में पिकेटिङ्ग करवाया और हमारे व्यापार को मिटाया है। तुम्हारे भाई डिक् को कपड़े के व्यापार में क्या कम घाटा हुआ है ? और"—प्रिन्सिपल साहब ने अपने स्वर को ज़रा और धीमा कर दिया—"हम लोग इन्हें ईसाई बनाने में इतना रुपया ख़र्च करते हैं, तो केवल इसलिए कि ये भारत में हमारे साम्राज्य की नींव जमाए रक्खेंगे। और, यह पाजी अगर विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा, तो क्रान्ति-दल में मिल कर बहुत-कुछ अनर्थ कर डालेगा।"

मेम ज़्यादा न सुन सकीं। वह बिना कुछ कहे ही जल्दी-जल्दी अपने कमरे में चली गईं और बेचारे साहब भी कुछ खिन्न होकर अपने रीडिङ्ग रूप में जा बैठे।

कमरे के किवाड़ लगा कर मेम ने एक पीतल के क्रूस के आगे घुटने टेक दिए। उनकी आँखों में आँसू थे। वह गद्गद स्वर से कुछ प्रार्थना करने लगीं।

३

मेम अपने स्कूल में लड़कियों से बातचीत कर रही थीं और बीच-बीच में हँसती जाती थीं। आज शनिवार होने के कारण डेढ़ ही बजे छुट्टी हो गई थी। पर स्कूल की मोटर ख़राब हो जाने के कारण दूर रहने वाली लड़कियाँ अपने घर नहीं जा सकी थीं। ये सभी लड़कियाँ ऊँची कक्षाओं की थीं। वे मेम की स्वतन्त्र अमेरिकन वाणी से कभी-कभी लजा जाती थीं।

एक तेरह वर्षीया बालिका का विवाह हाल ही में हुआ था। उसने स्कूल छोड़ दिया था और अपनी सहपाठिनियों, सखियों और अध्यापिकाओं से अन्तिम बार भेंट करने आई थी। मेम उससे पूछती थीं—तुम्हारा पति कैसा है ? सुन्दर तो अवश्य होगा। वह पढ़ता क्या है ? उसकी आयु कितनी है ? क्या वह तुम्हें पसन्द है ? इत्यादि।

बेचारी बालिका गर्दन नीची किए सिकुड़ी जाती थी। किसी तरफ़ देखने का साहस नहीं कर सकती

मेघ

[श्री० गायत्री देवी 'विन्दु']

नहीं मेघ ! तुम सा उपकारी अखिल विश्व में कोई अन्य,
धन्य तुम्हारा स्वार्थ-त्याग है, धन्य तुम्हारा जीवन धन्य !
निज जीवन देकर करते हो तुम औरों को जीवन-दान,
सह कर कष्ट किया करते हो अन्य जनों का तुम उत्थान !
सदा मिटा कर तुम अपने को करते औरों का दुख दूर,
नीर-सुधा बरसा कर करते मत्त-दिवाकर का मद चूर !
खो अपना अस्तित्व बुझाते, प्यासी बसुन्धरा की प्यास,
'विन्दु' जगत में तुम्हीं धन्य जो परहित करते अपना नाश !

थी। उससे किसी ने ऐसे विकट प्रश्न नहीं किए थे, बेचारी क्या जवाब देती ?

मेम ने अपनी कलाई पर बँधी घड़ी को देखा, दो बज कर चार या पाँच मिनट हुए थे। वह बोलीं—"मुझे तीन बजे एक जगह जाना है।" यह कह कर वह चली गईं।

गर्ल्स-स्कूल से ५० गज़ की दूरी पर कॉलेज का फाटक था और उसके सामने सड़क के उस पार मेम के बङ्गले का फाटक था। फाटक के पास ही माली क्यारियों की मट्टी खोद रहा था। उससे मालूम हुआ कि साहब अभी बङ्गले में नहीं आए हैं। कॉलेज की भी छुट्टी डेढ़ ही बजे हो चुकी थी। विद्यार्थी और अध्यापक सब अपने-अपने घर चले गए थे। परन्तु साहब क्यों रह गए ? मेम को ज़रा चिन्ता सी हुई।

मेम अपने पति के कमरे के दरवाज़े पर पहुँचीं। अर्दली ने उठ कर सलाम किया और कहा—"साहब का हुक्म है कि कोई भीतर न आने पावे।" मेम ने आगे बढ़ कर किवाड़ों पर हाथ मारा, शीशों में से झाँका, पर कुछ दिखाई नहीं पड़ा; क्योंकि चिक पड़ी थी और सब खिड़कियाँ बन्द थीं।

किवाड़ों पर थपकी सुन कर साहब चिक और किवाड़ों के बीच आकर खड़े हुए। मेम को देख कर उन्होंने चटख़नी खोल दी। मेम भीतर चली गईं।

मेम को कमरे के अन्दर जाते समय बड़ा डर लगा और भीतर जाकर वहाँ का हाल देखा तो चेहरा एकदम फ़क पड़ गया। मुँह से आवाज़ न निकली और धम् से एक कुरसी पर बैठ गईं। जब मेम का चक्कर दूर हुआ तो उन्होंने साहब की तरफ़ देखा। साहब का चेहरा भी सूखा हुआ था।

"क्या बात हुई; वह मर तो नहीं गया ?"—मेम ने डरते-डरते पूछा।

जयराम फ़र्श पर पड़ा था। उसकी पसलियों के पास कोट पर साहब के बूट का निशान था और उसके मुँह से ख़ून बहा हुआ था।

"नहीं, वह बेहोश है। मैंने डॉक्टर जेक्सन को बुलाया है।"—साहब ने भर्राई हुई आवाज़ में जवाब दिया।

"यह ऐसा कैसे हुआ ?"—मेम ने धीमी, परन्तु उत्सुकतापूर्ण वाणी से पूछा—"तुमने यह क्या अनर्थ कर डाला ?"

"क्या बताऊँ ?"—साहब ने नीची गर्दन किए हुए कहा—"मैं इसे समझाता था कि ईसाई-धर्म ग्रहण कर ले, तो मैं फिर इसे कॉलेज में भरती कर लूँ और छात्र-वृत्ति भी दिला दूँ। इस पर यह नाराज़ हो गया और बोला—'मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि अङ्गरेज़ कैसे स्वार्थी होते हैं। क्या तुम समझते हो कि मैं छात्रवृत्ति के प्रलोभन में पड़ कर अपने पवित्र धर्म का परित्याग कर दूँगा ? क्या तुमने इसीलिए मुझे शनिवार को बुलाया था ?' इस पर मुझे क्रोध आ गया।" साहब हाँफने लगे—"पहिले तो मैंने उसके एक घूँसा लगाया, फिर एक लात जमाया, फिर दूसरा लात जमाया। वह ज़मीन पर गिर गया। मैं समझा, मक्कारी करता है।"

"क्रोध में आदमी को बुद्धि मारी जाती है।"—मेम ने भर्त्सनापूर्वक कहा।

साहब के होठ काँपने लगे। परन्तु अब उनमें किसी पर ग़ुस्सा करने की शक्ति नहीं रह गई थी।

"फिर क्या किया ?"—मेम ने पूछा।

"फिर...फिर...फिर अचानक टेबिल-फ़ैन उसकी छाती पर गिर गया। तब से वह बेहोश पड़ा है।"—साहब की आँखों में पश्चात्ताप नाच रहा था।

मेम—उफ़ ! उफ़ ! हाय-हाय !! तुमने अनर्थ कर डाला।

थोड़ी देर बाद डॉक्टर जेक्सन आए, और उनके उपचार से जयराम को होश आ गया।

उसे एक स्ट्रेचर पर डाल कर वे दोनों बङ्गले में ले गए। कॉलेज के सेक्रेटरी ने रास्ते में पूछा तो साहब ने कह दिया कि उसे दौरा आ गया।

दवाई पीने से उसके शरीर में कुछ उत्तेजना आ गई।

मेम ने जयराम के पास कोच पर बैठ कर उससे पूछा—तुम साहब के ऊपर मामला चलाओगे ? मैं गवाही दूँगी।

"नहीं मैडम"—उसने कहा—"मैं ग़लत रास्ते पर था, ठोकरों ने मुझे सीधा रास्ता बतलाया है।"

"क्या रास्ता बतलाया है ?"—मैडम ने घबड़ा कर पूछा। साहब सिरहाने खड़े थे। उनका मुँह सूख गया।

"आप घबड़ाइए नहीं, मेरे मन में बदला लेने का भाव नहीं है। मैं इस घटना की चर्चा भी किसी से न करूँगा।"—जयराम ने धीमे स्वर में रुक-रुक कर कहा।

"परन्तु तुम्हारी हालत बिगड़ रही है; तुम्हें चोट लग गई है। इसके बारे में अपने मित्रों और सम्बन्धियों से क्या कहोगे ?"—मेम ने समवेदना दिखाते हुए पूछा।

"कुछ कह दूँगा।"—जयराम ने रुक-रुक कर कहा।

"यह कह देना कि दौरा आ गया था।"—प्रिन्सिपल साहब बोल उठे।

यह सुन कर जयराम ने हँस दिया। परन्तु मेम का

चेहरा तमतमा उठा। उसने घृणा-भरी दृष्टि से पति की ओर देख कर कहा—चुप रहो, कायर! क्या तुम्हें शरम नहीं आती!

४

रेवरेण्ड बुल की निष्ठुरता का उनकी पत्नी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जयराम को उसके घर पहुँचा कर वे बङ्गले पर लौट आईं और अपने कमरे का दरवाज़ा बन्द करके आरामकुर्सी पर लेट गईं। साहब ने कई बार पुकारा, कई बार दरवाज़ा थपथपाया और कई बार "मे आई कम इन डार्लिङ्ग" कह कर अन्दर आने की अनुमति चाही। परन्तु मेम ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वे रात भर उसी तरह लेटी हुई चिन्ता-सागर की तरङ्गों में डूबती-उतराती रहीं।

सवेरे उठीं तो उनका चेहरा भर्राया हुआ था। घोर मानसिक उथल-पुथल के स्पष्ट चिह्न चेहरे पर प्रकट हो रहे थे। ख़ानसामा चाय लेकर आया, परन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया। साहब ने कुछ बोलने की चेष्टा की, परन्तु व्यर्थ! वे फ़ौरन् कपड़े बदल कर बाहर चली गईं और फिर बङ्गले पर वापस न आईं।

हाल में सुनने में आया है कि उन्होंने रेवरेण्ड बुल को तलाक़ देने के साथ ही ईसाई-धर्म का भी परित्याग कर दिया है और शुद्ध होकर हिन्दू बन गई हैं। दीन-दरिद्र भारतवासियों की सेवा उनका जीवन-व्रत है। वे बहुधा गेरिक वसन पहने और हाथ में एक कमण्डलु लिए छोटे-छोटे गाँवों में भ्रमण किया करती हैं। अशिक्षित ग्रामवासियों को शिक्षा देना, उन्हें सफ़ाई सिखलाना और बीमारी में उनकी दवा-दारू तथा सेवा-शुश्रूषा करना उनका प्रधान धर्म है। इसके सिवा वे अछूतोद्धार सम्बन्धी कामों में भी भाग लेती हैं। खद्दर-प्रचार और देशवासियों को महात्मा गाँधी के अहिंसात्मक आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी उनका काम है।

ठाकुर जयरामसिंह छाया की भाँति उनके साथ रहते हैं। उन्होंने आगे पढ़ कर डिग्री प्राप्त करने का विचार बिल्कुल छोड़ दिया है। इन लोगों ने देश के किसानों को शिक्षित बनाने की एक 'स्कीम' भी तैयार की है। गाँवों के नवयुवकों और नवयुवतियों पर इन लोगों का बड़ा प्रभाव है। गाँव-गाँव में इनके किसान-सेवक-दल तैयार हैं।

मनसिला एक छोटा-सा गाँव है। यहाँ के सभी अधिवासी किसान अथच अपढ़ तथा गँवार हैं। कई वर्षों के लगातार अवर्षण के कारण गाँव में अकाल पड़ गया है। लोग दाने-दाने को तरस रहे हैं। तिस पर से, कुछ दिन हुए, हैज़ा भी बुरी तरह फैल गया है। मानो अकाल-पीड़ित ग्रामीणों को भूख की ज्वाला से बचाने के लिए विधाता ने उन्हें इस धराधाम से उठा लेना ही उचित समझा है!

मनसिला-वासियों की विषम विपत्ति का समाचार पाकर मैडम बुल तथा जयरामसिंह कतिपय स्वयंसेवकों के साथ वहाँ पहुँच गए हैं। पीड़ितों की चिकित्सा और सेवा-शुश्रूषा का समुचित प्रबन्ध हो गया है। मैडम स्वयं घर-घर घूम कर आतुरों की सेवा कर रही हैं। स्वयंसेवक-दल भी उनकी आज्ञा के अनुसार दिन-रात रोगियों की तीमारदारी में लगा है।

इधर रेवरेण्ड बुल भी दलबल सहित गाँव वालों को पवित्र ईसाई-धर्म ग्रहण कराने के लिए पहुँच गए हैं। उन्होंने इस अवसर को ग़नीमत समझा है। क्योंकि उनका विश्वास है कि क्षुधा-पीड़ित और रोग-ग्रस्त ग्रामीण चिकित्सा और खाद्य पदार्थों के लोभ में पड़ कर बड़ी आसानी से प्रभु ईसा मसीह की शरण में आ जाएँगे।

इनके दल ने गाँव से कुछ दूर एक स्वास्थ्यकर स्थान पर अपना छोटा सा ख़ीमा खड़ा कर दिया है। बावर्ची, ख़ानसामाँ, चूल्हा, पलङ्ग, बिस्तरा, खाद्य-सामग्री, सोडा-वाटर और शराब की बोतलें आदि किसी चीज़ की कमी नहीं। 'मत्ती रचित सुसमाचार' की हज़ारों प्रतियाँ गाँवों में वितरण कर दी गई हैं। ईसाई-धर्म की महत्ता समझाने के लिए व्याख्यानों का भी प्रबन्ध है।

रेवरेण्ड महोदय ख़ीमे के बाहर आरामकुर्सी पर लेटे सिगार पी रहे हैं। मैडम बुल और उनके स्वयंसेवकों के आने की ख़बर भी उन्हें लग चुकी है। इसलिए प्यारी पत्नी की स्मृति एक बार ताज़ी हो आई है। इसीसे वे इस समय विशेष चिन्ता-ग्रस्त मालूम पड़ते हैं।

एकाएक साहब उठे और छड़ी लेकर टहलते हुए उस स्थान की ओर चल पड़े, जहाँ मैडम बुल अपने स्वयंसेवकों के साथ एक किसान की झोपड़ी में ठहरी हुई थीं। साहब कम्पित हृदय से झोपड़ी के पास जाकर खड़े हो गए।

"कौन हैं आप, क्या चाहते हैं?"—एक स्वयंसेवक ने विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया।

"मैं आपकी देवी जी का दर्शन करना चाहता हूँ।"—साहब ने उत्तर दिया।

"अच्छा!"—कह कर स्वयंसेवक ने झोपड़ी के अन्दर जाकर मैडम को एक अजनबी साहब के आने की ख़बर दी।

मैडम बाहर निकल आईं और सहसा पति को खड़ा देख कर क्षण भर के लिए स्तम्भित सी रह गईं। इतने में साहब ने टोपी उतार कर उनका अभिवादन किया और अत्यन्त कातर स्वर से बोले—प्रिये, क्या मुझे क्षमा कर सकती हो? मैं अपने पूर्व-कृत पाप का प्रायश्चित्त करने को तैयार हूँ और सारा जीवन तुम्हारे साथ रह कर ग़रीबों की सेवा में बिताना चाहता हूँ।

मैडम की आँखें भर आईं। उन्होंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा—परम पिता तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे।

* * *

स्मृति

[श्री० विद्यावती सुशरान]

बाल्यकाल की मधुर-स्मृतियाँ,
किसको नहीं रुलाती हैं?
धूल भरे तन को क्रीड़ाएँ,
याद न किसको आती हैं?

❀

माता का वह प्यारा चुम्बन,
भाई-बहिनों का वह प्यार!
किसे नहीं भाता वह जीवन,
था जिसमें सब सुख का सार?

❀

बाल्यकाल का मधुर मचलना,
उस पर माँ का करना प्यार!
बनी हुई रहती थी सबकी,
गोदी का सुखकर श्रृङ्गार!!

❀

प्रभुवर! दे दो पुनः मुझे तुम,
मेरा वह प्रिय शैशव-काल!
मुझको नहीं चाहिए, ले लो,
यह विकारयुत यौवन-काल!!

रजत-रज

[संग्रहकर्ता—श्री० लक्ष्मीनारायण जी अग्रवाल]

तीर के छूटने के पूर्व धनुष उससे धीरे से कहता है—"तुम्हारी स्वतन्त्रता मेरी भी स्वतन्त्रता है।"

❀

सच्चा सिपाही न जय में उन्मत्त होता है, न पराजय में साहस खोता है। पराजय में उसकी विजय होती है। वह जीत में तो लड़ाइयाँ जीतता है और हार में अपनी दुर्बलताओं को।

❀

सरिता भयभीत होकर बड़े वेग से अपने प्रियतम उदधि की ओर भागती है।

❀

अन्धकार स्वयं प्रतीत हो जाता है। उसे दीपक लेकर ढूँढने की आवश्यकता नहीं होती।

❀

विनय मनुष्य को ऊपर उठाता है। गर्व मनुष्य को नीचे गिराता है।

❀

माँ-पृथिवी पर भास्कर का अत्याचार सुनते ही मेघ आ पहुँचे। उन्होंने कहा—"माँ, तू ही हमारी जन्म-दात्री है। तेरे उद्धार में यदि हमें प्राण भी विसर्जन करने पड़ें तो कोई चिन्ता नहीं।" बर्बर सूर्य ने अबला पृथ्वी पर अपने द्वारा किए हुए अत्याचारों पर पश्चात्ताप हुआ। उसने अपना मुँह छिपा लिया।

❀

लुटेरों का धन्धा धनिकों की लूट का प्रतिबिम्ब है।

❀

रजनी ने दिनपति से कहा—चन्द्रमा द्वारा तुम अपना प्रेम-पत्र मेरे पास भेजते हो। मैं घास पर आँसुओं में अपना उत्तर छोड़ जाती हूँ।

❀

प्रकृति स्वतन्त्र है, क्योंकि वह नियमबद्ध है।

❀

बालक के मुख पर उसका भविष्य अङ्कित है। वृद्ध के मुख पर उसका अतीत खँचित है।

❀

मनुष्य निर्दयी होते हैं, परन्तु मानव-हृदय दयावान।

❀

अमावस्या की तामसी रात्रि के भय से चन्द्रमा आकाश में पदार्पण नहीं करता।

❀

मनुष्य के मुख-मुकुर में उसकी चित्तवृत्तियाँ झलकती हैं।

❀

सूर्य-रश्मि द्वारा नष्ट लता मेघों के अनुग्रह से नव-जीवन पा जाती है। वह झूम-झूम कर अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगती है। सूर्य-रश्मि पुनः लता पर अपनी दृष्टि फेंकती है और उससे कहती है—आओ पुरानी बातें भूल कर हम तुम दोनों मित्रता कर लें।

लता सूर्य-रश्मि की स्वार्थपरता पर मुस्कराती है और साथ ही उसे अपना आतिथ्य प्रदान करती है।

❀

गुरु को होनहार शिष्य से अधिक स्नेह होता है।

❀

अमेरिका और ब्रिटेन की शतरञ्जी चालें

[श्री० मङ्गलदेव जी शर्मा]

क्या निकट भविष्य में फिर कोई भीषण युद्ध होने वाला है? यह प्रश्न राजनीति-शतरञ्ज के खिलाड़ियों और इन खेलों को ज़रा नज़दीक से देखने वालों को चकरा रहा है। ये तमाशाई—अन्तर्राष्ट्रीय चालबाज़ी के विचारक लोग—जैसे-जैसे इन गुत्थियों को समझने-सोचने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही वैसे उन्हें इन राजनीतिक खेलों की भीषणता स्पष्ट नज़र पड़ती जा रही है। संसार के दोनों गोलार्द्धों में गत महायुद्ध के उपरान्त उत्पन्न हुई परिस्थितियों ने मनुष्य-जाति के अन्दर जो अशान्ति उत्पन्न कर दी है, उसके अनेक कारण हैं; पर इस अशान्ति के सृजन और उसे स्थायी बनाने में संसार के साम्राज्यवादी राष्ट्रों का विशेष हाथ है। आज इन्हीं के पापों से संसार घोर बेकारी, मन्दी और धनाभाव से त्रस्त हो रहा है।

ये साम्राज्यवादी राष्ट्र ही हैं, जो अपनी साम्राज्य-लोलुपता और लूट-खसोट की वृत्ति के कारण परस्पर वह प्रतिस्पर्द्धा और चढ़ा-ऊपरी उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका व्यापक प्रभाव ही भूमण्डल के अन्य देशों के कष्ट का कारण हो रहा है। वास्तव में इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों को आज वह शक्ति प्राप्त है कि अगर ये चाहें तो संसार के किसी भी छोटे-मोटे राष्ट्र को बना-बिगाड़ डालें; और यह एक प्रकट सत्य है कि, इन लोलुप देशों की चालबाज़ियों ने अपने राजनीतिक खेलों में अन्य देशों को ठीक उसी तरह इस्तेमाल किया है, जिस प्रकार बड़े-बड़े शातिर मुहरों को किया करते हैं? गत महायुद्ध से पूर्व और उसके समय में यह खेल ख़ूब खेले गए। और दुख की बात तो यह है कि आज, जब कि संसार की पिछली दो दशाब्दियों ने कई विचित्र पट-परिवर्तन देखे हैं, अनहोनी होनी की शकल में देखी है, मनुष्य जाति के सामाजिक ढाँचे में भीषण परिवर्तन हुआ है—राजनीतिक, सामूहिक, धार्मिक, नैतिक, सभी दिशाओं में दुनिया का रङ्ग बदल गया है—तब भी ये देश अपनी शतरञ्जबाज़ी से बाज़ नहीं आ रहे हैं, इनकी कटा-छनी, तना-तनी, चढ़ा-ऊपरी, पैंतरेबाज़ी, प्रतिस्पर्द्धा, कूट-राजनीति ज्यों की त्यों अपना काम कर रही हैं। इसका परिणाम क्या होगा, इसे दिखाना इस लेख का उद्देश्य नहीं है।

संसार में आज अमेरिका और ब्रिटेन दो महान राष्ट्र हैं। इनके बल-वैभव का भला क्या कहना! 'सभ्यता' की पराकाष्ठा को पहुँच चुके हैं। पराकाष्ठा की उन्नति इन्हें प्राप्त हुई है। परन्तु ये ही दो देश हैं, जिनमें एक दूसरे को मात कर देने के लिए ऐसी गहरी और भीतरी चालें चली जा रही हैं, जो उन लोगों को तो दिखाई भी नहीं पड़ सकतीं, जो राजनीतिक प्रपञ्चों को सोचने-समझने में अपने दिमाग़ को नहीं लगाते। परन्तु यह एक तथ्य है कि यह राजनीतिक गुत्थियाँ एक दिन बहुत बुरा रङ्ग लाएँगी। अभी गत महायुद्ध को डेढ़ दशाब्द (Decade) भी नहीं बीता कि राजनीतिक क्षितिज में फिर ख़ूनी बादल उठते नज़र आ रहे हैं। अगर यही अवस्था आगामी दस वर्ष तक और रही तो फिर इन बादलों के घहराने-घुमड़ने और बरस पड़ने में कोई सन्देह नहीं है। वे आसार पड़ रहे हैं, जो चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि अबकी बार का युद्ध अमेरिका और ब्रिटेन के दर्मियान होगा, और होगा ऐसा घमासान जो ईश्वर न करे, संसार को कहीं का कहीं फेंक देगा।

यह तनातनी क्यों पैदा हुई और क्यों बढ़ रही है, आइए इसके कारणों पर विचार करें। ब्रिटेन आज संसार का सबसे बलशाली साम्राज्य माना जाता है; परन्तु अमेरिका की आज वह बढ़ती हुई कला है, जो ब्रिटेन की कला को फीकी करती चली जा रही है। यद्यपि ब्रिटेन आज संसार के चौथाई भाग को अपने ख़ूँख़ार पञ्जों में जकड़े हुए है, उसका औपनिवेशिक साम्राज्य अत्यन्त विशाल और विस्तृत है, परन्तु अमेरिका धन के सम्बन्ध में आज अखिल-विश्व का कुबेर बना हुआ है। उसके मुक़ाबले में ब्रिटेन की अवस्था एक दिवालिए व्यापारी जैसी है। और भी कई कारण हैं, जिनका वर्णन आगे आ रहा है, परन्तु अमेरिका की दिन-दिन उन्नत होती हुई धन-सम्पन्नता भी इस तनातनी का मुख्य कारण है। अहम्मन्य ब्रिटेन सीधी आँखों भला इसे कैसे सहता है?

जर्मनी से लोहा लेने का क्या कारण था? उसकी यही बढ़ती हुई धन-राशि। उस पर पड़ी हुई लक्ष्मी की कृपा-दृष्टि ही ब्रिटेन की बौखलाहट और जर्मनी के नाश का कारण हुई। गत महायुद्ध सन् १९१४ ई० के मध्य में छिड़ा था, परन्तु उसके आसार भी पहले से ही दिखाई पड़ने लग गए थे। जिस प्रकार आजकल अमेरिका के साथ ब्रिटेन निरस्त्रीकरण के नाम पर उसे झाँसा-पट्टी देने का आयोजन कर रहा है, उसी प्रकार जर्मनी से भी उसने सन् १९०९ से ही खेल खेलना शुरू कर दिया था। सन् १९११ में तो जर्मनी और इङ्गलैण्ड के बीच करारी लिखा-पढ़ी चली थी; जहाज़ी-बन्धनों और जल-सेना के उपकरणों को सीमित करने के लिए चिट्ठी-पत्री के बाद मि० हॉल्डेन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि-दल सब बातें तय करने के लिए बर्लिन भेजा गया था, परन्तु उसका परिणाम जो कुछ हुआ, उसे सन् १९१४-१८ के पाँच साल 'तख़्त-अज़्-बाम' कह रहे हैं।

ब्रिटेन के जर्मनी से लड़ाई होने के अपने कारणों को स्पष्ट करने के लिए और अमेरिका के बढ़ते हुए वैभव का दिग्दर्शन कराने के विचार से, नीचे एक कोष्ठक दिया जाता है, जिसके आँकड़ों से हमारा कथन स्पष्ट समझ में आ जायगा :—

ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका का निर्यात

	सन् १९१३		सन् १९२७	
	निर्यात-राशि मिलियन डॉलरों में	विश्व-व्यापार का औसत	निर्यात-राशि मिलियन डॉलरों में	विश्व-व्यापार का औसत
ब्रिटेन	२,५५६	१३.९	३,४४७	११.३
अमेरिका [संयुक्त-राष्ट्र]	२,४४८	१३.३	४,७५८	१५.६
जर्मनी	२,४०३	१३.१	२,४२८	८.०

एक ही महाद्वीप के अन्दर ब्रिटेन जर्मनी को अपनी बराबरी की सफ़ में आते देख बरदाश्त न कर सका, उसने हथकण्डा खेला और जर्मनी को नीचा दिखा दिया। जिस जर्मनी के हाथों में सन् १९१३ में दुनिया की तिजारत का १३.१ फ़ीसदी हिस्सा था, सन् १९२७ ई० में उसके हाथ में वह केवल ८ फ़ीसदी रह गया। ब्रिटेन के मन की हो गई। परन्तु अमेरिका, जो सन् १९१३ में ब्रिटेन से कहीं पीछे था, सन् १९२७ में कहीं का कहीं जा पहुँचा और आज तो उसके हाथ में संसार के व्यापार का १५ सैकड़े से भी अधिक हिस्सा है और बाहर भी उसका माल बहुत जा रहा है। उधर ब्रिटेन जो सन् १९१३ में १३.९ का मालिक था, सन् १९२७ में उसके हाथ में ११.३ ही फ़ीसदी संसार का व्यापार रह गया, और आज तो—सन् १९२७ से ३० के अन्त तक—चीन, भारत और मिसर के आन्दोलनों के कारण एवं अन्य व्यापारिक पतन की वजह से—उसका व्यापार दिन-दिन दिवाले की ओर खिसक रहा है।

अमेरिका की चढ़ती कला

गत महायुद्ध के उपरान्त से अमेरिका अधिकाधिक उन्नतिगामी होता जा रहा है। दुनिया की नज़रों में वह अब संसार के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में आने लगा है। लड़ाई से पूर्व राजनीतिक जगत में उसकी इतनी पूछ न थी। वह अपनी सीमा का धनी था। संयुक्त-राष्ट्र के राजनीतिज्ञों की दृष्टि उस समय समस्त अमेरिका को एक सूत्र में बाँधने तक सीमित थी। उस समय वह स्वयं यूरोप का ऋणी राष्ट्र था। उस समय इस देश से विशेषतः अन्न और कच्चा माल विदेशों को जाया करता था। परन्तु आज का अमेरिका चन्द बरसों में ही आधी शताब्दी के उन्नति-पथ का अतिक्रमण करके संसार का आर्थिक और धन-सम्बन्धी अधिपति बन गया है। यह सच है कि ब्रिटेन का औपनिवेशिक आधिपत्य विशाल है और यह भी सत्य है कि ब्रिटिश साम्राज्य तलवार का साम्राज्य है; उसकी ख़ूँख़ार तलवार के तले सूर्य अस्त नहीं होता। साथ ही उसकी कूटनीतिक धूर्तताओं का जाल भी समस्त विश्व पर बिछा हुआ है। परन्तु अमेरिका, जिसके पास न तो इतने देश और उपनिवेश ही हैं, और न जो चालबाज़ियों में ही पारङ्गत है, जहाँ एक ओर अधिकतर आर्थिक बल का स्वामी है, वहाँ दूसरी ओर संसार में अधिकतम सैनिक और नाविक बल का भी धनी है। हाँ, वह अब ब्रिटेन के मुक़ाबले में पर-पुर्ज़े झाड़ कर अपनी आर्थिक प्रधानता को शक्ति-शालीनता के साँचे में ढालने में उसी तरह लग पड़ा है, जिस तरह युद्ध से पूर्व जर्मनी लगा हुआ था। वह अपनी नौ-सेना को ब्रिटेन के समान ही सङ्गठित करने में लगा है। आर्थिक जाल

तो वह संसार पर बिछा ही चुका है ; प्रायः सभी देश, ब्रिटेन तक, उसके क़र्ज़दार हैं। संसार की बागडोर का वह स्वामी है। सोने और काग़ज़ी सिक्के का बाज़ार उसके हाथ में है, जिधर चाहे उधर को दुनिया की मण्डी की नकेल घुमा दे।

ब्रिटिश उपनिवेशों में प्रभाव

साथ ही संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेशों में भी अपना प्रभाव जमाता जा रहा है। लड़ाई के बाद से ब्रिटेन के उपनिवेशों में उसने अपने दूतावास क़ायम कर दिए हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश साम्राज्य के अङ्ग हैं, परन्तु लड़ाई के परिणाम ने उनकी आँखें खोल दी हैं। वे पिछले महायुद्ध में अपनी छीछालेदर देख चुके हैं, कनाडा तो सन् १९२३ के बाद से एकदम फिरण्ट सा हो गया है। यही हाल दक्षिण अफ्रिका का है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के इन दो प्रमुख उपनिवेशों ने अपने-अपने झण्डे भी क़ायम कर लिए हैं। राजनीतिक जगत के सामने यह बातें खुले-आम आ चुकी हैं।

यहाँ यह बात भी याद रखने की है कि अमेरिका और ब्रिटेन का समुद्री-स्वतन्त्रता का झगड़ा पुराना है—उस समय का, जबकि अमेरिका संसार का एक प्रमुख राष्ट्र न था। जे० टी० जेरल्ड नामक एक अमेरिकन ने न्यूयार्क के 'करेण्ट हिस्ट्री' नामक पत्र की १९२९ की फ़रवरी की संख्या में समुद्री-स्वतन्त्रता पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा था :—

"यानी जिस दिन से अमेरिकनों ने एक राष्ट्र की भाँति होश सँभाला है, उसी दिन से समुद्री-स्वतन्त्रता-सम्बन्धी ग्रेट-ब्रिटेन से हमारी चख-चख चली आ रही है।"

झगड़ा प्रशान्त महासागर के आधिपत्य का है। आजकल उस पर यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय आधिपत्य कहा जा सकता है, परन्तु ब्रिटेन उसके अधिकांश का स्वामी बनने का दावा करता है! अमेरिका अब इसे गवारा नहीं कर सकता, इसीलिए कतिपय राजनीति-शास्त्रियों का मत है कि अब की बार का घमासान प्रशान्त महासागर की छाती पर होगा, जिसमें उसके आस-पास के देशों के नष्ट हो जाने की सम्भावना है। कुछ भी हो, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन प्रभाव के क़ायल हैं और यह तय है कि यदि अमेरिका और इङ्गलैण्ड में ठनी तो ये दोनों ब्रिटिश उपनिवेश अपने नामधारी 'आक़ा-ए-नामदार' ब्रिटेन का साथ न देंगे, भले ही निरपेक्ष रह जावें। क्योंकि प्रशान्त महासागर के समीपवर्ती इन देशों को पहले अपनी गुदड़ी को देख लेना पड़ेगा। कई ऑस्ट्रेलियन प्रधान नेता तो ऐसा कह भी चुके हैं। आयर्लेण्ड ग्रेट-ब्रिटेन का अङ्ग होने पर भी आज ब्रिटेन से विलग, विद्वेषी बना बैठा है और उस देश के दक्षिण भाग में अमेरिका अपने प्रभाव को बहुत पूर्व ही पुष्ट कर चुका है।

न सिर्फ़ ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत, बल्कि यूरोप पर भी अमेरिका अपना सिक्का बैठाता चला जा रहा है। आधुनिक जर्मनी पर उसका बड़ा प्रभाव है। जर्मनी के प्रधान कारख़ानों को रुपए की मदद देकर अमेरिका ने उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया है। जर्मन अङ्क-शास्त्री (Statistician) डॉ० कुक्ज़िन्स्की के मतानुसार सन् १९२८ में ५०-से ६० करोड़ डॉलर तक की विदेशियों की सम्पत्ति जर्मनी में लगी हुई थी, और इस मूलधन में लगभग चौथाई अमेरिका का था। अब तो यह धन-राशि और भी बढ़ गई होगी। इसका प्रभाव यहाँ तक हुआ है कि गत सन् १९२८ के सितम्बर में जेनेवा में राष्ट्र-सङ्घ का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें जर्मन चान्सलर म्यूलर ने धड़ाके के साथ कहा था—"जर्मनी हरगिज़ अमेरिका के संयुक्त-राष्ट्र के ख़िलाफ़ किसी के साथ मिल कर लड़ने को उद्यत न होगा।"

मुसोलिनी की इटली भी अमेरिका से प्रभावान्वित है। इसके कारख़ानों में भी अमेरिका का धन लगा हुआ है। जो इटली पिछले महायुद्ध में ब्रिटेन का मित्र-राष्ट्र था, जिसने इङ्गलैण्ड के पक्ष में अपनी तलवार निकाली थी, आज जब देखता है कि इङ्गलैण्ड और फ़्रान्स गुटबन्दी करके दूसरों को झुकाना चाहते हैं, तो उसका 'तेवीरी' (Tevere) नामक प्रभावशाली पत्र कहता है कि :—"इटली की वैदेशिक नीति ब्रिटेन और फ़्रान्स की अपेक्षा जर्मनी, रूस और टर्की की ओर झुक सकती है।" इटली और जर्मनी ब्रिटेन से वर्सेलीज़-सन्धि के समय से ही छके बैठे हैं। अपनी साम्राज्य-परिधि बढ़ाने के लिए योंही इनके पास उपनिवेश नहीं हैं, फिर उपर्युक्त सन्धि ने तो उस पर और भी बन्धन लगा दिए हैं। कुछ राजनीतिज्ञ कहते हैं कि अमेरिका तो यूरोप के विरुद्ध उठ रहा है, लेकिन यह ग़लत है, क्योंकि यूरोप के देश तो अपनी-अपनी खिचड़ी पकाने में लगे हैं, कोई किसी का साथी नहीं। अमेरिका की असली कशमकश तो इङ्गलैण्ड के ख़िलाफ़ है।

व्यापारिक तनातनी

संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन के विद्वेष का एक कारण अमेरिका का बढ़ता हुआ व्यापार भी है। सन् १९१४ से अमेरिका इस दौड़ में भी ब्रिटेन से आगे जा रहा है। पहले ब्रिटेन का माल बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों को जाया करता था, परन्तु अब अमेरिका का निर्यात बहुत बढ़ा-चढ़ा है। सन् १९२७ ई० में जहाँ अमेरिका ने डेढ़ अरब डॉलर का माल बाहर भेजा, वहाँ ब्रिटेन का कुल ६५ करोड़ डॉलर का ही माल बाहर गया। प्रति वर्ष संयुक्त-राष्ट्र अपनी मण्डियों से भी ब्रिटिश माल को निकाल रहा है। ब्रिटेन का कच्चा और तैयार माल अब पहली मात्रा में अमेरिकन बाज़ारों में नहीं खप पाता, क्योंकि स्वदेशी माल के मुक़ाबले वह सस्ता और अच्छा नहीं होता। दक्षिण अमेरिका, जहाँ अङ्गरेज़ों का प्रभाव है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत तथा यूरोप के अन्य देशों में ब्रिटेन के मुक़ाबले में अमेरिकन औसत बढ़ोतरी पर है। ब्रिटिश साम्राज्य के भू-भागों में अमेरिका ने पूँजी लगाना भी आरम्भ कर दिया है। दक्षिण अमेरिका में, जहाँ के कारबार में अङ्गरेज़ों का रुपया अधिक लगा रहता था, वहाँ की कोठियों में अब अमेरिकन महाजनों और बैङ्कों की पूँजी फैली हुई नज़र आ रही है। आयर्लेण्ड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ-कुछ भारत का भी यही हाल है। सर ऑकलेण्ड गेडीज़ नामक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ने, जो अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत रह चुके हैं, एक सभा में, जिसके लॉर्ड बालफ़ोर प्रधान थे और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री मि० बॉल्डविन भी उपस्थित थे, दुख के साथ कहा था कि, ब्रिटेन के सूत्र-सञ्चालक प्रशान्त महासागर का दायित्व देकर हम लोगों को वहाँ भेज देते हैं, परन्तु हम जानते हैं, जिन कठिनाइयों का सामना हमें वहाँ करना पड़ता है। हमारा कोई उपनिवेश जब लन्दन को अपनी प्रशान्त महासागर-सम्बन्धी कठिनाई के बारे में लिखता है, तो यहाँ से सहानुभूति का उत्तर तक नहीं दिया जाता; परन्तु जब वे अमेरिकन राष्ट्र को लिखते हैं, तो वह हाथ पसार कर उनका स्वागत करता है। यही कारण है कि प्रशान्त महासागर के समीपवर्ती ब्रिटिश उपनिवेशों में अमेरिकन प्रभाव जड़ जमाता जा रहा है। अमेरिकन व्यापारियों के हौसले यहाँ तक बढ़े हुए हैं कि अमेरिकन रेलरोड सिक्योरिटी ऑनर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन मि० जे० शेटफ़र्ड ने सन् १९२६ में कहा था—"मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जबकि आगामी चन्द सालों में ही इतिहास का सब से भयङ्कर आर्थिक युद्ध होने जा रहा है।"

और प्रश्न महज़ निर्यात की घटा-बढ़ी का ही नहीं है, अमेरिका तो बाहर जाने वाले माल क्या, अन्य अनेक धन्धों में भी ब्रिटेन को छका देना चाहता है। तेल और रबर के व्यापार की कुञ्जी अमेरिका ने अपनी जेब में डाल रक्खी है। सिनेमा की कारीगरी में वह आज सब देशों से आगे है। कच्चे माल की पैदावार, उद्योग-धन्धे, अफ़ीम, रुई, गेहूँ यहाँ तक कि साहित्य, कला और विज्ञान में भी वह ब्रिटेन के सर पर होकर निकल जाना चाहता है। उसकी रुई की पैदावार और उसके निर्यात का मुक़ाबला करने के लिए तो ब्रिटेन वालों ने 'एम्पायर कॉटन ग्रोइङ्ग एसोसिएशन' नाम की एक कम्पनी बनाई है, जिसमें गवर्नमेण्ट की ख़ास मदद है। जहाज़ी कारख़ाने अमेरिका में बहुत तरक़्क़ी कर रहे हैं। ब्रिटेन इस दस्तकारी में उसका मुक़ाबला नहीं कर सकता, इसलिए इस पर खीझ कर 'लन्दन टाइम्स' ने सन् १९२८ में लिखा था कि "यानी समस्त अमेरिका ने अपने साधन ब्रिटिश व्यापारियों के धन्धों को चौपट करने में लगा दिए हैं।"

ब्रिटेन की पैंतरेबाज़ियाँ

गत महायुद्ध के बाद से ब्रिटेन और अमेरिका की कटा-छनी शुरू है। यद्यपि लन्दन और न्यूयार्क की बैङ्कों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-धन्धे की अनेक दिशाओं में सहयोग कर लिया है, और कुछ देश इसे देख कर 'ऐङ्ग्लो अमेरिकन सम्पत्ति' और 'ऐङ्ग्लो-सेक्सन पूँजीवाद' से सशङ्कित हो उठे हैं, परन्तु इस 'जन्नत की हक़ीक़त' की क़लई अब समस्त संसार पर खुल गई है। 'मुँह में राम बग़ल में छुरी' वाली दुतरफ़ा नीति का भण्डाफोड़ उभय पक्ष के राजनीतिज्ञों के समय-समय के भाषणों और पत्रों के लेखों द्वारा हो ही जाता है। अमेरिकन कर्नल-हाउस ने १९१९ के जुलाई मास में राष्ट्रपति विल्सन को लिखा था कि—"इङ्गलैण्ड में आने के साथ ही मुझे तो संयुक्त-राष्ट्र के प्रति विद्वेष-भाव दिखाई पड़ रहा है। × × × दोनों देशों के सम्बन्ध ठीक उसी तरह के होते जा रहे हैं, जैसे कि लड़ाई से पेश्तर इङ्गलैण्ड और जर्मनी के थे।" १९२० में, जब महायुद्ध के बाद लूटे हुए देशों का बटवारा हुआ तो इङ्गलैण्ड, ईराक़ (मेसोपोटामिया) के मोसल प्रान्त के तेल के कुओं पर दाँत गड़ा कर बैठ गया, उसका दूसरा साथी मेढ़िया फ़्रान्स भी कुओं की तरफ़ लपका, लेकिन उसे धता बता दी गई। अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स भी चूँकि इन 'पाँच सवारों' वा 'पाँच पञ्चों' में से एक था, उसकी लार भी लूट के मिट्टी के तेल पर टपक पड़ी। १९२० में इस प्रश्न तथा सेनरीमो के सवाल को लेकर स्व० लॉर्ड क़र्ज़न और अमेरिकन मन्त्री कालबी में ख़ूब लिखा-पढ़ी चली। जब दाल गलते न देखी, अमेरिका ने हाथ-पैर समेट लिए और ब्रिटेन ने सन् १९२१ में ४५ हज़ार टन की निकासी के तेल के कुओं पर अपनी बपौती की छाप लगा दी। बेचारा टर्की टापता और कराहता ही रह गया। अमेरिका ने जब देखा कि लूट का माल तो हमारे दोस्त लोग ग्रासकर ब्रिटिश ही पी गए, तो वह ख़ून का सा घूँट पीकर बैठ गया, और अपनी चहुँमुखी उन्नति में लग पड़ा।

इधर ब्रिटेन के घाव लोगों की, अमेरिका की तरक़्क़ी और संसार भर में सुरक्षा की भाँति पसर बैठने की कोशिश देख, नींद हराम थी। इन्हीं दिनों, सन् १९२१ के जाड़े में, ब्रिटेन में व्यापारिक पतन आरम्भ हुआ, जो आज और भी भीषण रूप धारण कर गया है। तब सोचा गया कि अमेरिका के साथ कोई समझौता करके

उसके फैलते हुए हाथों को बाँध दिया जाय। सन् १९२१-२२ में वाशिङ्गटन में एक कॉन्फ़्रेन्स इस अभिप्राय से की गई। अमेरिका को चूँकि सन्तुष्ट करना था, इसलिए ब्रिटेन ने उसे अपने से बढ़ कर सम्पत्तिशाली और निर्माणक शक्ति स्वीकार कर लिया, और इसलिए बिना युद्ध के ही अमेरिका को ब्रिटेन के मुक़ाबले में बराबर की जल-सेना का सिद्धान्त स्वीकार कर लेना पड़ा। इससे पूर्व वह जापान से एक समझौते में, अपने को बड़ी शक्ति स्वीकार करा चुका था, और इसलिए समुद्री अधिकार भी अधिक मात्रा में मनवा लिए थे। लेकिन वाशिङ्गटन-सम्मेलन में ब्रिटेन के घाघों ने अमेरिका के इस महत्व का अपहरण कर लिया, जापान के समझौते से भी उसे हाथ धो लेने पड़े। अमेरिका मित्र भी बना लिया गया और सन्धि की जकड़बन्दी से उसके हाथ-पैर भी बाँध दिए गए !! परन्तु संसार के ग़रीब और कमज़ोर देशों का रक्त-शोषण करने वाले यह लुटेरे राष्ट्र, मज़े की बात तो यह है कि इतने बड़े मूर्ख हैं कि आपस में भी चक्मेबाज़ी और भेड़ियों की सी चालाकी चले बिना नहीं रहते। अमेरिका सम्मेलन में तो चार काले अक्षर लिख बैठा, परन्तु वह उनकी क़ीमत जानता था—और जानते सब कुछ ब्रिटेन के धोखेबाज़ राजनीतिज्ञ भी थे—वह अपनी ताक़त बढ़ाता चला गया। सन् १९२३ ई० में अमेरिका ने अपने क़र्ज़ों का तक़ाज़ा किया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री बॉल्डविन साहब इस सम्बन्ध में अमेरिका गए, और लौटने पर कहने लगे कि "अमेरिकन लोग अपने को बड़ा उदार समझते हैं, परन्तु हम लोगों का ऐसा ख़्याल नहीं है।" ब्रिटेन इस वक़्त अमेरिका से इसलिए मैत्री बनाए रखना चाहता था कि उसे अपने दूसरे 'दोस्त' फ़्रान्स से खटका था कि वह कहीं जर्मनी के लूटे हुए रूर प्रान्त पर क़ब्ज़ा न कर ले। इसलिए अमेरिका की मदद प्राप्त करने की ग़रज़ से सन् १९२४ में यूरोप के सम्बन्ध में एक साम्पत्तिक साझीदार की हैसियत से तसफ़िया हुआ। लेकिन इस साझे की जड़ ही बेईमानी पर आधारित थी। अतएव वह चन्द दिन में ख़त्म हो गया। १९२५ में अफ़ीम-सम्मेलन हुआ, जिसमें अमेरिकन और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों में कहा-सुनी हो गई। फलस्वरूप प्रतिनिधि सम्मेलन से चले आए। इसके बाद सन् १९२६ ई० में, जो हाटन रिपोर्ट यूरोप के सम्बन्ध में निकली, उसने तो अमेरिकन-ब्रिटेन वैमनस्य का पर्दा ही उठा दिया। और १९२७ के नौसेना-सम्मेलन के भङ्ग होने के साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन की खुल्लमखुल्ला दुश्मनी हो गई। इन दो महाराष्ट्रों के झगड़े की जड़ इसी सम्मेलन से जमती है। अब तो साफ़ तौर पर एक-दूसरे को अङ्गुश्तनुमा किया जाने लगा। सन् १९२८ के वार्षिक सन्धि-दिवस के भाषण में अमेरिकन राष्ट्रपति कूलिज ने ऐसी ही बातें कहीं, और उनके थोड़े दिन बाद ब्रिटिश सेनापति फ़ील्ड मार्शल सर् विलियम रॉबर्टसन ने दिसम्बर में राष्ट्र-सङ्घ यूनियन के 'शान्ति-सम्मेलन' में कहा:—

"अमेरिका में आजकल जो कुछ हो रहा है, उससे साफ़ प्रकट होता है कि, वह साम्राज्यवादिता के चक्कर में पड़ कर अपनी जल-सेना को बढ़ा रहा है। अमेरिका के अफ़सर लोग अपने भाषणों में शस्त्र और सेना के सम्बन्ध में ठीक वैसे ही दावे पेश किया करते हैं, जैसे सन् १९१४ के महायुद्ध से पूर्व जर्मनी द्वारा हमको अक्सर सुनने को मिलते थे।"

फ़्रान्स से गुटबन्दी

सन् १९२१ की वाशिङ्गटन वाली कॉन्फ़्रेन्स से १९२७ के आरम्भ तक ब्रिटेन अमेरिका के सामने 'सरे तसलीम ख़म' किए रहा, एक प्रकार से उसने अमेरिका को अपने से उच्चतर राष्ट्र मान लिया। इसका कारण था। सन् १९२१ के शीतकाल से ब्रिटेन में जो व्यापारिक सन्नाटा व्याप्त हुआ—वह अब भी और बढ़ी हुई शक्ल में ज्यों का त्यों है, भारत इसका बहुत बड़ा कारण है—वह बराबर जारी था, ब्रिटेन की यह अवस्था हो गई थी कि अमेरिका धड़ाधड़ उसकी हुण्डियाँ ख़रीद रहा था; उसे यह खटका हो चला था कि अमेरिका कहीं उसके मुख्य उद्योग-धन्धों को भी न हथिया बैठे। जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी के सम्बन्ध में उठा हुआ इङ्गलैण्ड-अमेरिका का झगड़ा इस तथ्य का साक्षी है। आर्थिक पतन दिवाला खिसकने की कोटि को पहुँच गया था। और इस सबका कारण था अमेरिका। अमेरिका को उसने इन्हीं सात वर्षों में कई बार चरके देने चाहे, लेकिन वह कौन कम है, ब्रिटेन के हत्थे न चढ़ा। तब ब्रिटेन साहब को अपने प्रतिद्वन्द्वी के मुक़ाबले के लिए किसी सहयोगी की आवश्यकता हुई।

१९२१ से २६ तक ब्रिटेन को बुरी तरह दिन काटने पड़े। १९२६ में ब्रिटेन में ज़बरदस्त सार्वजनिक हड़ताल हुई, लाखों मज़दूरों ने अपने-अपने काम छोड़ दिए, परन्तु यह स्ट्राइक जल्द ठण्ढा पड़ गया। ब्रिटेन के सूत्र-सञ्चालकों की यह बहुत भारी विजय थी। वे अब सान्त्वना की साँस लेने लगे। अब तो उन्हें बल आ गया। इन्हीं दिनों, सन् १९२७ के आरम्भ में चीन में गृह-युद्ध आरम्भ हो गया। आत्म-रक्षा के नाम पर ब्रिटेन ने वहाँ पलटनें भेजनी आरम्भ कर दीं, आर्कस पर चढ़ाई कर दी, रूस से सन्धि तोड़ ली और फ़्रान्स के साथ नया समझौता कर लिया। यह समझौता केवल अमेरिका के भय से उसे छकाने को किया गया। यह समझौता एक रहस्य है। चीन के झगड़े में ब्रिटेन के चढ़ दौड़ने से ऐङ्ग्लो अमेरिकन विद्वेष और भी बढ़ गया। वहाँ पहले से ही इन दोनों की तनातनी चली आ रही है।

ब्रिटेन और फ़्रान्स का यह समझौता हुआ जेनेवा कॉन्फ़्रेन्स में। यह जल-सेना-सम्मेलन सन् १९२७ ई० के ग्रीष्मकाल में हुआ। सम्मेलन से फ़्रेञ्च प्रेज़िडेण्ट डूमर्ग और परराष्ट्र-सचिव मोशिए ब्रियान्द इस सम्बन्ध में मई मास में लन्दन गए। ब्रिटेन, जोकि अमेरिका से कुढ़ा बैठा था, उसने इस सम्मेलन के अधिवेशन में सवाल उठा दिया कि अमेरिका को लड़ाकू जहाज़ रखने का वह अधिकार प्राप्त न रहे, जो सन् २१ के वाशिङ्गटन वाले सम्मेलन में उसके लिए स्वीकार किया गया था। इस प्रश्न को लेकर कई दिन तक चख़-चख़ रही, परन्तु ब्रिटेन के प्रतिनिधि अपनी बात पर अड़ गए। यहाँ ब्रिटेन का खुल्लमखुल्ला प्रदर्शन हुआ। परिणाम-स्वरूप सम्मेलन भङ्ग हो गया। परन्तु ब्रिटेन ने इस अवसर को 'ख़ाली-अज़-इल्लत' न जाने दिया। वह अब तक फ़्रान्स को कभी ठण्ढे हाथों और कभी ज़रा गर्म दिमाग़ से साधे हुए था, फ़्रान्स उसकी इन कार्रवाइयों को ताड़ रहा था। ब्रिटेन ने यह मौक़ा ग़नीमत समझा और फ़्रान्स के साथ जेनेवा में एक नई सन्धि कर ली। साथ ही जापान के साथ हुई वाशिङ्गटन वाली सन्धि को दुहरा लिया गया। रह गया इटली, सो उससे इन दिनों वह अच्छा रब्त-ज़ब्त बनाए हुए था। इस दिन से ब्रिटेन और फ़्रान्स एक होकर काम करने लगे। जर्मनी, सोवियट रूस और अमेरिका आदि पहेलियों को इन दोनों ने इकट्ठे बैठ कर सोचा और हल करना आरम्भ किया।

इस समझौतेबाज़ी ने दुनिया के सामने एक नई राजनीतिक गुत्थी फेंक दी है। इस समझौते के बाद ही लन्दन के 'नेशन' ने लिखा कि अमेरिका ब्रिटेन का नया दुश्मन पैदा हो गया। फ़्रान्स भी अब तो ब्रिटेन के सुर में बोलने लगा। फ़्रेञ्च जलसेना-सचिव मोशिए लेगूस ने जुलाई, १९२८ की एक स्पीच में कहा कि—

"ब्रिटेन दुनिया भर में सब से अधिक जल-सेना रख सकने का हर हालत में मुस्तहक़ है। उसके मुक़ाबले कोई देश जल-सेना नहीं रख सकता। वह अमेरिका के लड़ाकू-बेड़े से भी अधिक जल-सेना रख सकता है।"

शतरञ्ज की यह चालें यहीं ख़त्म नहीं होतीं। फ़्रान्स और जापान से समझौता कर लेने के बाद बराबर कहा जाता रहा है कि समझौता ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस कथन के साथ ही साथ ब्रिटेन और फ़्रान्स के पत्रों और राजनीतिज्ञों के लेखों और भाषणों से एङ्ग्लो-अमेरिकन विद्वेष पूर्णतया भाषित होता रहा है। स्थानाभाव से हम यहाँ उन उद्धरणों को नहीं दे रहे हैं। राजनीतिक चालबाज़ियों की इस समस्त शृङ्खला पर विचार करने से पता चलेगा कि दुनिया इस समय दो भागों में विभाजित दिखाई दे रही है और उनसे विद्वेष की बू आ रही है। एक पार्श्व में ब्रिटेन, फ़्रान्स और जापान अपने लवाज़िमे (आश्रित राष्ट्रों आदि) के साथ खड़े हैं, दूसरे पार्श्व में अमेरिका का संयुक्त-राष्ट्र अपने सरञ्जाम के साथ खड़ा है। लेकिन अभी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका का साथ कौन-कौन देश देंगे। संयुक्त-राष्ट्र के समक्ष एक कठिनाई यह भी है कि अमेरिका दो महाद्वीपों में विभाजित है, और दक्षिणी अमेरिका उसकी अधीनता को सोलहो आने स्वीकार नहीं करता। इसके अतिरिक्त वहाँ ब्रिटेन का प्रभाव भी है। संसार के इन प्रसिद्ध 'पाँच मित्रों' में रह गया इटली, सो वह भी अमेरिका की भाँति ब्रिटेन, फ़्रान्स और जापान के गँठजोड़े से मन ही मन कुढ़ रहा है।

अमेरिका के हथकण्डे

पूछा जा सकता है कि जब इस तरह एक भावी भीषण संग्राम की आग सुलग रही है, तो राष्ट्र-सङ्घ किस मर्ज़ की दवा है? और किस मर्ज़ की दवा है अमेरिका का कैलाग-पैक्ट? इस सम्बन्ध में इतना हर समय स्मरण रखना चाहिए कि इन दोनों में से कोई संस्था युद्ध का विरोध नहीं करती। कुछ शर्तों के साथ यह दोनों लड़ाई को न्याय्य ठहराती हैं। कैलाग-पैक्ट कहता है कि आत्मरक्षार्थ कोई भी राष्ट्र युद्ध ठान सकता है, लेकिन सवाल यह है कि आज तक कितने युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय हित अथवा आत्मरक्षार्थ लड़े गए हैं? सन् १९१४ वाले युद्ध में भी तो ब्रिटेन ने अन्तर्राष्ट्रीय हित के नाम पर जर्मनी से पुरानी दुश्मनी चुकाई थी। और लीग ऑफ़ नेशन्स के १०वें और १६वें नियमों में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को सीमित संख्या में सेना का व्यवहार करने का उल्लेख है।

असल बात तो यह है कि जैसे 'साँपनाथ वैसे नागनाथ।' सबने अपने-अपने पारसापन के दिखावे के लिए कूट-नीति के पर्दे साधारण जन-समाज की आँखों के सामने टाँग रक्खे हैं। अमेरिका ने जब देखा कि लीग ऑफ़ नेशन्स तो ब्रिटेन, फ़्रान्स और जापान की चौपाल है, तो उसने भी अपने वैदेशिक मन्त्री से कैलाग-पैक्ट का संस्कार करा डाला और ठीक लीग की भाँति ही संसार में उसका प्रचार किया। अन्य राष्ट्रों को उसका सदस्य बनाया। यद्यपि ब्रिटेन और फ़्रान्स पैक्ट से सख़्त जलते हैं, फिर भी संसार के कितने ही देश उसके सदस्य हैं।

आजकल यह सवाल ज़ोरों पर उठ रहा है कि समुद्री सीमाओं और उनकी स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में एक कॉन्फ़्रेन्स करके, स्थायी नियम बना दिए जायँ, ताकि हमेशा का झगड़ा चुक जाय। लेकिन इस झगड़े को चुकावे कौन? मान लीजिए कि आज यह प्रस्ताव हो कि कोई देश जल-सेना न रक्खे और न किसी को

(शेष मैटर १९वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए)

[श्री० 'माधव']

गोधूली का अञ्चल ओढ़े रजनी धीरे-धीरे वसुन्धरा के आँगन में आ रही थी। किरण अपने घरौंदों को मिटा कर लौट रही थी। उसके धूल-भरे बालों के साथ पवन खेल रहा था। भोली किरण—अल्हड़ किरण को यह पता नहीं था कि इन घरौंदों के मिटते हुए वैभव के लिए भी किसी के दिल में कभी तूफ़ान उठेगा।

किरण और रूप शैशव की सुकुमार गोद में आमोद की अठखेलियाँ करते। दिन बीतते देर नहीं लगती। एक दिन ढोरों को हाँकती हुई किरण घर आ रही थी और रूप गेंद लेकर बाहर जा रहा था। किरण ने ममत्व एवं अधिकार भरे शब्दों में रूप से पूछा—"क्यों, अब घरौंदा का खेल खेलने नहीं आते?" रूप अपने साथियों में व्यस्त था......! किरण कुछ समझ न सकी!

× × ×

खेल के दिन ख़तम हुए। जीवन की लवङ्ग-लता पर सपनों ने डेरा डाला। किरण ने सुहाग की साड़ी पहनी। शैशव धीरे-धीरे स्मृति बनने लगा! रूप दूर देश में पुस्तकों की फेरी किया करता! घर-द्वार सब कुछ भूल सा गया। किरण अपनी ससुराल में रानी बन कर रहने लगी। रूप किरण की और किरण रूप की याद धीरे-धीरे भूलने लगे। काल का चक्र बड़ा विचित्र—बड़ा भयङ्कर होता है।

× × ×

सावन का महीना था; सन्ध्या का समय। रिमझिम-रिमझिम बूँदें बरस रही थीं। पगडण्डी पर कोई बड़े सुरीले स्वर में गाता जा रहा था—

"गुइयाँ प्रीति के भरम काहू से बतइयो ना,
गुइयाँ.........."

बूँदें दूब की हरी मख़मली पत्तियों पर गिर-गिर कर बिखर जाती थीं। किरण खिड़की से सावन की शोभा देख रही थी। बहुत दिनों की कड़ी लू के अनन्तर आज पानी का बरसना उसे बहुत सुहावना मालूम हो रहा था। वह हृदय में एक अत्यन्त मधुर स्पर्श का अनुभव कर रही थी। बटोही अपनी धुन में मस्त गाता जा रहा था,—

"गुइयाँ प्रीति के भरम काहू से बतइयो ना,
गुइयाँ.........."

आज किरण चिन्ता-सागर की तरङ्गों की चपेट में पड़ी हुई, एक विक्षिप्त की भाँति अपने अतीत की स्मृतियों के उधेड़-बुन में थी! आज उसे रूप याद आ रहा था और उसके साथ उन अल्हड़ दिनों के घरौंदों की मीठी-मीठी स्मृतियाँ व्याकुल कर रही थीं।

× × ×

देश में भयङ्कर विप्लव मचा। रूप क्रान्तिकारी और ज़ब्त पुस्तकें बेचने के अभियोग में गिरफ़्तार कर लिया गया और उसे "शासन-तन्त्र उलटने" का अपराध लगा कर ढाई साल के एकान्त कठिन कारावास की सज़ा मिली! रूप ने कोई सफ़ाई पेश न की।

रात को जब 'सेल' के बाहर का फाटक बन्द हो जाता और सन्तरी अपनी बन्दूकें सँभाल कर पहरा देने लगता, उस समय रूप करुणा-विगलित स्वरों में मस्त होकर गाने लगता :—

प्रीतम बसे पहाड़ पर मैं यमुना के तीर,
अब तो मिलना कठिन है पाँवन पड़ी जँजीर।

वह 'सेल' के किवाड़ के छेद से बाहर झाँक कर कभी-कभी देखता कि चाँद पृथ्वी पर अमृत बरसा रहा है। कभी-कभी वह आनन्दातिरेक में प्रेम-विभोर हो, गा-गाकर नाचने लगता :—

बीनी झीनी झीनी चदरिया.........

ढाई साल के एकान्त-वास ने रूप के जीवन में एक विचित्र परिवर्तन ला दिया। वह अर्द्ध विक्षिप्त सा कुछ का कुछ बक जाता और कुछ का कुछ गा उठता! लोग उसे पागल समझने लगे और वह चिथड़ों से शरीर ढाँके जहाँ जी में आता, घूमा करता। जहाँ जो कुछ मिल जाता, खा लेता और जहाँ कहीं सो जाता! बाल बढ़े हुए, शरीर धूलि-धूसरित और आँखें धँसी हुईं—पहले का रूप आज कुरूप और पागल भिखारी बन कर मारा-मारा फिरता!

× × ×

गङ्गा दशहरा का मेला था! गङ्गा-तट पर बड़ी भीड़ थी। रूप योंही घूमता-फिरता वहाँ पहुँच गया था। लोग उसे देखते और देख कर आगे बढ़ जाते। कोई उधर ध्यान भी नहीं देता!

किरण अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा-कौतुक करती गङ्गा-स्नान कर लौट रही थी। रास्ते में रूप के कङ्गाल-वेश की ओर उसकी निगाह पड़ी। रूप ने किरण को और किरण ने रूप को आज कई वर्षों के बाद देखा। रूप ने किरण को तुरन्त पहचान लिया, परन्तु किरण को भ्रम हो रहा था। वह सोचने लगी, इसे कहीं देखा है। रूप? नहीं! भला यह 'रूप' कैसे हो सकता है? वह आगे बढ़ गई। रूप उस राह में बड़ी देर तक देखता रहा। धीरे-धीरे किरण रूप की आँखों से ओझल हो गई! रूप की प्यासी और व्याकुल आँखें थक कर लौट आईं।

× × ×

ज्योत्स्ना वसुन्धरा को अमृत से नहला रही थी। रात की दोपहरी थी। दिशाएँ शान्त और प्रान्त निस्तब्ध! हवा ठण्ढी-ठण्ढी बह रही थी! गङ्गा की लहरें तट से आँख-मिचौनी खेल रही थीं। रूप विचार-मग्न हो, अपने पैरों को जल में लटकाए, बैठे-बैठे कुछ गुनगुना रहा था। उसकी आँखें भरी हुईं और आवाज़ भर्राई हुई थी।

× × ×

इधर किरण का हृदय भ्रम के भार से दबा जा रहा था। उसे अपने छलकते हुए प्यार के भार को सँभालना कठिन हो रहा था। वह उन्मना सी घर की ओर जा रही थी। रह-रह कर उस भिखारी की याद आ जाती। मन में संशय होता, क्यों, वह रूप ही है? नहीं, नहीं,.........!

किरण घर पहुँची। सन्ध्या ने सुनहली साड़ी पहन ली थी; प्रकृति गम्भीर थी। पक्षी अपने-अपने 'घर' लौट रहे थे। किरण के भ्रम का ज्वार उसे बहाए जा रहा था। चेहरे पर पसीने की बूँदें आ गई थीं, बाल खुले हुए अस्त-व्यस्त। हृदय में कोलाहल मचा हुआ था, दाहिनी आँख फड़क रही थी। वह ख़ाली पाँव लौटी। तारे गङ्गा के अञ्चल में अपना रूप निहार कर मुस्करा रहे थे। लहरें अपनी अकथ करुण-कहानी तट को सुनाने में व्यस्त थीं।

किरण ने तट की ओर थोड़ी दूर से देखा, कोई व्यक्ति जल में पाँव लटकाए बैठा हुआ है। वह मन ही मन कुछ गुनगुना रहा है। किरण को यह निश्चय हो गया कि हो न हो, यह रूप ही है। उसे अपनी साधना पर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। उसने सोचा, आज सौ जन्म के पुण्य का वरदान रूप के चरणों में गिर कर—क्षमा-याचना कर—पा लूँगी। उसका हृदय उल्लास से भर रहा था, आँखें स्नेहार्द्र हो आई थीं।

अचानक गङ्गा जी में उधर एक 'छप' सी आवाज़ हुई.........! किरण के देखते-देखते वह भिखारी—उसका रूप, गङ्गा की शीतल-शान्त गोद में लीन हो गया!

* * *

अमेरिका और ब्रिटेन की शतरञ्जी चालें

(१८वें पृष्ठ का शेषांश)

समुद्री सीमाधिकार हो; फिर भी यह साम्राज्यवादी देश तो यह कह कर लड़ने का मौक़ा निकाल लेंगे कि व्यक्तिगत रूप से देशों के समुद्री-अधिकार क़ायम कर दिए जाएँ, और समुद्रों को स्वतन्त्र कर दिया जाय। अवसर पड़ने पर वे अपने तिजारती जहाज़ों को लड़ाकू जहाज़ बना डाल सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रस्ताव कोई क्यों करने लगा? प्रत्येक राष्ट्र जल-सेना और उसके अधिकार में विश्वास करता है, और इसके लिए कुछ नियम भी रखता है। लेकिन इन नियमों का मूल्य क्या, जबकि इनका पालन कराने वाली कोई केन्द्रीय अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति नहीं है। ब्रिटेन वाले लीग ऑफ़ नेशन्स की ढाल की आड़ में अपने सैन्य-बल को उत्तेजना देना चाहते हैं। मि० ब्रेल्सफ़र्ड जैसे स्वतन्त्र विचारक भी लीग की आड़ की दुहाई देते हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका के पिट्ठू कैलाग-पैक्ट के पर्दे में 'व्यक्तिगत' और 'सामूहिक' युद्ध के भेद की बात पेश कर देते हैं? और उनके लिए 'सामूहिक' युद्ध वही होगा, जो पैक्ट के नियमों के ख़िलाफ़ जायगा। लीग और पैक्ट क्या—इनसे बहुत पूर्व बना हुआ मुनरो-सिद्धान्त (Monro Doctrine) आज इन घावों की जेबों में पड़ा सड़ रहा है।

हमारा तात्पर्य संसार में भीतर ही भीतर सुलगने वाली विध्वंसकारी अग्नि से त्रसित और पराजित देशों को, विशेषकर अपने यहाँ के जन-साधारण को, आगाह करना है। दरअसल संसार-शान्ति का उपाय न तो लीग के हाथ में है और न अमेरिका के कैलाग-पैक्ट के। यह काग़ज़ी समझौते तब तक बिल्कुल बेकार हैं, जब तक इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों का ध्वंस नहीं हो जाता। ये स्वार्थी तो रोज़ इसी तरह भूखे भेड़ियों की तरह लड़ते रहेंगे, और संसार को बरबाद करते रहेंगे। एक संसार-व्यापी सामूहिक सामाजिक क्रान्ति ही जगत में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना कर सकती है।

* * *

[सम्पादक—कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

भारत के प्रति—

[श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव]

जग के अन्य सभी देशों में,
था अज्ञान-तिमिर-विस्तार,
तब तुम चमके ज्ञान-तरणि बन
किया जगत में प्रभा-प्रसार !
अन्ध
क्यों उसको सहते हो तुम,
कैसे थे प्राचीन काल में
अब क्यों यों रहते हो तुम ?

❀

बाहुओं से था कम्पित
किसी समय सारा संसार,
पद-पद पर कम्पित होते अब,
हैं विदेश-शासन का भार !
जगते-जगते नहीं जागते,
बोलो क्या कहते हो तुम ?
कैसे थे प्राचीन काल में
अब क्यों यों रहते हो तुम ?

❀

दानवीर थे तुम देते थे
सब जग को स्वतन्त्रता, मान
अब 'समझौता' कर कहते हो,
"हमको करो स्वराज्य प्रदान,"
घोर पतन है, कहो तनिक
किस धारा में बहते हो तुम ?
कैसे थे प्राचीन काल में
अब क्यों यों रहते हो तुम ?

* * *

भारतीयता

[श्री० 'मगन']

हम 'हिन्दू' हों या 'मुस्लिम'
'पारसी', सिक्ख, ईसाई ;
भारत-माता के प्यारे ;
हम सब हैं भाई-भाई !

❀

हम पहले 'हिन्दुस्तानी'
हैं, फिर निज-धर्म-सनेही ।
एक ही रक्त से सबकी
यह निर्मित है नर-देही ।

❀

है जनक सभी का 'ईश्वर';
सब की माँ भारत-माता !
हों भारतीयता-प्रेमी ;
हम भारत-भाग्य-विधाता !

* * *

कामना

[श्री० "पलक" आज़मगढ़ी]

सच्चे बनें सभी जन, सादा सभी चलन हो ।
सीने में कुछ न कीना, दिल में न कुछ जलन हो ॥
खद्दर को ख़ूब पहनें, नफ़रत न कुछ हमें हो ;
हरदम रहे यह ख़्वाहिश, मरने पे भी कफ़न हो ॥
उफ़ भी कहें न मुँह से, झेलें मुसीबतों को,
परवा न हो किसी की, बस देश की लगन हो ॥
हिम्मत नहीं है जिनमें, हिम्मत उन्हें दिलाएँ,
बेख़ौफ़ हो वे जावें, प्यारा उन्हें वतन हो ॥
भूलें न भाइयों को, बिछुड़ों को खोज लाएँ,
उनको गले लगाएँ अपना यही चलन हो ॥
हिन्दू लड़ें न मुस्लिम, आपस में मेल रक्खें ;
कोशिश करें वे ऐसी बरबाद क्यों वतन हो ॥
एका-सदफ़[१] का मोती सब के सरों पे चमके,
घर-घर में 'लाल' होवें, आबाद यह वतन हो ॥
हो जौहरे जवाहिर याँ हर जवाँ के अन्दर,
बच्चों को लव लगे यह आज़ाद निज वतन हो ॥
श्री मालवी की माला हो हाथ में हमारे,
मोहन का मन्त्र जप लें, 'इस मुल्क में अमन हो ।'
हर चीज़ पर लिखा हो, 'भारत में यह बनी है',
मुहताज हो न हरगिज़ ख़ुशहाल यह वतन हो ।
दुख दूर हों हमारे, हम सब स्वराज्य पावें,
जेलों की यातना को, करना न अब सहन हो ।
जीएँ जहाँ में जब तक, इस मुल्क के लिए हों,
मरने पे भी इसी की हमको लगी लगन हो !

१—सीप

* * *

शङ्खनाद

[श्री० 'नटवर']

आलस्य, फूट, भय, हट विकार !
ओ उष्ण-रक्त ! बह प्रखर धार ;
आँखें, रग, भुज निज पथ निहार ;
वाणी ! भर ले तू शङ्खनाद ॥
कँप उठे धरातल बार-बार ;
दिग्गज भागें चिक्कार, हार ;
हिमवान, विन्ध्य उगलें अँगार ;
निधि, नदी, सरोवर बहे आग ॥
अन्याय, दासता, अनाचार,
पर-पीड़ा, डाका, लूट-मार,
सब जल-भुन कर हो छार-छार;
कुन्दन बन चमके जय-सुहाग ॥
फिर शान्ति-सृष्टि का हो सँवार ;
गूँजे नभ में नित प्रेम-राग ॥
ओ विजयी के उन्माद जाग
पापिनी पराजय हार, भाग !!

* * *

उज्ज्वल-भविष्य

[श्री० 'नलिनी']

मिट जावेगा पराधीनता-तम,
होगा स्वातन्त्र्य प्रभात !
सुखद स्वतन्त्र समीर बहेगी,
जिससे होगा प्रमुदित गात !
स्वतन्त्रता की मञ्जु उषा का,
होवेगा कमनीय प्रकाश !
भारत का सौभाग्य-सूर्य लख,
सब में शुचि स्वर्गीय विकाश !
होगा—सब प्रमुदित होवेंगे,
मिट जावेगा सब सन्ताप !
लज्जित होंगे सुरगण भी,
लख भारत का ऐश्वर्य प्रताप !
स्वतन्त्रता की मञ्जु सुरभि से,
सुरभित हो जावेगा देश !
भारत का स्वतन्त्र वैभव लख,
हर्षित होगा हृदय-प्रदेश !
सुखद न्याय होगा—होवेगा
दारुण कष्टों का अवसान !
गाएगी स्वतन्त्र शब्दों में
भारत-कोकिल भारत-गान !
हो जावेगा शान्ति देवि का
सुन्दर सुखद सरस साम्राज्य !
विविध भाँति के निशि-दिन होंगे
प्रकृति सजेगी सुन्दर साज !
भारत की जय से गूँजेगी
वसुधा, गूँजेगा आकाश !
मुखरित कर देगा गगनाङ्गण
तीस कोटि का विजयी हास !
चहुँ दिशि सुषमा छा जावेगी
बन जाएगी भू स्वर्ग-सदन !
बिखराएगा मञ्जु छटा फिर
भारत बन कर नन्दन-वन !

* * *

हृदय की हूक

[श्री० "व्यथित"]

दिनोंदिन होती जाती प्रबल,
देश पर मर मिटने की चाह !
हृदय में धधक रही ज्वाला,
नहीं जिसकी है कोई थाह !!
देश पर प्राणाहुति देकर,
कभी हूँगा स्वतन्त्र मैं आह !
बिना स्वातन्त्र्य न मिट सकती,
"व्यथित" अन्तर्तम उर की दाह !!

* * *

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

कुमारी बचुबेन लोटवाला—आप सर्व-प्रथम महिला-रत्न हैं, जिन्होंने बम्बई से निकलने वाले 'हिन्दुस्तान' नामक दैनिक पत्र का बड़ी योग्यता-पूर्वक सम्पादन किया था। माननीय मिस्टर वी० जे० पटेल के साथ आप यूरोप भ्रमण भी कर चुकी हैं। श्री० आर० बी० लोटवाला की आप कन्या-रत्न हैं।

कुर्ग प्रान्त की सर्व-प्रथम महिला—श्रीमती के० एस० थिमय्या—जिन्हें 'क़ैसरे हिन्द' नामक पदक प्रदान किया गया है।

श्रीमती शीलावती—आप रियासत हैदराबाद के श्रीमान राजा दीन-दयाल मुसौवरजङ्ग के सुपौत्र बाबू हुकुमचन्द की धर्मपत्नी हैं। स्त्रियों में शिक्षा-प्रचार के लिए आप बड़े उत्साह से कार्य कर रही हैं।

रेलवे स्टेशन से उतर कर महात्मा गाँधी मनी-भवन जा रहे हैं। मनी-भवन आजकल महात्मा जी के बम्बई में ठहरने का स्थान है। महात्मा जी के साथ अन्य कॉङ्ग्रेस-नेताओं के अतिरिक्त सरदार पटेल और श्री० जयरामदास दौलतराम भी हैं।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

[विस्तृत परिचय के लिए अन्यत्र प्रकाशित

सुशनगर का एक फ़क़ीर—यह सुश का मुल्ला उन तुर्कों में से एक है, जिन्होंने कुर्दों को इस बात के लिए भड़काया था कि वे आरमीनियन्स का बध करें। इसके भीख माँगने के तूँबे पर सुन्दर नक़्क़ाशी का काम हुआ है। यह लोग बड़े शान से भीख माँगते हैं।

पहाड़ी आरमीनियन स्त्रियाँ—ये स्त्रियाँ कुर्दिस्तान में रहती हैं और विशेष रूपवती नहीं होतीं। यह चित्र उस समय लिया गया था, जब कि कुर्दों ने आरमीनियन्स का बध करके सारी बालिकाओं तथा स्त्रियों को, जो अत्यन्त सुन्दरी थीं, अपने अन्तःपुर में दासी बना कर रख लिया था। जो बच रही थीं, उन्हें अमेरिका की मिश्नरियों ने रक्षणार्थ अपनी शरण में ले लिया था!

निर्धन आरमीनियन बालक—यह छोटा आरमीनियन बालक 'वान' नगर में कड़ाके के जाड़े में अपने पैरों को उष्णता पहुँचाने के लिए खाद की ढेर पर खड़ा है।

मेजर केरी—यह घुड़सवार आधुनिक आरमीनिया के सुविख्यात नेता मेजर केरी हैं, जिनका विगत महायुद्ध में देहान्त हो गया।

आर्टेमिड के तीन बाल-संरक्षक—ये छोटे बालक आर्टेमिड से वान नगर तक पैदल चल कर आए थे। ये सच्ची बन्दूकें माँगते थे, किन्तु सहायता देने वाले मिश्नरियों ने इन्हें केवल खाना और दो-चार कपड़े देकर टाल दिया। इन बच्चों के इस प्रकार क्रुद्ध होने तथा कष्ट सहन करने का कारण यह था कि इनमें से बहुतों के माँ-बाप मार डाले गए थे अथवा उन्होंने स्वतः आत्म-हत्या कर ली थी।

एक आरमीनियन परिवार—सहस्रों वर्ष से आरमीनिया का परिवार पितामह के कड़े शासन के अधीन रहा है। पितामह केवल आज्ञा देता है और सबको उसका पालन करना पड़ता है। उसकी अनुपस्थिति में ही ज्येष्ठ पुत्र कुछ कर सकता है। जो लड़की परिवार में विवाह करके लाई जाती है, उसे घर में दास-तुल्य होकर रहना पड़ता है।

ज़ैतून के आरमीनियन्स का बिशप, जो स्वधर्म की वेदी पर बलिदान हो गया, भूमध्यसागर के लेसर-आरमीनिया (Lesser Armenia) के प्राचीन राज्य का यह प्रतिनिधि था। इसके दश सहस्र अनुयायियों ने कई शताब्दियों तक तुर्कों का विरोध किया और ज़ैतून में सन् १८७५ ई० में एक तुर्की सेना का सामना किया, जो इसको घेरे हुई थी। बीच में चोग़ा पहने खड़ा हुआ ही सुप्रसिद्ध बिशप है।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

'आरमीनिया' शीर्षक लेख देखिए]

सब से प्राचीन जातीय क्रिश्चियन चर्च का 'अभागी' नेता—यह आरमीनियन धर्मगुरु अपने देशवासियों के समान तुर्कों और बॉल्शेविकों के बीच में दब रहा है। इसकी जाति के लोग इसे धर्म तथा राजनैतिक बातों में अपना नेता समझते हैं।

आरमीनिया की बाल-पत्नी—इस भय से, कि कहीं उसे तुर्कों के अन्तःपुर में न रहना पड़े, इस आरमीनिया की बालिका का विवाह १४ वर्ष की ही अवस्था में कर दिया गया था और फिर इसे प्रोटेस्टेण्ट मिश्नरी-स्कूल में विद्याभ्यास के लिए भेजा गया। यह अपने शरीर पर जातीय आभूषण धारण किए हुए है।

गार्हस्थ्य जीवन का दृश्य—आरमीनिया के शिशु-सङ्गोपन में यही प्राचीन ढङ्ग का पालना काम आता है। बेल-बूटे कढ़े हुए कपड़े अवश्य ही इस गर्विता माता के बनाए हुए हैं, क्योंकि आरमीनिया की स्त्रियाँ बेल-बूटे काढ़ने में विख्यात हैं। बालक उत्पन्न होना माता के मान को बढ़ा देता है; क्योंकि जाति की शक्ति पुरुषों की संख्या पर निर्भर है, ऐसा इनका विश्वास है।

कुर्दिस्तान का डाकू राजा—यह सच्चा कुर्द है, जो एक छोटी सी पहाड़ी ज़मींदारी का अधिपति है। इसके पास लड़ने के लिए बहुत से मनुष्य हैं। जैसा तबीयत में आए वैसा शासन करना—चाहे जितना लूटना-पाटना, और डाकूपने का रोज़गार करना, यह इसके काम हैं। इसने आरमीनियन्स से ही बहुत भूमि छीन ली है, तथापि पर्शियन, तुर्क, मैसोपोटामिया के लोगों के कमज़ोर होते ही उन पर आक्रमण करने को यह सदा तैयार रहता है।

आरमीनिया के फल बेचने वाले—जो बिट्लिस नगर से निकाल दिए गए थे। ये बेचारे फल बेच कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन शत्रुओं के भय से किसी ओर की सड़क पर बीस मिनिट से अधिक नहीं ठहरते। कुर्दों का भय इन्हें मारे डालता है।

पिशाच-पूजिका—यह अरारट पर्वत पर रहने वाली पिशाचों की पूजा करने वाली यज़ेदीज़ जाति की स्त्री है, जो ईश्वर तथा शैतान दोनों को मानती है और जल, सूर्य, सर्प, मयूर इत्यादि की भी पूजा करती है। इन लोगों में लिखना-पढ़ना सीखने की सख़्त मनाही है। ये महिलाएँ अपनी बहुत सी बातों में—अन्ध-विश्वासों में भारतीय महिलाओं से साम्य रखती हैं।

☞ नैरोबी (दक्षिण अफ़्रिका) का सुप्रसिद्ध आर्य-समाज-मन्दिर, जिसके अधीन आर्य-समाज की अनेक शाखाएँ प्रचार-कार्य कर रही हैं।

☞ बम्बई के महिला-ऐक्य-समिति (Women's Unity Club) की कुछ प्रमुख सदस्याएँ। इस सभा का एकमात्र उद्देश्य ज़ात-पाँत के भेद-भाव को हटा कर विभिन्न जाति की महिलाओं में एकता का प्रचार करना है। श्रीमती कैप्टेन (बीच में खड़ी हुईं) इस क्लब की अन्यतम कार्यकर्त्री हैं और यह संस्था आप ही के प्रयत्नों का प्रत्यक्ष फल है।

☞ लन्दन की महिलाएँ आजकल फ़ौजी कार्य बड़े मनोयोग से सीख रही हैं। इस चित्र में पाठक देखेंगे कि महिलाएँ बन्दूक़ तथा राइफ़ल द्वारा निशाना लगाना सीख रही हैं। इनको फ़ौजी शिक्षा देने के लिए कई सुयोग्य फ़ौजी अफ़सरों की नियुक्ति हुई है। इस चित्र में पाठक एक शिक्षक महाशय को भी देखेंगे, जो महिलाओं को निशानेबाज़ी की शिक्षा दे रहे हैं।

ज़िन्दगी का लुत्फ़ अगर है कुछ तो मैख़ान में है, मै नहीं साग़र में अमरित मेरे पैमाने में है।
इस सबब से दुहरा-दुहरा लुत्फ़ मैख़ाने में है, आपकी अँगड़ाइयों का अक्स पैमान में है।

दौरे पैहम[1] कह रहे हैं ईद मैख़ाने[2] में है,
चलती-फिरती चीज़, चलते-फिरते पैमाने में है।
बादए[3] सर जोश का आलम यह मैख़ाने में है,
मेरे, तेरे, इसके, उसके, सब के पैमाने में है।
ज़िन्दगी का लुत्फ़ अगर कुछ है तो मैख़ाने में है,
मै नहीं साग़र[4] में, अमरित मेरे पैमाने में है।
अल्ला अल्ला क्या निशाते[5] तब्अ मैख़ाने में है,
दिल में पैमाना है, मेरी जान पैमाने में है।
क़ाबिले तारीफ़ यह तक़सीम मैख़ाने में है,
जितनी जिसको प्यास, उतनी उसके पैमाने में है।
फिर फ़रेबे फ़स्ले गुल[6] देने लगी मुझको शराब,
कल थी यह मीना[7] में, लेकिन आज पैमाने में है।
दे के रङ्गा रङ्ग ज़ौक़ो शौक़ को, हम क्या कहें,
मुख़तलिफ़[8] अक़साम[9] की मै[10] एक पैमाने में है
हम अगर ताख़ीर[11] से पंहुँचे तो क्या तेरा क़सूर,
दे दे ऐ साक़ी यही तलछट जो पैमाने में है !
बेशो[12] कम पर बह्स रिन्दों[13] को न करनी चाहिए,
एक ही शै है जो ख़ुम[14] में और पैमाने में है।
क्यों न रक्खें पीने वाले हरदम इसकी एहतियात,
जानते हैं, वह हमारी जान पैमाने में है।
हलक़ तर करने को भी साक़ी न दे शायद शराब,
क्यों कहें यह घूँट दो घूँट अपने पैमाने में है ?
था कभी दिल को ख़याले शीशओ जामो[15] सुबू[16],
मैकदा[17] का मैकदा अब मेरे पैमाने में है।
जिस क़दर साक़ी पिलाए उस क़दर पी लूँ शराब
क्या बड़े से ख़ुम में क्या छोटे से पैमाने में है।
अब्र[18] में बिजली जो चमकी तो उन्हें लुत्फ़ आ गया,
रिन्द समझे आतिशे सय्याल[19] पैमाने में है।
क्यों न हम बेख़ुद हों चश्मे[20] लुत्फ़े साक़ी देख कर,
वह है इसमें कैफ़[21] जो लबरेज़ पैमाने में है।
उज्र पीने से अगर अब है तो कमबख़्ती मेरी,
अब भी है आस्माँ पर मै भी पैमाने में है।

१—बराबर, २—शराबख़ाना, ३—शराब, ४—प्याला, ५—आनन्द, ६—वसन्त ऋतु, ७—शीशा, ८—तरह-तरह, ९—कई क़िस्म के, १०—शराब, ११—देर, १२—ज़्यादा, १३—शराबी, १४—मटका, १५—प्याला, १६—घड़ा, १७—शराबख़ाना, १८—बादल, १९—तेज़ शराब, २०—कृपादृष्टि, २१—मज़ा,

मै कहाँ शबनम[22] कहाँ यह और शै वह और चीज़,
गुल के साग़र में नहीं जो मेरे पैमाने में है।
ले लिया साक़ी से हमने देखने को रह गया,
सिर्फ़ पैमाना ही है या मै भी पैमाने में है ?
किस लिए आलम को देखें दिल हम अपना देख कर,
मैकदे भर का निचोड़ इस एक पैमाने में है।
हाय यह ठण्ढी हवा यह अब्र यह रुत यह बहार,
कर चुका हूँ तोबा, नीयत फिर भी पैमाने में है।
बादए उल्फ़त से ख़ाली, कब हमारा दिल रहा,
यह बड़ी अनमोल शै अनमोल पैमाने में है।
देखिए क्या हाथ आए हम बढ़ाएँ अपने हाथ,
मै भी पैमाने में है, तोबा भी पैमाने में है।
कोई अब जाए कहाँ, साक़ी की महफ़िल छोड़ कर,
दीनो दुनिया का मज़ा जो कुछ है पैमाने में है।
"नूह" को देखा तो उनका मोजिज़ा[23] भी देख लो,
एक-एक तूफ़ान बन्द एक-एक पैमाने में है।

—"नूह" नारवी

अब न कहने में किसी के है, न समझाने में है,
यह असर दीवानगी का तेरे दीवाने में है।
पीने वालों का अजब अन्दाज़ मैख़ाने में है,
है नज़र साक़ी पर उनकी, रूह पैमाने में है।
जिस क़दर है ढूँढ़ने वाले को तेरी आरज़ू,
इस क़दर परदा भी तुझको सामने आने में है।
होश कर कुछ होश ऐ मस्ते शराबे ज़िन्दगी,
कोई क़तरा ज़ह्र का भी तेरे पैमाने में है।
दफ़्न होकर भी वही बाक़ी रहीं बेताबियाँ,[24]
हम समझते थे सुकूने[25] क़ल्ब मर जाने में है।
जानता हूँ मैं न देखूँगा न पाऊँगा उसे,
फिर भी रसमन[26] कह रहा हूँ दिल के काशाने[27] में है।
लोग सुनने के लिए आते हैं, उसकी गुफ़्तगू,
झक वह मजनूँ में नहीं, जो तेरे दीवाने में है।
जिनको हँसना है वह हँस लें जिनको रोना हो वह रोएँ,
और थोड़ी देर बाक़ी मेरे मर जाने में है।
यह कहीं आता नहीं, जाता नहीं, रहता नहीं,
देखिए 'शातिर' को तो हिर-फिर के बुतख़ाने में है।

—"शातिर" इलाहाबादी

२२—ओस, २३—अद्भुत काम, २४—बेचैनी, २५—दिल को आराम, २६—रिवाज के तौर पर, २७—मन्दिर,

इस सबब से दुहरा-दुहरा लुत्फ़ मैख़ाने में है,
आपकी अँगड़ाइयों का अक्स पैमाने में है।
भीड़ रिन्दों की बहुत कुछ आज मैख़ाने में है,
कितनी शीशे में है साक़ी, कितनी पैमाने में है ?
क्या बताऊँ, क्या कहूँ, क्या रङ्ग मैख़ाने में है,
दोनों आलम का समाँ एक मेरे पैमाने में है।
देर ऐ साक़ी न कर, क्या देर पैमाने में है,
बस हमीं हम हैं यहाँ, अब कौन मैख़ाने में है।
जलवए दिलकश[28] नज़र आए तो उसको देख ले,
अब भी इतना होश बाक़ी तेरे दीवाने में है।
चार-छः तिनकों ने कैसा नाम रौशन कर दिया,
बर्क़[29] मेहमाँ इनके दम से मेरे काशाने[30] में है।
जो लगाए मुँह से, होश उसको न आए उम्र भर,
किसके पैमाने में यह बात, अपने पैमाने में है।
छुट नहीं सकता कोई ज़िन्दाने-उल्फ़त[31] का असीर,
रूह मजनूँ की अभी तक क़ैद वीराने में है !
शम्आ[32] जलकर क्यों नहीं लेती ख़ुद इसका इम्तेहाँ,
उसके दम से क़ूअते परवाज़[33] परवाने में है।
पीने वाला क्यों न हो मस्ते शराबे बेख़ुदी,[34]
अक्स उन आँखों की गर्दिश का भी पैमाने में है।
रूए रौशन से हटाते हैं वह ज़ुल्फ़ें बार-बार,
चाँदनी छिटकी हुई मेरे सियहख़ाने[35] में है।
इन्क़िलाबे[36] दह्र[37] का ग़म मुझको ऐ साक़ी नहीं,
गर्दिशे हफ़्त[38] आस्माँ एक तेरे पैमाने में है।
इसने दौरे हुस्न देखा था सरे बज़्मे[39] अज़ल,
है वही मस्ती जो अब तक तेरे मस्ताने में है।
यह रहे मद्दे नज़र[40] ऐ बादाख़्वारे[41] ज़िन्दगी,
नेस्ती[42] का दौर भी हस्ती[43] के पैमाने में है।
वह नहीं पीते तो रिन्द, इसको पिलाते हैं शराब,
हज़रते ज़ाहिद[44] की एक तस्वीर मैख़ाने में है।
ज़ाहिरी असबाब से इसको तआल्लुक़ कुछ नहीं,
हक़परस्ती[45] के लिए "बिस्मिल" भी बुतख़ाने में है।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

* * *

२८—दिल खींचने वाला, २९—बिजली, ३०—घर, ३१—प्रेम का क़ैदख़ाना, ३२—दीपक, ३३—उड़ने की ताक़त, ३४—होश में न रहना, ३५—अँधेरा घर, ३६—परिवर्तन, ३७—संसार, ३८—सात, ३९—आदि, ४०—ध्यान न रहे, ४१—शराबी, ४२—नाश, ४३—जीवन, ४४—परहेज़गार, ४५—ईश्वर को पूजना।

भारत को अन्तर्राष्ट्रीयता का रोग

[श्री० नरसिंहराम जी शुक्ल]

त यूरोपीय महायुद्ध ही एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीयता का उत्पादक माना जाता है। जब यूरोप की सारी शक्तियाँ आपस में लड़-लड़ कर शिथिल पड़ गईं, तब उन्हें भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में प्रेम करने की सूझी। इस सूझ को हम अधिक महत्व की दृष्टि से नहीं देख सकते। उनकी यह सूझ उस आशाइस और आरामतलब वृद्ध की सूझ के समान है, जो अपने चौथेपन में ईश्वर-भजन की आकांक्षा करता है। जब तक उसकी इन्द्रियाँ विषय-भोग के आनन्द का रसास्वादन कर सकीं; तब तक उसने तनिक भी ध्यान ईश्वर-पूजा की ओर नहीं लगाया। अब ज्योंही उसे यह मालूम हुआ कि वह इस संसार में अल्प समय का अतिथि है, तो वह दिन-रात 'राम-राम' जपने का ढोंग करता है। क्या यह सचमुच ढोंग नहीं है? इसी तरह हम यूरोप की चौथेपन में आई हुई शक्तियों द्वारा 'अन्तर्राष्ट्रीयता' का माया-जाल रचना भी ढोंग ही समझते हैं। परन्तु इस माया-जाल में भारतवर्ष बुरी तरह से फँस चुका है। उसे यह नहीं मालूम होता है कि इससे उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा होती है या उसे निरा उल्लू फँसाया जाता है। जिन दिनों यूरोप की शक्तियाँ बल, धन, जन से परिपूरित थीं, उन दिनों उन्होंने 'कालों' पर जो भयङ्कर अत्याचार किए हैं, क्या वे भूल गए हैं? आज दिन भी वे अपनी बची-खुची ही शक्ति के बल से कालों पर कितना अत्याचार कर रही हैं।

आज दिन प्रायः सभी पाश्चात्य राष्ट्र 'अन्तर्राष्ट्रीयता' की आवाज़ को ऊँचा कर रहे हैं। पर वे उस ओर अग्रसर होने के लिए क्या करते हैं, इसे यदि आप देखें तो आपको उनका रहस्य समझ में आवे। स्वतन्त्रता देवी के प्रेमी, संसार के ग़ुलाम देशों को आज़ादी दिलाने का ढोंग रचने वाले अमेरिका के प्रान्तों में उसी बीसवीं शताब्दी की सभ्यता के युग में बेचारे हब्शियों पर कितना अत्याचार किया जाता है। हम आए दिन समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि बेचारे हब्शियों को मिट्टी का तेल डाल कर जला देते हैं!!! कभी उन्हें गरम-गरम लोहों के छड़ों से पीटते हैं। लाल-लाल जलते लोहे के छड़ लेकर स्त्रियों और पुरुषों की इन्द्रियों में घुसेड़ते हैं। अमानुषिकता का ऐसा भीषण ताण्डव बहुत दिन पहले का नहीं; वरन् सन् १९३० का है। उसी अमेरिका के एक प्रान्त में गत अमेरिका-यात्रा के समय संसार-प्रसिद्ध कविवर रवीन्द्र का जो अपमान हुआ था, वह सब को मालूम है। उसी अमेरिका के एक छोटे से समाचार पर—अमेरिका के अमुक सज्जन भारत के हितों के लिए एक प्रतिनिधि-मण्डल बना कर इङ्गलैण्ड जाना चाहते हैं—हम आनन्द और उल्लास के मारे उछलने लगते हैं। परन्तु अमेरिका की सहानुभूति को कोरी सहानुभूति ही समझना चाहिए। उसमें तनिक भी तत्व नहीं है। उनका व्यवहार अवश्य ही रँगे शृगाल की तरह हो रहा है। अभी जून के आरम्भिक सप्ताह का समाचार है कि अमेरिका के एक विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ के एक प्रोफ़ेसर को इस कारण निकाल दिया है कि उसने गत सत्याग्रह-आन्दोलन के समय बम्बई में भारतीय छात्रों के सामने एक ऐसा भाषण दिया था, जिसमें उन्हें सत्याग्रह-संग्राम में भाग लेने को उत्तेजित किया गया था। यह समाचार अन्तर्राष्ट्रीयता की माया-मरीचिका पर लुभायमान होने वालों को ठण्ढे दिल से पढ़ना चाहिए। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ऐसी धारणा!! फिर तो वहाँ की साधारण जनता की क्या भावनाएँ होंगी। उनकी इस धारणा के हम दो कारण समझते हैं। प्रथम कारण तो यह कि अमेरिकावासी पहले ब्रिटेन के हितू हैं तब औरों के; और दूसरे यह कि जब उनके यहाँ के एक शिक्षित समाज की यह दशा है तो उनकी 'अन्तर्राष्ट्रीयता' कोरी ढोंग है। ब्रिटिश सरकार ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पास उक्त भाषण की नक़ल और अपनी शिकायत भेजी होंगी। उसीसे उक्त प्रोफ़ेसर महोदय को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। जो कुछ हो, उस समाचार ने अमेरिका के भारत-प्रेम का सच्चा रहस्य बताया है। अमेरिका के अधिकार में पूर्वी द्वीप-समूह में स्थित फ़िलीपाइन्स द्वीप-समूह अभी तक ग़ुलामी की अवस्था में ही पड़ा है। उसे ही आज़ादी क्यों नहीं दी जाती? मिस मेयो कौन है? अमेरिका की रहने वाली। आप कहेंगे कि यदि एक अमेरिकावासी कुछ बुरा काम करे तो सारे अमेरिकावासी बुरे नहीं कहे जा सकते। दूसरी बात यह आप कह सकते हैं कि अमेरिकावासियों का उक्त पुस्तक के निकलवाने में क्या उद्देश्य हो सकता है? भारत से अमेरिका का क्या सम्बन्ध है? मिस मेयो तो अङ्गरेज़ी राज्य की दूतिनी थी! इन दोनों प्रश्नों का मैं आपको उत्तर देता हूँ। प्रथम बात यह है कि हाँडी के चावल में केवल एक चावल परखा जाता है। मिस मेयो की करतूत ने हमें सचेत कर दिया है। फिर इसके अनन्तर दूसरी बात भी है। आप यह साफ़-साफ़ नहीं कह सकते कि इसमें अमेरिकावासियों का कुछ भी हाथ न था। आपके पास उसके लिए काफ़ी प्रमाण नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि अमेरिका में मिस मेयो की 'मदर इण्डिया' कहीं-कहीं जलाई गई थी। मेरा जहाँ तक अनुमान है, यह आन्दोलन अमेरिका स्थित भारतीयों का उठाया हुआ था और यदि अमेरिकावासियों का आन्दोलन था तो हम उसे हिम्मत के साथ 'घड़ियाल का आँसू' कह सकते हैं। इसका प्रमाण भी है। 'मदर इण्डिया' के बहुत पहिले उसी 'मिस' ने (भयङ्कर टापू) Isles of fear नाम की एक पुस्तक उस समय लिखी जब कि फ़िलीपाइन्स वाले अपना रक्त बहा कर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। क्या इस पुस्तक को भी किसी ब्रिटिश राजदूत ने लिखवाया था? अवश्य ही उक्त पुस्तक अमेरिका के साम्राज्यवादियों द्वारा लिखवाई गई होगी। ऐसी पुस्तकें अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपना विशेष महत्व रखती हैं? यही नहीं, वे किसी देश-विशेष के निवासियों की—जिसके एक निवासी द्वारा लिखी गई होती हैं; मनोगत भावों को प्रकट करती हैं। इस नियम में कुछ अपवाद भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर सण्डरलैण्ड आदि! परन्तु वे नक़्क़ारख़ाने में तूती की आवाज़ की तरह हैं। वे वहाँ की राजनीतिक मण्डली में कोई प्रभावशाली अस्तित्व नहीं रखते। यदि लोकमत पर उनका प्रभाव ही होता अथवा अमेरिका भारत का सच्चा हितसाधक होता तो ब्रिटिश-साम्राज्यवादियों से लड़ कर 'मदर इण्डिया' को ज़ब्त कराता तथा 'इण्डिया-इन-बान्डेज' को ज़ब्त होने से बचाता, परन्तु ये दोनों बातें बिल्कुल उल्टी हुईं। उधर न तो 'इण्डिया-इन-बान्डेज' की ज़ब्ती रोकी गई और न 'मदर इण्डिया' ज़ब्त हुई। ज़ब्त होना तो दूर रहा, 'देवताओं के ग़ुलाम' नाम की उसकी दूसरी पुस्तक भी निकल गई! क्या अमेरिकावासी, जो भारत के इतने शुभचिन्तक हैं कि प्रतिनिधि-मण्डल लेकर विलायत जा रहे हैं, एक नाचीज़ औरत को ऐसी बेजा हरकतें करने से नहीं रोक सकते? एक ओर तो जब हम ऐसे समाचार पाते हैं कि मिस मेयो अपनी दूसरी पुस्तक लिख रही है और दूसरी ओर प्रतिनिधि-मण्डल की बात सुनते हैं तो हँसी आती है। आज यदि अमेरिकावासी हमारे साथ सच्ची सहानुभूति रखते हैं तो उन्हें चाहिए कि मिस मेयो को बेजा हरकत करने से रोकें। दूसरे हमारे ही समान 'काले' हब्शियों के ऊपर अत्याचार करना छोड़ दें। यह अन्तर्राष्ट्रीयता के नाम पर चली गई दुरङ्गी चाल अधिक दिन तक स्थायी नहीं रह सकती।

हाँ, एक बात तो कही ही नहीं गई कि भारत-प्रेमी अमेरिका के संयुक्त राज्य में भारतवासियों को रङ्ग-भेद के कारण जो असह्यनीय दुख भोगना पड़ता है, उसे भी अमेरिकावासी अपने भारत के प्रेम के परिचय-स्वरूप निवारण कर सकते हैं। भारतीयों के ऊपर जो वहाँ जाने में अनेक बाधाएँ डाली जाती हैं, उसे भी दूर कर सकते हैं! फिर उसे अभी तक क्यों नहीं दूर किया गया?

आजकल भारत और जर्मनी में तथा भारत और रूस में कुछ प्रेम-भाव उत्पन्न हो रहा है। हमें इस बात का विचार करना होगा कि आया उनका यह प्रेम भारत को दुखी देख कर उत्पन्न हुआ अथवा यह ब्रिटिश राज्य से मनोमालिन्य के कारण हुआ है। आप इस प्रश्न के पहिले पहलू पर विचार करें।

भारतवर्ष अङ्गरेज़ों के हाथ में आज प्रायः डेढ़ सौ बरसों से है। उसका भारत पर अत्याचार कुछ नया नहीं है। उनके अत्याचारों की कहानी जर्मनी और रूस वाले अधिक दिन से जानते हैं। परन्तु उनका यह प्रेम यूरोपीय महासमर के बाद से ही इतना प्रगाढ़ित क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर कुछ कठिन नहीं है। इतिहास-वेत्ता इसे अच्छी तरह जानते हैं कि आज जर्मनी और रूस के प्रेम में कहाँ तक स्वार्थ है और कहाँ तक परमार्थ। कुछ ही दिन पहिले की बात है कि वे ही जर्मनीवासी भारतीयों को पकड़ कर नुमाइशगाहों में उन्हें एक कौतूहलपूर्ण वस्तुओं में रखते थे। एक बार लगभग दस-बारह दरिद्र भारतवासी इसी तरह जर्मनी के एक प्रदर्शिनी में भेजे गए थे। आज भारत के साथ जो उनका प्रेम है, उस प्रेम का कारण उनका व्यापारिक स्वार्थ है और दूसरा ब्रिटिश-राज्य से उनका मनोमालिन्य है, न कि भारत की दुखित अवस्था।

ऊपर जो कुछ मैंने लिखा है, उससे मेरा यह मतलब नहीं है कि भारत अन्य राष्ट्रों से प्रेम न करे। प्रेम अवश्य करे, परन्तु अन्धा होकर नहीं—आँखें खोल कर, हित-अनहित पहचान कर। इस समय अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रेमी भारतवासी सज्जनों के विचार से अमेरिका, जर्मनी और रूस विशेषतया हमारे स्वाधीनता-संग्राम से सहानुभूति रखते हैं? परन्तु उनकी सहानुभूति से हमारा लाभ क्या हुआ है? आप कहेंगे कि इन सहानुभूतियों के कारण ब्रिटिश सरकार पर प्रभाव पड़ेगा और वह हमें झट स्वराज्य दे देगी। परन्तु कहीं आप इस विश्वास में न रहें। यह निरी मृगतृष्णा है। अभी कुछ ही दिनों की बात है कि भारत के राजनीतिक लोग इङ्गलैण्ड में भारत के विषय में 'प्रोपेगैण्डा' करने को

विशेष महत्व देते थे, परन्तु थोड़े ही दिन में उन्हें इस रहस्य का उद्घाटन हो गया। स्वर्गीय लोकमान्य तिलक, दादाभाई नौरोजी और गोखले प्रभृति सज्जन इङ्गलैण्ड में प्रचार करने को विशेष महत्व देते थे, परन्तु अब यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरह यह अन्तर्राष्ट्रीयता की भी आशा विफल हो सकती है !

वे पाश्चात्य देश निवासी आज़ाद हैं, धन-धान्य से पूर्ण हैं, सुख और आनन्द की उन्हें कोई कमी नहीं है। कहीं नङ्गा प्रथा की स्थापना होती है, कहीं सुन्दर नाच-गृह बनाए जाते हैं। यह उनके लिए मन-बहलाव की सामग्रियाँ हैं। इसी तरह उनकी अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना भी है। यह तो उनके लिए मन-बहलाव की एक सामग्री है। कुछ लोगों ने उसे मन-बहलाव का साधन समझ रखा है। सभी राष्ट्र दिखाऊ रूप की निःशस्त्रीकरण के पक्ष में हैं, परन्तु सभी भीतर-भीतर हवाई जहाज़ और जल-जहाज़ बनवा रहे हैं। सभी सेना बढ़ा रहे हैं। यह परस्पर अविश्वास का ही फल है। फिर ऐसे अविश्वासी राष्ट्रों से भारत को आशा करना व्यर्थ है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। दूसरों के आसरे रहना कायरता है ! यह सोचना कि अमेरिका हमारी सहायता करेगा, रूस हमारी ओर से लड़ेगा, जर्मनी सहानुभूति दिखाएगा, केवल अपनी अज्ञानता प्रदर्शित करना है। सभी 'सफ़ेद' जातियों में यह भावना रहती है कि वे कालों से उच्च हैं। फिर बालू की भीत उठाना कहाँ तक ठीक है ? परन्तु हमारे कुछ भारतवासी नेता अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रेम में इतने पागल से रहते हैं कि कहा नहीं जा सकता। इन नेताओं में मज़दूर-दल के नेता सर्व-प्रधान हैं। वे लाल झण्डा लगाते हैं, कॉङ्ग्रेस को साम्राज्यवादी व पूँजीपतियों की संस्था कहते हैं, उसके झण्डे को हटा कर विश्व-प्रियता स्थापित करने के हेतु लाल झण्डा लगाते हैं, खद्दर और स्वदेशी-आन्दोलन को सङ्कीर्ण राष्ट्रीयता का द्योतक समझते हैं। वे संसार के सभी मज़दूरों को अपना भाई समझते हैं। यहाँ मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या संसार के अन्य देशों के मज़दूर भी आपको अपना भाई समझते हैं ? यदि नहीं, तो आप क्यों कुत्तों से हो रहे हैं ? वे तो आपसे घृणा करते हैं। और आप 'कुक्करोपादेय पिण्ड' की आशा में बैठे हैं। जिस देश में अन्तर्संम्प्रदाय, अन्तर्जातीय प्रेम तक अभी उत्पन्न नहीं हो सका है, उस देश के निवासी अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम की डींग मारें तो संसार की दृष्टि में वे क्या बुद्धिमान समझे जायँगे ? पहिले अपने घर में दिया जलाइए, फिर बाहर जलाइएगा। अन्तर्राष्ट्रीयता भारतवासियों के लिए बड़ी दूर की बातें हैं। अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर अपनी शक्ति लगाना, अपनी शक्ति क्षीण करना है। अभी तक तो हमने अपने को सङ्गठित किया नहीं, फिर हम अन्य राष्ट्रों का सङ्गठन कैसे कर सकते हैं ? हाँ, यह हो सकता है कि भारत स्वाधीन होने पर अन्तर्राष्ट्रीयता के इस ढोंग को सच्चा रूप देने में सहायक हो सके। परन्तु इस समय तो उसकी दशा 'कहा निचोड़े नग्न जन, नहान सरोवर कीन' की हो रही है। जो लोग भारत के ऊपर अन्तर्राष्ट्रीयता का बोझ लादना चाहते हैं वे यह अच्छी तरह समझ लें कि वे भारत के सच्चे हितचिन्तक नहीं हैं। पहिले घर की भीतर से मोरचाबन्दी कर लेना, अधिक बुद्धिमानी होगी। फिर तो भारत संसार में अपनी ही शक्ति से अन्तर्राष्ट्रीयता की ध्वजा फहरा सकता है। भारतवासियों को अपनी शक्ति को इधर बिखेरना न चाहिए, बल्कि सञ्चित करके पहिले अन्तर्जातीय प्रेम की स्थापना कर, अपने को ग़ुलामी से मुक्त करना चाहिए।

कुछ लोग कहेंगे कि 'बसुधैव कुटुम्बकम्' का आदर्श भारतवर्ष का बहुत पुराना आदर्श है, परन्तु उन्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि 'बिनु भय होहिं न प्रीति'। भारत जिस समय स्वाधीन था उस समय के लिए यह उक्ति ठीक थी, परन्तु आज ग़ुलामी के दिन में यह नीति ठीक नहीं है। भारत को ख़ूब सोच-समझ कर चलना होगा। शताब्दियों की ग़ुलामी के बाद आज फिर उसमें आज़ादी का राग उत्पन्न हुआ है। पर अभी वह शैशवावस्था में ही है; सम्भव है कि अन्य राष्ट्र उसके इस मनोमुग्धकारी शैशव रूप से मोहित होकर उसे हथियाने के लिए यह माया-जाल रच रहे हों। 'जानि न जाहिं निशाचर माया।'

अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों कारणों के ऊपर मनन करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि अभी भारत को अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रेम से दूर ही रहना चाहिए। हम यह भी देख चुके हैं कि जिस-जिसके ऊपर हमने विश्वास किया है उस-उसने अन्त समय में धोखा दिया है। मुसलमानी राज्य तथा अङ्गरेज़ी राज्य दोनों के इतिहास हमारी इस भूल के साक्षी हैं। फिर इन सब अनुभवों के होते हुए भी यदि हम भूल करें तो उसका उत्तरदायित्व किसके सिर पर होगा ! भविष्य किसे मूर्ख बनावेगा ? शहाबुद्दीन ग़ोरी की बार-बार प्राण-रक्षा कर पृथ्वीराज ने कहाँ तक अच्छा किया, इतिहास इसका साक्षी है। गत सन् १८५७ के युद्ध में दुश्मनों की रक्षा कर भारत ने कहाँ तक अच्छा किया। इतिहास इसका भी साक्षी है। फिर ऐसी विश्व-मैत्री की हमें क्या आवश्यकता है जो हमारी जड़ में गरम जल डाल कर हमें सुखाने का प्रयत्न करती हो ? ऐसी विश्व-मैत्री, ऐसा विश्वप्रेम, ऐसी अन्तर्राष्ट्रीयता से भारत को कोसों दूर रहना चाहिए। यह भयङ्कर बीमारी है। यह काल-रोग है !

* * *

पण्डित जगतराम हरियानवी

[श्री० अभयङ्कर वर्मा, एम० ए०, एल्-एल्० बी०]

त सप्ताह के 'भविष्य' में पाठकों ने लाहौर के विख्यात समाचार-पत्र 'मिलाप' के आधार पर छपी हुई, श्री० कृष्णगोपाल जी की वह चिट्ठी पढ़ी होगी, जिसके द्वारा उन्होंने सर्व-साधारण का ध्यान आजन्म क़ैदी पण्डित भगतराम जी हरियानवी की ओर आकर्षित किया है। पाठकों को यह भी मालूम हो गया होगा कि पण्डित जी को गत १९१४ के लाहौर षड्यन्त्र केस नामक एक राजनीतिक मामले में आपको आजन्म क़ैद की सज़ा दी गई थी, और आजन्म की मीयाद चौदह वर्ष मानी जाती है, परन्तु अभी तक न जाने क्यों सरकार उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। हमें 'मिलाप' द्वारा यह जानने का अवसर मिला है कि पण्डित जी का जेल-जीवन अत्यन्त पवित्र, शान्तिमय और शिष्टतापूर्ण है। आपकी चाल-चलन और जेल के

१७ वर्ष जेल में रहने के बाद
पं० जगतराम जी !

नियमों की पाबन्दी में आज तक जेल के अधिकारियों को किसी प्रकार की शिकायत का मौक़ा नहीं मिला है। फलतः जेल का 'डिसिप्लिन' (विनियम) का पूर्णतया पालन करने वाले बन्दियों के साथ जो रियायतें की जाती हैं, वे भी पण्डित जी को प्राप्त हैं और तदनुसार आप चौदह वर्ष से भी पहले ही मुक्त हो जाने के अधिकारी हैं। इसके सिवा पण्डित जी की अवस्था अब प्रायः चालीस वर्ष की हो चुकी है, फलतः उनमें अब न तो वे युवावस्था की उमङ्गें हैं और न जोश कि वे जेल से निकलते ही, ब्रिटिश राज्य को उलट देने के लिए कोई नया षड्यन्त्र आरम्भ कर देंगे। ऐसी दशा में, न्याय, क़ानून और मनुष्यत्व—किसी दृष्टि से भी पण्डित जी को जेलख़ाने में बन्द रखना उचित नहीं है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि सरकार ने दो बार पण्डित जी को छोड़ देने की अनुमति दी, परन्तु अधिकारियों ने छोड़ देने की जगह उनकी क़ैद की मीयाद बढ़ाने के लिए सरकार से सिफ़ारिश की और मीयाद बढ़वा ली। पण्डित जी की धर्मपत्नी इस समय असहाय और अभिभावकहीन अवस्था में पड़ी हैं। आपके कनिष्ठ सहोदर और माता की मृत्यु के बाद, अभी हाल में ही आपके वृद्ध पिता का भी देहान्त हो गया है, फलतः अब कोई दूसरा व्यक्ति पण्डित जी की धर्मपत्नी की देख-रेख करने वाला नहीं है। ऐसी दशा में भी सरकार ने न जाने क्यों कानों में तेल डाल रक्खा है, यह समझ में नहीं आता? कहते हैं, पण्डित जी से यह कहा जा रहा था कि अगर वे जेल से छूटने पर राजनीति में भाग न लेने की प्रतिज्ञा करें तो छोड़ दिए जा सकते हैं। परन्तु क्या कोई आत्माभिमानी मनुष्य इस तरह की अनुचित और ग़ैर-क़ानूनी प्रतिज्ञा कर सकता है? हमें यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है, कि स्वाभिमानी पण्डित जगतराम ने भी ऐसी प्रतिज्ञा न की और उस पर्चे को घृणापूर्वक फेंक दिया, जिस पर इस तरह की बेहूदी प्रतिज्ञा करने की बात लिखी थी।

यों तो और भी बहुत से भारत-माता के लाल ऐसे हैं, जो अकारण ही या किसी अज्ञात कारण से जेलों में सड़ाए जा रहे हैं या कहीं नज़रबन्द करके रक्खे गए हैं। सरकार ने अपने इस घोर अन्याय पर पर्दा डालने के लिए मनमाना क़ानून भी पास कर लिया है या आवश्यकता पड़ने पर किसी ऑर्डिनेन्स की शरण ले लेती है। परन्तु पण्डित जगतराम जी हरियानवी जैसे मनुष्य, जो अदालती फ़ैसले के अनुसार अपना पूरा बन्दी-काल बिता चुके हैं, किस क़ानून या ऑर्डिनेन्स के अनुसार नहीं छोड़े जाते, यह सरकार ही जानती है।

ख़ैर, पञ्जाब के अख़बारों ने पण्डित जगतराम तथा अन्यान्य क़ैदियों के लिए, जो मीयाद पूरी हो जाने पर भी छोड़े नहीं जा रहे हैं, या जो बिना कारण बताए ही पकड़ कर जेलों में बन्द कर दिए गए हैं, ज़ोर-शोर से आन्दोलन आरम्भ कर दिया है। देखें, इस आन्दोलन के परिणाम-स्वरूप सरकार के कानों पर जूँ रेंगती है या नहीं। हम तो यहाँ पण्डित जगतराम जी का थोड़ा-सा परिचय देकर 'भविष्य' के पाठकों को दिखाना चाहते हैं कि पञ्जाब की सरकार पण्डित जी जैसे एक साधु पुरुष को अकारण यातना देकर कितना घोर अन्याय कर रही है। अस्तु।

जीवन-परिचय

हरियाना, ज़िला होशियारपुर के नग़मापरू नामक क़स्बे को पण्डित जगतराम का जन्म-स्थान होने का गौरव प्राप्त है। पण्डित जी ने आरम्भ से ही एक अलबेला स्वभाव पाया था। सदैव निर्द्वन्द्व और प्रसन्न रहना आपके स्वभाव की विशेषता है। इण्ट्रेन्स की परीक्षा पास करने पर जगतराम लाहौर के सुप्रसिद्ध दयानन्द ऐङ्गलो-वैदिक कॉलेज में भर्ती हुए। परन्तु परीक्षा देने से पहले ही आपको अमेरिका जाने की धुन सवार हो गई। आपका उद्देश्य उच्चकोटि की शिक्षा प्राप्त करने की था। परन्तु अमेरिका जाने पर आप दूसरे ही पथ के पथिक हो गए। वहाँ सुप्रसिद्ध देशभक्त लाला हरदयाल से आपकी भेंट हो गई। दोनों के दिलों में देशभक्ति की आग मौजूद थी। एक की धधक उठी थी और दूसरे की उपयुक्त ईंधन की अपेक्षा में थी। दोनों मिलते ही एक-दूसरे को पहचान गए। धीरे-धीरे घनिष्टता बढ़ी। मातृभूमि को बन्धन-मुक्त करने की चर्चा चली। लाला जी ने एक गीत गाया। सुनते हैं, वह गीत बड़ा ही मधुर, बड़ा ही हृदयग्राही और बड़ा ही भावपूर्ण है। देशभक्ति के भाव उसमें मानो कूट-कूट कर भरे हैं। इसलिए प्रत्येक भारतीय-हृदय वह विचित्र सङ्गीत सुन कर तड़प उठता है। फिर पण्डित जगतराम के पहलू में तो दिल था और दिल में दर्द भरा था। उस गीत की स्वर-लहरी से उनके हृत्तन्त्री के तार झङ्कृत हो उठे। भारत की अवस्था का चित्र आँखों के सामने खिंच गया। उन्होंने उसी मातृभूमि की सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और उसे कार्य में परिणत करने के लिए 'श्रीगणेश' स्वरूप एक अख़बार निकालने लगे। अमेरिका-प्रवासी भारतीय भाइयों को मातृभूमि की दयनीय दशा का दिग्दर्शन कराना ही इस पत्र का उद्देश्य था। जगतराम की कुशल लेखनी ने उसका एक से एक बढ़ कर वास्तविक चित्र खींचना आरम्भ कर दिया। इस कार्य में उन्होंने काफ़ी सफलता भी प्राप्त की।

परन्तु कुछ दिन के बाद ही उनके विचार बदल गए। सुदूर अमेरिका में बैठ कर भारत की सेवा उन्हें समीचीन नहीं प्रतीत हुई। उन्होंने भारत में रह कर भारत की सेवा करने का निश्चय किया और एक दिन साश्रु नेत्रों से अपने अमेरिका-प्रवासी देश-बन्धुओं से विदा लेकर भारत के लिए चल पड़े।

उन दिनों भारत की स्वतन्त्रता की लहर इतने ज़ोरों पर न थी। 'स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है' यह कहना भी भयानक राजनीतिक अपराध समझा जाता था। भारत को दयनीय दशा का शब्द-चित्र अङ्कित करना भी राजद्रोह था। देश के विद्वान लीडर सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के लिए लेक्चर दिया करते थे, यही उनके राजनीतिक आन्दोलन का परम

पं० जगतराम जी के पिता
स्वर्गीय पं० दत्तोराम जी

लक्ष्य था। ऐसे समय पण्डित जगतराम ने देश-भक्ति की दीप-शिखा पर पतङ्गों की भाँति निछावर हो जाने वाले कतिपय नवयुवकों के साथ, अपनी निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार देश-सेवा-सम्बन्धी कार्य आरम्भ कर दिया। उनकी वह प्रणाली कैसी थी—अच्छी या बुरी, इन बातों पर बहस करना हमारा अभीष्ट नहीं है, और न यहाँ उसके वर्णन की कोई आवश्यकता ही है।

गिरफ़्तारी और दण्ड

सन् १९१४ में पुलिस ने लाहौर षड्यन्त्र केस नाम का एक मामला पञ्जाब के कई नवयुवकों पर चलाया था। इन्हीं में पण्डित जगतराम भी थे। एक दिन वह किसी कार्यवश पेशावर जा रहे थे और रावलपिण्डी में गिरफ़्तार कर लिए गए। लाहौर में आप पर भयङ्कर षड्यन्त्र और हत्या आदि का अभियोग लगा कर मामला चलाया गया। अदालत ने आपको फाँसी की सज़ा दी। आपने हँसते-हँसते फाँसी की सज़ा सुनी।

इस समय एक बड़ी ही कारुणिक घटना हुई। पण्डित जी के पिता और उनकी धर्मपत्नी ने यह दुखद सम्वाद सुना, तो मूर्च्छित होकर गिर पड़े। पिता के

नयनों का तारा छिन रहा था; पत्नी का सर्वस्व लुट रहा था—उसका संसार सूना हो रहा था। दोनों व्याकुल होकर पण्डित जगतराम से अन्तिम भेंट करने आए। परन्तु पण्डित जी निर्द्वन्द्व थे—प्रसन्न थे। जेल की कोठरी में कभी वहदत के तराने गाते और कभी देशभक्ति के नशे में झूमने लगते। पिता और पत्नी को देख कर हँस कर उन्होंने उनका स्वागत किया और बोले—पिता जी, क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं ?

पिता ने आँखों में आँसू भर कर उत्तर दिया—"बेटा, कल तुम फाँसी के तख़्ते पर लटकने जाते हो, मेरी आशाओं पर वज्र-प्रहार होने वाला है, मेरा सर्वस्व लुट रहा है और तुम मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो ?"

पण्डित जगतराम ने उसी तरह प्रसन्नतापूर्वक कहा—"क्या आपने इतिहास के पन्नों में गुरु गोविन्द-सिंह के लालों के आत्मोत्सर्ग की कहानी नहीं पढ़ी है ? क्या उन मासूम बच्चों के दीवार में चुने जाने की हृदय-विदारक घटना की याद करके आपके मुँह से बेतहाशा 'वाह ! वाह !' नहीं निकल जाता है ? फिर आज आप रो क्यों रहे हैं ? यह वही नाटक तो है, जो आपके ही घर खेला जा रहा है। इस पर तो आपको और भी ख़ुश होना चाहिए। मैं अपनी जवानी मातृ-भूमि के चरणों पर अर्पण करने जा रहा हूँ। क्या यह आपके लिए प्रसन्नता की बात नहीं है ?"

व्यथित हृदय वृद्ध पिता इन बातों का क्या उत्तर देते ? वे मौन भाव से पुत्र के मुँह की ओर ताकते रह गए !

अपील

वृद्ध पिता के अत्यन्त आग्रह करने पर पण्डित जी ने अपनी दण्डाज्ञा के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करने की अनुमति दे दी। फलतः अपील हुई और फाँसी की सज़ा बदल कर कालेपानी के रूप में परिणत कर दी गई।

बन्दी-जीवन

पण्डित जगतराम जी का बन्दी-जीवन एक दर्दनाक दास्तान है। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने मित्रों को बहुत से पत्र लिखे थे, जिनका संग्रह सुनते हैं, होशियारपुर की कॉङ्ग्रेस कमिटी शीघ्र ही प्रकाशित करने वाली है। यहाँ हम पण्डित जी के जेल-जीवन के सम्बन्ध में कुछ संक्षिप्त बातें ता० २१ जून के "मिलाप" में छपे हुए श्री० अविनाशचन्द्र जी बाली के एक लेख के आधार पर दे रहे हैं। इससे मालूम होगा कि पण्डित जगतराम में साधुता, त्याग और परोपकार की मात्रा कितनी है।

सज़ा होते ही आप पर तथा आपके परिवार वालों पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हज़ारों रुपए की जायदाद ज़ब्त कर ली गई। परिवार वालों को कहीं खड़े होने की जगह न थी। उधर स्वयं पण्डित जी का स्वास्थ्य तबाह होता था। आपको हमेशा अपच की शिकायत रहने लगी। इसके बाद तो आप ऐसे बीमार पड़े कि सरकारी अनुमति के अनुसार डॉ० अन्सारी, डॉ० ख़ानचन्द देव और डॉ० गोपीचन्द को आपकी चिकित्सा के लिए गुजरात के जेलख़ाने में जाना पड़ा।

रोग से छुटकारा पाने पर अधिकारियों की कृपा-दृष्टि आप पर हुई और कई वर्षों पर लगातार जेल की अँधेरी कोठरी या 'ठण्ढे गारद' में बन्द रक्खे गए। यहाँ तक कि छः वर्षों तक आपको चिराग़ की रोशनी भी नसीब नहीं हुई। सात वर्षों तक आपने पैरों में जूता नहीं पहना, जिससे बिवाएँ फट गईं, इससे आपको बड़ा कष्ट होता था। ऐसे-ऐसे और भी नाना प्रकार के कष्टों का सामना आपको करना पड़ा। परन्तु आश्चर्य है कि इन मुसीबतों का आपकी मानसिक अवस्था पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। मानो यह जेल-यात्रा आपकी तपस्या थी और ज्यों-ज्यों वह बढ़ती गई, त्यों-त्यों आपका तपोबल भी बढ़ता गया। रात के अन्धकार में आप कोयले या कीलों से अपने विचार कोठरी की दीवालों पर लिखते और सवेरे उठ कर उन्हें अपनी कॉपी पर दर्ज कर लेते।

अन्यान्य बन्दियों पर प्रभाव

पण्डित जगतराम के महान व्यक्तित्व में एक विचित्र आकर्षण है ? इसलिए जिस किसी जेलख़ाने में आप भेजे जाते हैं, वहाँ के सभी क़ैदी आपके चेले बन जाते हैं। आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से तथा उपदेशों से क़ैदियों के धार्मिक जीवन में विशेष परिवर्तन हो जाता है। आप उनके चरित्र को सुधारने का सदैव यत्न किया करते हैं। उन्हें सत्य और सच्चरित्रता का महत्व समझाया करते हैं। जो क़ैदी बीमार हो जाता है, उसकी आप बड़ी लगन से सेवा करते हैं। आपके इस व्यवहार से जेल के अधिकारी भी आपसे सदैव प्रसन्न रहते हैं।

गीता-प्रेम

पण्डित जगतराम जी श्रीमद्भगवद्गीता के परम प्रेमी हैं। आपने जेल में ही संस्कृत, गुरुमुखी और हिन्दी भाषा का अभ्यास किया है। आप इन भाषाओं में सुन्दर गद्य और पद्य लिख लेते हैं। गीता का आप नित्य पाठ करते हैं और उसके उपदेशों को प्रयोग में लाया करते हैं। गीता को आप अपना इष्ट-देवता समझते हैं। श्री० अविनाशचन्द्र जी बाली ने लिखा है कि गुजरात जेल में ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ, डॉ० अन्सारी साहब, मौ० मुफ़्ती किफ़ायत उल्लाह साहब, डॉक्टर ख़ान चन्ददेव, डॉ० गोपीचन्द जी और चौधरी कृष्णगोपाल आदि विद्वान आपका गीतोपदेश सुन कर मुग्ध हो जाते थे। ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँ साहब तो आपके गीता की व्याख्या पर इतने मुग्ध थे कि प्रतिदिन एक घण्टे आपसे गीता की व्याख्या सुना करते थे।

धार्मिक विचार

पण्डित जगतराम जी यद्यपि डी० ए० वी० कॉलेज के छात्र रह चुके हैं और स्वामी दयानन्द सरस्वती के उपदेशों का आपके मानस-पट पर यथेष्ट प्रभाव है, परन्तु आपके धार्मिक विचार विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ की तरह उदार और प्रशस्त हैं। आप मानव-मात्र के प्रेमी हैं और प्रत्येक मनुष्य को अपने सगे भाई की तरह देखते हैं। आपका मानस पवित्र और द्वेष-रहित है।

परन्तु आश्चर्य की बात है कि ऐसे साधु पुरुष को सरकार सर्वथा अन्यायपूर्वक जेल में सड़ा रही है।

* *

पं० जगतराम के उद्गार

[एक देशभक्त के शब्दों में]

उफ़ ! बाग़े आरज़ू की बहारें उजड़ गईं,
अब बेकरारियाँ मेरी हद से गुज़र गईं !
उफ़ ! लौहे-दिल[1] पे नक़्शे-तमन्ना[2] नहीं रहा,
अब मेरे दिल को ज़ब्त का पारा नहीं रहा !
जी चाहता है जामए हस्ती[3] को फाड़ दूँ,
नालों से पाँव पोर फ़लक[4] के उखाड़ दूँ !
रह-रह के एक हूक सी उठती है दिल में आज,
आतशकदा[5] सा है मेरे दिल में छिपा हुआ !
रह-रह के याद आते हैं अपने पिता मुझे,
शायद कि दे गए हैं, वह अपनी चिता मुझे !
अश्कों[6] का मेरी आँखों से दरिया निकल गया,
महसूस यह हुआ कि कलेजा निकल गया !

❈

एक अधूरी कविता

[पण्डित जगतराम 'ख़ाकी']

गर मैं कहूँ तो क्या कहूँ, क़ुदरत के खेल की।
हैरत[7] से तकती है मुझे दीवार जेल की।
हम ज़िन्दगी से तङ्ग हैं तिस पर भी आशना।
कहते हैं, और देखिएगा धार तेल की ?
जकड़े गए हैं, किस तरह हम ग़म में क्या कहें,
बल खाके हम पे चढ़ गया, मानिन्द बेल की।
'ख़ाकी' को रिहाई तू दोनों जहाँ से दे,
आ ऐ अजल[8] तू फाँद के दीवार जेल की !!

* * *

१—हृदय-पट, २—आकांक्षा के चिह्न, ३—अस्तित्व का अँगरखा, ४—आकाश, ५—अग्नि-कुण्ड, ६—आँसुओं, ७—आश्चर्य, ८—मृत्यु।

प्राप्ति-स्वीकार

श्री० वैद्यनाथ आयुर्वेद-भवन, पोस्ट बॉक्स नम्बर ६७३१, कलकत्ता से हमें निम्न-लिखित दवाएँ तथा तेलादि मिले हैं, धन्यवाद, कामिनी-विलास तेल मूल्य फ़ी शीशी ॥), वैद्यनाथ का बालामृत ॥), प्राणदा ॥=) दाद का मलहम ।), बाल सफ़ाचट ।), सप्त गुण तेल ।) अग्नि मुख चूर्णम् ।), असली नमक सुलेमानी ।) पाउडर गोरे और ख़ूबसूरत होने का ।), अर्क़ पुदीना सब्ज़ ॥), पीपरमेण्ट का तेल), असली अर्क़ कपूर ।), नेत्रामृत सुरमा ॥), मिठाई सार ।),

इनके अतिरिक्त निम्न-लिखित औषधियाँ तथा तेल आदि भी मिले हैं, जिन पर कोई मूल्य नहीं दिया गया है ; न जाने ऐसा किस मसलहत से किया गया है :— हिमनी कल्याण तेल, आमला केश तेल, दन्त-मञ्जन, अमरधारा, सौंफ़ का तेल, क्लोरोडाइन, टिञ्चर आयोडीन, अजवायन का तेल, असल चन्दन का तेल, वैद्यनाथ पेन-बाम।

—सं० 'भविष्य'

* * *

अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की!

कानपुर में चेहल्लुम हो गया। कुछ लोगों की धारणा है कि सकुशल बीत गया। परन्तु अपने राम ऐसा सोचने की भूल कदापि नहीं कर सकते। जहाँ ताज़ियों पर पिकेटिङ्ग हुई हो, जहाँ ४०-५० मुसलमान भाई पिकेटिङ्ग करने के कारण जेल में बन्द कर दिए गए हों, वहाँ के लिए यह कहना कि सकुशल बीत गया—सकुशलता का मज़ाक़ उड़ाना है। हाँ, यदि हिन्दू भाई अपनी खोपड़ी को सही-सलामत पाने के कारण ऐसा कहते हैं, तब तो यह बात सोलहो आने ठीक है। कहावत है कि, 'आप मरे तो जग मरा, आप जिए तो जग जिया।' परन्तु ज़रा मुसलमान भाइयों के दिल से तो कोई पूछे और विशेषतः सुन्नियों के दिल से अवश्य पूछे। उधर मुहर्रम अधूरा हुआ, चालीस दिन तक मुर्दों को घर में रक्खा। चेहल्लुम पर भी मुर्दों को दफ़नाने न पाए, अब भगवान जाने उन्हें कब तक सैंतना पड़े। जब तक ताज़िए दफ़न न हो जायँ, तब तक कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। स्त्रियाँ रङ्गीन कपड़े नहीं पहन सकतीं। यह अनन्त काल का स्यापा किसी क़दर अखरने वाला तो अवश्य हो सकता है। वे लोग मज़े में रहे, जिन्होंने अशरे से लेकर चेहल्लुम तक के स्यापे का आनन्द उठा कर समझ लिया कि इसमें कुछ विशेष लुत्फ़ नहीं है, व्यर्थ की ज़िद है। इस ज़िद में अपनी ही हानि है। इन लोगों ने तो पिकेटिङ्ग तथा विरोध होते हुए भी अपने ताज़िए दफ़ना ही दिए। अब इन लोगों के लिए वे मुसलमान, जिन्होंने अपने ताज़िए नहीं दफ़नाए, यह कहते हैं कि ये लोग जी-हुज़ूर श्रेणी के हैं। अतएव इन्होंने अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए ताज़िए दफ़ना दिए। ताज़ियों के दफ़नाए जाने से अधिकारियों को क्या प्रसन्नता हुई होगी, यह भगवान जानें! अपने राम तो करबला गए नहीं—सम्भव है, वहाँ रेवड़ियाँ बँटी हों और अधिकारियों की जेबें रेवड़ियों से भर गई हों। यदि हिन्दुओं का मामला होता तो यह अनुमान लगाया जा सकता था कि तेरहीं के भोज में कलेक्टर, सुपरिण्टेण्डेण्ट इत्यादि को भी निमन्त्रित करने की बात होगी, परन्तु ताज़ियों के सम्बन्ध में तो ऐसा अनुमान लगाया नहीं जा सकता—फिर इसमें अधिकारियों के प्रसन्न होने की कौनसी बात है, यह मुसलमान भाई ही बता सकते हैं। हाँ, अधिक से अधिक उनके प्रसन्न होने की बात यह हो सकती है कि उस दिन उनका यथेष्ट मनोरञ्जन हुआ। ख़ूब इधर से उधर घूमे, दिन भर चहल-पहल रही, कुछ लोगों को जेल भेजने का सौभाग्य मिला और अन्त में यह वाहवाही मिली कि—'भई वाह! ख़ूब इन्तज़ाम किया! ऐसा इतन्ज़ाम किया कि न हत्याएँ हुईं, न घर लूटे गए, न कहीं आग लगाई गई।' ग़रज़ कुछ भी तो न हो पाया। अफ़सोस! जिन लोगों ने अपने ताज़िए दफ़न नहीं किए उन लोगों के पास ताज़िए दफ़न न करने का बड़ा प्रबल कारण है। और वह कारण यह है कि गाँधी-सेवा-समिति का साइनबोर्ड नहीं हटाया गया। बहुधा "मारूँ घुटना फूटे आँख" वाला कारण भी बड़ा बलवान और हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। मुहर्रम में दो दिन अलमों का जुलूस नहीं निकला, उसका कारण भी यही कमबख़्त साइनबोर्ड था और ताज़ियों को न दफ़नाने का कारण था उन जुलूसों का नामख़ाते लिखा जाना। साइनबोर्ड नहीं उतारा गया, इसलिए जुलूस नहीं निकला और जुलूस नहीं निकला इसलिए ताज़िए दफ़न नहीं किए गए। अब मुसलमान भाइयों ने इस त्रैराशिक को गणित के नियमानुसार काट-पीट कर संक्षिप्त कर डाला। अतएव अब जुलूस का प्रश्न उड़ गया और रह गया केवल यह कि साइनबोर्ड नहीं उतारा गया, इसलिए ताज़िए दफ़न नहीं किए गए। कितना सुन्दर हिसाब-किताब रहा। सुन्दर क्यों न रहे, कोई मामूली दिमाग़ का लगाया हुआ हिसाब थोड़ा ही है। यह हिसाब बैरिस्टरों, ग्रेज्युएटों, म्यूनिसिपिल कमिश्नरों के "मस्तिष्क-सम्मेलन" से उत्पन्न हुआ है। आगे चल कर सम्भव है, इसमें और उन्नति की जाय और इसका रूप यह बन जाय—ईद क्यों नहीं मनाई गई? इसलिए कि साइनबोर्ड नहीं उतारा गया। रोज़े क्यों नहीं रक्खे गए? इसलिए कि साइनबोर्ड नहीं उतारा गया। बकरीद पर क़ुर्बानी क्यों नहीं की गई? इसलिए कि साइनबोर्ड नहीं उतारा गया। कानपुर के मुसलमान इस वर्ष हज करने नहीं जायँगे। क्यों? इसलिए कि

साइनबोर्ड नहीं उतारा गया। मौलाना शौकतअली कानपुर कदापि न आएँगे। क्यों? इसलिए कि साइनबोर्ड नहीं उतारा गया। मुसलमान भाई ज़िद के पक्के हैं। साइनबोर्ड के पीछे हाथ धोकर पड़ेंगे, तो कभी न कभी उतर ही जायगा। अपने राम तो मुसलमान भाइयों की एक अदा पर जी-जान से क़ुर्बान हो जाने का इरादा कर रहे हैं। वह अदा थी "पिकेटिङ्ग!" मुसलमान भाई भी पिकेटिङ्ग करने लगे। हिजड़ों के घर बेटा तो हुआ। यह क्या कम ख़ुशी की बात है? अपने राम को इस बात का रञ्ज शायद ही चैन से बैठने दे कि अपने राम ने मुसलमान भाइयों की पिकेटिङ्ग नहीं देखी। एक तरह से अच्छा भी हुआ। यदि कहीं उनकी इस अदा पर आसक्त हो जाते तो कहीं के न रहते। परन्तु एक बात यह बहुत बुरी हुई कि सिर मुँडाते ही ओले पड़े। पहली ही बार धरे गए और जेल की हवा खानी पड़ी। इस सम्बन्ध में अपने राम को एक चुटकुला याद आ गया। एक जुलाहे के लड़के को मौलवी साहब घर पर पढ़ाते थे। एक दिन मौलवी साहब ने लड़के को पीटा। लड़का क्रोधित होकर घर के भीतर से चाक़ू ले आया और मौलवी साहब की नाक काटने दौड़ा। मौलवी साहब भयभीत होकर एक कोठरी में घुस गए और भीतर से द्वार बन्द कर लिया। इतने में लड़के के पिता को पता लगा। वह कोठरी के द्वार पर आकर मौलवी साहब से बोला—"मौलवी जी, हमारे ख़ान्दान में आज तक किसी ने हथियार नहीं उठाया। आज हमारे होनहार ने हथियार उठाया है, तो उसका वार ख़ाली मत जाने दीजिए। दरवाज़ा खोल कर चुपचाप नाक कटवा लीजिए, नहीं तो लड़के का हौसला पस्त हो जायगा।" इस कहावत के अनुसार यदि अपने राम वहाँ पर उपस्थित होते तो जो मुसलमान भाई अपने ताज़िए दफ़न करने के लिए ले गए थे, उनसे निवेदन करते कि—भाइयो, ताज़िए चाहे दफ़न हों या न हों, परन्तु आप पिकेटिङ्ग करने वालों का उत्साह भङ्ग न कीजिए। ज़रा हिम्मत तो खुलने दीजिए। क्यों सम्पादक जी, आपकी क्या राय है? ऐसा होना चाहिए या नहीं? उन बेचारों का उत्साह भङ्ग हो गया, इससे क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं! वैसे अपने राम को यह पूर्ण विश्वास है कि मुसलमानों का मामला था इससे पिकेटिङ्ग की गई। यदि कहीं हिन्दू-मुसलमानों का मामला होता तो पिकेटिङ्ग के स्थान पर "पिटोइङ्ग" हो जाती। उस समय मुसलमान भाइयों को पिकेटिङ्ग का ध्यान भी न आता। और आनन्द यह है कि साइनबोर्ड को मुसलमान भाई केवल इसलिए उतरवाना चाहते हैं कि उस पर गाँधी जी का नाम है। गाँधी जी के सामने तो क्या, उनके नाम के सामने भी मुसलमानों के झण्डे नहीं झुक सकते। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं गाँधी जी के सिद्धान्तों का आश्रय लिया जाता है। ठीक है—मीठा-मीठा हप, कड़ुवा-कड़ुवा थू। जहाँ अपने मतलब की बात हो, जहाँ अपना स्वार्थ पूरा होता हो वहाँ गाँधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलना ही ठीक है; परन्तु वैसे गाँधी जी के नाम से नफ़रत। कितना अच्छा सिद्धान्त है। कुछ भी हो परन्तु इससे यह पता तो चल गया कि आवश्यकता पड़ने पर मुसलमान भाइयों को भी गाँधी जी का अनुकरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। लक्षण तो शुभ हैं!

अब सुना जाता है कि जो ताज़िए सड़कों और चौराहों पर विराजमान हैं, उनके हटाने के लिए अधिकारियों की ओर से मुसलमानों को नोटिस दिया जायगा। अफ़वाह है कि यदि अधिकारी लोग ज़बरदस्ती से ताज़िए हटवाएँगे तो मुसलमान लोग सत्याग्रह करेंगे और अहिंसात्मक सत्याग्रह करेंगे। यह और भी प्रसन्नता की बात है। पिकेटिङ्ग तो मुसलमान भाइयों को आ गया, अब अहिंसात्मक सत्याग्रह का सबक़ और सीख लें, तो बस फिर क्या है—हिन्दुस्तान का बेड़ा पार लग जाय! परन्तु यह सबक़ हिन्दुओं के मुक़ाबिले में भी मुसलमान भाई याद रक्खेंगे, इसमें अपने राम को सन्देह है। अधिकारियों के मुक़ाबले में तो अहिंसात्मक सत्याग्रह के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है? बन्दूक़ों तथा सङ्गीनों का मुक़ाबला कौन कर सकता है? हाँ, यदि समय पड़ने पर निहत्थे हिन्दुओं के मुक़ाबले में भी यही अहिंसा का भाव रहे, तब पता चले कि मुसलमान भाइयों ने अपना सबक़ ठीक तरह से याद किया है या नहीं।

भवदीय,

—विजयानन्द (दुबे जी)

* * *

लाहौर षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

लाहौर २ जुलाई। दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त श्री० सुखदेवराज ने, अन्य अभियुक्तों से अलग एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने जो अर्ज़ी दी थी, उसका फ़ैसला अभियुक्त के विरुद्ध हुआ था। इस पर अभियुक्त की ओर से फ़ैसले के विरुद्ध लाहौर हाईकोर्ट में दरख़्वास्त पेश की गई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने उस पर अपना फ़ैसला देते हुए कहा है कि "इस मामले में मुख्य विचारणीय बात यह है कि विचाराधीन क़ैदी के साथ जेल में होने वाले व्यवहारों की शिकायत की जाँच करना अदालत के अधिकार की बात है या नहीं। अभियुक्त की प्रार्थना पर ट्रिब्यूनल ने जेल-अधिकारियों के पास सूचना भेज कर, अभियुक्त को दूसरे अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रखने की सिफ़ारिश कर दी थी। ट्रिब्यूनल ने इस सम्बन्ध में अपनी सम्मति प्रकट करते हुए जेल-अधिकारियों के पास यह भी सूचना भेज दी थी कि अभियुक्त की प्रार्थना उचित है और ट्रिब्यूनल को, उस प्रार्थना के स्वीकार कर लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु ट्रिब्यूनल ने सिफ़ारिश कर देने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में और कोई कार्रवाई नहीं की। सिफ़ारिश के अनुसार कार्य न होने पर एक बार उसने, सफ़ाई-पक्ष के कहने पर जेल-अधिकारियों से उसका कारण पूछा था। इस विषय में ट्रिब्यूनल ने अपनी तरफ़ से स्वयं अपने सन्तोष के लिए कुछ नहीं पूछा। ट्रिब्यूनल ने अपने फ़ैसले में कहा है कि इसके आगे कोई कार्रवाई करना हमारे अधिकार-परिधि के बाहर है। उसने अभियुक्त की ज़मानत भी नामञ्ज़ूर कर दी है। ट्रिब्यूनल का फ़ैसला यदि ठीक मान लिया जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि अदालत विचाराधीन क़ैदी की शिकायत दूर करने का कोई उपाय नहीं कर सकती। परन्तु हम नहीं समझते कि अदालत की स्थिति ऐसी निरुपाय है। हमारी समझ से अभियुक्त ने अपनी अर्ज़ी में जो बातें कही थीं, उनका अभियुक्त की ज़मानत से सम्बन्ध था और इसलिए कम से कम इतना पता लगा लेना आवश्यक था कि अर्ज़ी में लिखी बातें कहाँ तक ठीक हैं, जेल-अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है, वह क़ानून के अनुसार है या उसके विरुद्ध है और उस कार्रवाई के करने में कोई बाहरी प्रभाव तो नहीं रहा।

"यदि पता लगाने पर मालूम होता कि अभियुक्त की कही बातें ठीक हैं और जेल-अधिकारियों द्वारा की हुई कार्रवाई ग़ैर-क़ानूनी है, तो उस हालत में ट्रिब्यूनल को कम से कम अभियुक्त की ज़मानत के प्रश्न पर तो विचार करना ही चाहिए था, चाहे दूसरे किसी उपाय से अभियुक्त की शिकायत दूर करना ट्रिब्यूनल की सामर्थ्य के बाहर होता।

"जो हो, हमारी समझ से ट्रिब्यूनल का यह कहना ठीक नहीं है कि इस मामले में अदालत को कोई अधिकार ही नहीं है। सन् १६०० के प्रिज़न ऐक्ट की तीसरी दफ़ा के अनुसार जेल का अफ़सर उन सब व्यक्तियों को जेल में दाख़िल करने और रखने के लिए बाध्य है, जिन्हें किसी अदालत ने नियमानुसार हिरासत में रखने के लिए भेजा हो। इसका तात्पर्य यह कि जब अदालत किसी व्यक्ति को विचाराधीन क़ैदी की हालत में रखने के लिए जेल भेजे तो जेल का अफ़सर प्रिज़न ऐक्ट के अनुसार उसे विचाराधीन क़ैदी मानने और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए बाध्य है। इस पर यदि कोई क़ैदी अदालत से शिकायत करता है कि मेरे साथ उपरोक्त नियम के अनुसार व्यवहार नहीं किया जाता और नियम-विरुद्ध दण्ड दिया जाता है, तो क्या यह कहा जायगा कि अदालत को इस मामले में जाँच करने या यह जानने का कि क़ैदी के साथ अदालत के वारण्ट के अनुसार व्यवहार होता है या नहीं, अधिकार नहीं है? मेरी समझ से अवश्य ही अदालत को यह जानने का अधिकार है कि क़ैदी के साथ अदालत के वारण्ट के अनुसार व्यवहार होता है या नहीं। विद्वान चीफ़ जस्टिस सर अब्दुल क़ादिर के एक फ़ैसले से भी उपरोक्त बात की पुष्टि होती है। आपके सामने जो मामला पेश था, उसमें कहा गया था कि जेल में मुख़बिर, अदालत की आज्ञा के विरुद्ध, पुलिस की हिरासत में रक्खे गए हैं। पहले तो सरकारी वकील ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना देने से इन्कार कर दिया, परन्तु बाद में यह बात मान ली गई कि अदालत को, यह जानने के लिए कि उसकी आज्ञाओं का पालन होता है या नहीं, सम्पूर्ण बातों के पूछने का अधिकार है। मैं नहीं समझता कि इस सम्बन्ध में मातहत अदालतों की स्थिति भिन्न कैसे हो सकती है। आख़ीर में सरकारी वकील को इस मामले में स्वीकार करना ही पड़ा कि अदालत को यह जानने का अधिकार है कि विचाराधीन क़ैदी के साथ जेल में क़ानून के अनुसार व्यवहार किया जाता है या नहीं। अभियुक्त की अर्ज़ी के विरोध में सरकारी वकील ने सिर्फ़ इतना ही कहा कि इस सम्बन्ध में जो जाँच हो वह सार्वजनिक न हो। उन्होंने कहा कि यद्यपि सरकार उन कारणों को बतलाने के लिए तैयार है, जिनसे बाध्य होकर उसने अभियुक्त को अलग रखने का आदेश दिया था, फिर भी सार्वजनिक हित के विचार से उन बातों को प्रकट करना ठीक न होगा। जो हो, मामले की मुख्य बात से इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे मामले में सार्वजनिक जाँच पर ज़ोर देने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी अदालत ऐसी जाँच पर ज़ोर नहीं दे सकती, जिससे सार्वजनिक हित में बाधा पहुँचने की सम्भावना हो।

कोर्ट को जाँच के बाद कार्रवाई करने का अधिकार है

"इस मामले में दूसरी विचारणीय बात यह है कि जाँच के बाद अदालत कौन सी कार्रवाई कर सकती है? निस्सन्देह जेल के अन्दर बन्द क़ैदी जेल-क़ानून के अधीन हैं। जेल-क़ानून के अनुसार क़ैदियों के साथ व्यवहार होने पर अदालत को जेल-अधिकारियों के कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु यह मालूम होने पर कि उनका कार्य जेल-नियमों के विरुद्ध है, अदालत को उस सम्बन्ध में उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। निस्सन्देह जेल-सम्बन्धी नियमों के विषय में अदालत और जेल-अधिकारी दोनों ही बाध्य हैं, परन्तु मेरी राय में, जेल-नियमों को बिना भङ्ग किए यदि अदालत न्याय की रक्षा के लिए कुछ आवश्यक हुक्म जारी करे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। जेल मैनुअल के नियमों को देखने से भी मालूम होता है कि अदालत को इस प्रकार के हुक्म जारी करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ पञ्जाब जेल मैनुअल के ८११वें पैराग्राफ़ में लिखा है कि अगर मैजिस्ट्रेट का हुक्म हो तो क़ैदी अपने साथ के अन्य क़ैदियों से अलग रक्खा जा सकता है। सरकारी वकील ने इस सम्बन्ध में कहा है कि यह अपवाद है, परन्तु हम इस कथन से सहमत नहीं हैं। और भी ऐसे मामले हैं, जिनमें न्याय की रक्षा के लिए अदालत को अपना हुक्म जारी करने का अधिकार है। उदाहरणार्थ क़ानूनी सलाहकारों से क़ैदियों के मिलने के सम्बन्ध में आई० एल० आर० ५० बम्बई, पृ० ७४१ में नज़ीर दर्ज है। यद्यपि उपरोक्त उदाहरण पुलीस की हिरासत में रहने वाले क़ैदियों पर लागू होता है, फिर भी कोई कारण नहीं है कि वही सिद्धान्त जेल में बन्द विचाराधीन क़ैदियों पर क्यों न लागू हों। निस्सन्देह अदालत अपना हुक्म जारी करते समय जेल-नियमों का ख़्याल रक्खेगी ही।

"विचाराधीन क़ैदी अदालत के अधिकार में रहते हैं, यह बात हाईकोर्ट ने न्याय-विभाग की हिरासत के सम्बन्ध में जो नियम बनाए हैं उनसे भी प्रकट होती है। न्याय-विभाग की हिरासत में जेल के उन स्थानों की भी गणना है, जहाँ विचाराधीन क़ैदी रक्खे जाते हैं। यद्यपि जेल के अन्दर न्याय-विभाग की हिरासत का प्रबन्ध जेल-अधिकारी ही करते हैं, फिर भी सेशन जजों को उसके निरीक्षण का अधिकार रहता है। इस सम्बन्ध में जेल-अधिकारियों को सेशन जजों के पास कुछ मासिक विवरण भी भेजना पड़ता है।

"निस्सन्देह अदालत जेल-शासन के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहती है। जेल-अधिकारियों की कार्रवाई बिलकुल ग़ैर-क़ानूनी और अनुचित होने पर ही वह न्याय की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करेगी। इस वक़्त जो मामला मौजूद है, उसमें हम यह तो नहीं मानते कि अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों के साथ एक ही बैरक में रहने का अधिकार है, परन्तु यह बात माननी पड़ेगी कि अभियुक्त जिस ढङ्ग से एकान्त कोठरी में रक्खा जा रहा है, वह प्रिज़न एक्ट के अनुसार दण्ड है, यद्यपि उसने जेल का कोई नियम नहीं भङ्ग किया। पञ्जाब जेल मैनुअल के नियमानुसार विचाराधीन क़ैदी के साथ केवल उतना ही हस्तक्षेप होना चाहिए, जितना कि जेल के नियम और अनुशासन की रक्षा के लिए आवश्यक हो। इस दृष्टि से इस मामले पर विचार करने से मालूम होता है कि अभियुक्त की शिकायतों की जाँच होना ज़रूरी है। इसलिए हम अभियुक्त की अर्ज़ी मञ्ज़ूर करते हैं। स्पेशल ट्रिब्यूनल इस मामले की जाँच करेगा और उसके बाद फ़ैसला किया जायगा।"

ता० ४ जुलाई को मि० सुमेरचन्द एडवोकेट ने हाईकोर्ट के सामने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों की ओर से ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ४३९ और ५६१-ए के अनुसार निम्न-लिखित अर्ज़ी पेश की :—

(१) अभियुक्तों के विरुद्ध स्पेशल ट्रिब्यूनल में भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए मामला चल रहा है।

(२) इस केस में ६ मुख़बिर हैं।

(३) मामला चलते समय पहले मुख़बिर पुलीस की हिरासत में थे, बाद में १८ एप्रिल के हाईकोर्ट के हुक्म के अनुसार वे न्यायालय विभाग की हिरासत में कर दिए गए।

(४) न्यायालय विभाग की हिरासत में रक्खे जाने के बाद अभियुक्तों ने इस हाईकोर्ट के सामने एक अर्ज़ी पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि मुख़बिरों पर सेण्ट्रल जेल में पहरा देने वाले पुलीस के आदमी हैं और पुलीस के अफ़सर मुख़बिरों से मिला करते हैं।

(५) जिस समय उपरोक्त अर्ज़ी पर हाईकोर्ट में विचार हो रहा था, उस समय सरकारी वकील ने हाईकोर्ट के सामने एक वक्तव्य पेश किया था, जिसमें हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया गया था, कि मुख़बिरों के

लिए स्थायी प्रबन्ध कर दिया जायगा, पुलीस का पहरा हटा लिया जायगा और पुलीस के अफ़सर न तो मुख़बिरों से मिल सकेंगे, न उन पर किसी प्रकार का दबाव डाल सकेंगे।

(६) सबूत-पक्ष के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस सर शादीलाल और सर अब्दुल क़ादिर ने अभियुक्तों की अर्ज़ी २३ मई सन् १९३१ को ख़ारिज कर दी। उस सम्बन्ध में आप लोगों ने जो विचार प्रकट किए थे, वे इस प्रकार हैं :—

"ऐसी हालत में अब इस बात का भय नहीं रहा कि केस के जाँच करने वाले अफ़सर मुख़बिरों पर किसी प्रकार का दबाव डाल सकेंगे। अभियुक्तों को अब इस सम्बन्ध में तब तक किसी प्रकार की शिकायत करने का मौक़ा नहीं है, जब तक कि वे यह न प्रमाणित कर दें कि अफ़सरों को मुख़बिरों से मिलने और उन पर दबाव डालने के अवसर मिलते हैं।"

(७) हाईकोर्ट के उपरोक्त हुक्म के निकलने के बाद मुख़बिर मदनगोपाल की गवाही प्रारम्भ हुई। उसने अपनी गवाही में कहा है कि सी० आई० डी० के अफ़सर असिस्टेण्ट जेलर दौलतअली शाह की सहायता से अब भी मुझसे मिलते और लिखित बयान को कण्ठस्थ करने के लिए कहते हैं। मुख़बिर मदनगोपाल ने अपनी गवाही के समर्थन में अदालत के सामने एक काग़ज़ भी पेश किया था। इससे ज़ाहिर होता है कि मुख़बिर अब भी पुलिस के दबाव से बाहर नहीं हैं और सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को जो विश्वास दिलाया था, उसका पालन नहीं किया जा रहा है!

(८) अभियुक्तों ने ता० २२ मार्च, सन् १९३१ को ट्रिब्यूनल से शिकायत की कि मुख़बिरों से सी० आई० डी० के अफ़सर और असिस्टेण्ट जेलर मिलते और उन पर दबाव डालते हैं और हाईकोर्ट के हुक्मों का पालन नहीं किया जा रहा है। परन्तु ट्रिब्यूनल ने २९ जून सन् १९३१ को अभियुक्तों की अर्ज़ी यह कह कर ख़ारिज कर दी कि यह अदालत इस मामले में जाँच नहीं कर सकती और न उसे रोकने का कोई उपाय ही कर सकती है।

ट्रिब्यूनल को क्या करना चाहिए था ?

(९) छोटी अदालत का यह कहना, कि वह मुख़बिरों से सी० आई० डी० के अफ़सरों का मिलना नहीं रोक सकती, ग़लत है। छोटी अदालत का यह देखना फ़र्ज़ है कि हाईकोर्ट के हुक्मों का शब्दों और भावों, दोनों प्रकार से पालन होता है या नहीं। शिकायतों की ओर केवल लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ध्यान आकर्षित कर देने और उनसे यह कह देने से कि यदि वे उचित समझें तो शिकायतों की जाँच करें, कोई लाभ नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक वे इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने का विचार करेंगे, तब तक मुख़बिरों की गवाही समाप्त हो जायगी। ट्रिब्यूनल को मुख़बिरों के लिए प्रबन्ध में कुछ ऐसा परिवर्तन करने का हुक्म देना चाहिए था, जिससे निष्पक्ष न्याय की रक्षा होती। ट्रिब्यूनल को मुख़बिरों की गवाही तब तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए था, जब तक कि मुख़बिर पुलीस के दबाव से बिलकुल स्वतन्त्र न हो जाते।

(१०) जो हो, इस हाईकोर्ट को १८ अप्रैल सन् १९३१ के हुक्म के पालन कराने के लिए आवश्यक हुक्मों के निकालने, अदालत की कार्रवाई का दुरुपयोग रोकने और न्याय की रक्षा करने का पूरा हक़ है।

(११) बाबू दौलतअली शाह मुख़बिरों की देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जायँ और मुख़बिर बोर्स्टल जेल से हटा कर सेन्ट्रल जेल में कर दिए जायँ।

(१२) प्रार्थना है कि हाईकोर्ट के १८ अप्रैल की आज्ञा का पालन कराया जाय, जिससे सी० आई० डी० के अफ़सर मुख़बिरों से मिलने और उन पर दबाव डालने का अवसर न पा सकें। बाबू दौलतअली शाह मुख़बिरों पर देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जायँ। मुख़बिर बोर्स्टल जेल से हटा कर सेन्ट्रल जेल में कर दिए जायँ। इसके अतिरिक्त निष्पक्ष न्याय के लिए हाईकोर्ट जो अन्य उपाय उचित समझे, उनका प्रबन्ध करे। जब तक यह प्रबन्ध न हो जाय, तब तक मुख़बिरों की गवाही स्थगित रक्खी जाय।

लाहौर ८ जुलाई। ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेण्ट मि० ब्लैकर के छुट्टी ले लेने के कारण दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की सुनवाई १० रोज़ के लिए स्थगित हो गई थी। आज तारीख़ ८ जुलाई को सुनवाई होने वाली थी।

अदालत में सफ़ाई के वकील और कुछ सबूत के गवाह उपस्थित थे। ट्रिब्यूनल के एक सदस्य रायबहादुर गङ्गाराम सोनी ने अदालत में उपस्थित लोगों को सूचना देते हुए बतलाया कि झेलम नदी में बाढ़ आ जाने के कारण श्रीनगर और रावलपिण्डी के बीच के कोहला और दूसरे पुल बह गए हैं, जिससे मि० ब्लैकर लाहौर नहीं पहुँच सके। इसलिए अदालत शनिवार तक के लिए स्थगित हो गई।

आज तारीख़ ८ जुलाई को लाहौर हाईकोर्ट ने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों की ओर से ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ४३९ और ५६१-ए के अनुसार दी हुई उस अर्ज़ी पर विचार किया, जिसमें हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई थी कि मुख़बिरों के हिरासत में रखने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो पहले हुक्म जारी किया था, उसका पालन कराया जाय और सी० आई० डी० अफ़सरों को मुख़बिरों से मिलने और उन पर किसी प्रकार के दबाव डालने का मौक़ा न दिया जाय। अर्ज़ी में यह भी प्रार्थना की गई थी कि बाबू दौलतअली शाह मुख़बिरों पर देख-रेख रखने के कार्य से हटा दिए जायँ। और मुख़बिर बोर्स्टल जेल से सेन्ट्रल जेल में कर दिए जायँ। इसके अतिरिक्त और जो उपाय हाईकोर्ट निष्पक्ष न्याय के लिए आवश्यक समझे, कर सकती है। यह भी कहा गया था कि जब, तक मुख़बिरों के सम्बन्ध में उचित प्रबन्ध न हो जाय, तब तक मुख़बिरों की गवाही स्थगित रक्खी जाय।

अभियुक्तों की ओर से बहस करने के लिए मि० सुमेरचन्द और मि० श्यामलाल उपस्थित थे।

मि० सुमेरचन्द ने कहा कि इस केस में ६ मुख़बिर हैं। चार महीने तक वे पुलीस की हिरासत में रहे। बाद में अभियुक्तों की ओर से यह शिकायत होने पर कि पुलीस मुख़बिरों पर बेजा दबाव डालती है, हाईकोर्ट ने उन्हें पुलीस की हिरासत से हटा कर न्यायालय विभाग की हिरासत में कर देने का हुक्म जारी कर दिया। यह इस मामले का प्रथम अध्याय था। हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक़ मुख़बिर पुलीस की हिरासत से हटा कर न्यायालय विभाग की हिरासत में कर दिए गए। परन्तु पुलीस का पहरा ज्यों का त्यों बना रहा। हाईकोर्ट से इसकी शिकायत की गई, जिसके परिणाम-स्वरूप गवर्नमेण्ट ने पुलीस का पहरा हटा लेना स्वीकार कर लिया। यह इस मामले का द्वितीय अध्याय था। इसका तीसरा अध्याय इस वक़्त हाईकोर्ट के सामने उपस्थित है। बोर्स्टल जेल के असिस्टेन्ट जेलर बाबू दौलतअली शाह, जिन्हें मुख़बिरों की देख रेख रखने का कार्य दिया गया था, पुलीस से मिले हुए हैं। वे सी० आई० डी० पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट सैयद अहमद शाह को जेल के पीछे के रास्ते से ले जाकर मुख़बिरों से मिलाया करते थे। यह अर्ज़ी अभियुक्तों ने ऐसी कार्रवाइयों के रोकने के लिए पेश की है।

मुख़बिर के बयान

मि० सुमेरचन्द ने मुख़बिर मदनगोपाल के बयान का वह अंश अदालत के सामने पढ़ कर सुनाया, जिसमें उसने कहा था कि डी० एस० पी० सैयद अहमदशाह बोर्स्टल जेल में मेरी कोठरी में आए, मुझे दिल्ली षड्यन्त्र केस के मुख़बिर कैलाशपति के बयान की अङ्गरेज़ी नक़ल दी और उसकी उन बातों को कण्ठस्थ कर लेने के लिए कहा, जोकि दिल्ली और लाहौर षड्यन्त्रों से मिलती-जुलती हों। उन्होंने मुख़बिर से कहा कि बयान में परस्पर विरोधी बातें न होनी चाहिए।

जस्टिस टैप—मुख़बिर को काग़ज़ देख कर अपनी याददाश्त ताज़ी करने का अधिकार है। इसमें हर्ज ही क्या है?

वकील—हर्ज कोई नहीं है। परन्तु क़ानूनन् वह अदालत में ही याददाश्त ताज़ी कर सकता है।

जस्टिस भिडे—अदालत में जाने के पहले भी वह अपनी याददाश्त ताज़ी कर सकता है। सम्भव है, डी० एस० पी० इजाज़त लेकर जेल के अन्दर गया हो। उसमें दोष ही क्या है?

वकील—क़ानूनन् डी० एस० पी० जेल के अन्दर मुख़बिर के पास नहीं जा सकता। सबूत-पक्ष का तो कहना है कि डी० एस० पी० के जेल में जाने और मुख़बिर से मिलने आदि की बातें ग़लत हैं।

जस्टिस भिडे—क्या सबूत-पक्ष का कहना है कि डी० एस० पी० वहाँ गया ही नहीं?

वकील—जी हाँ।

जस्टिस टैप—मुख़बिर ने डी० एस० पी० के हाथ का लिखा एक काग़ज़ भी पेश किया है।

वकील—जी हाँ।

जस्टिस भिडे—यह अर्ज़ी लेकर हाईकोर्ट में आने की आपको ज़रूरत ही क्या है, जब इस तरह का बयान मिसिल में दर्ज है? यह तो सबूत-पक्ष को साबित करना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं हुई।

जस्टिस टैप—इस वक़्त मिसिल में एक ऐसी बात दर्ज है, जिसका सबूत की ओर से विरोध नहीं हुआ। यह तुम्हारे पक्ष के लाभ की बात है। आप अर्ज़ी पेश करके अपने विरोधी को उस बात के काटने का अवसर क्यों देते हैं? गवाही के ऊपर छाए हुए बादल को आप स्वयं ही क्यों हटाना चाहते हैं?

वकील—हम इस मुख़बिर के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं चाहते। हम केवल दूसरे मुख़बिरों के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक प्रबन्ध चाहते हैं।

जजों ने यह कह कर अर्ज़ी ख़ारिज कर दी कि इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट की तरफ़ से आवश्यक हिदायतें दी जा चुकी हैं। इस प्रश्न पर फिर से विचार करने का कोई कारण नहीं है।

(क्रमशः)

* * *

दिल्ली षड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

आज ता० २९ जून को स्पेशल ट्रिब्यूनल में मुख़बिर कैलाशपति पर दर्शकों की गैलरी से एक व्यक्ति ने दो जूते फेंके। मुख़बिर बच गया, परन्तु इस घटना से इम्पीरियल सेक्रेटेरियट भवन में सनसनी छा गई। जूतों के फेंकने के साथ ही साथ उस व्यक्ति ने "मुख़बिर का नाश हो", "गाँधी का नाश हो", "राष्ट्रीय झण्डा ऊँचा हो" आदि के नारे लगाए। जूते फेंकने वाला व्यक्ति गिरफ़्तार करके पुलिस के कमरे में पहुँचा दिया गया।

अभियुक्त विद्याभूषण और वात्सायन, जोकि बीमार हो जाने के कारण पहले की दो पेशियों में हाज़िर नहीं हो सके थे, आज की कार्रवाई में उपस्थित थे।

साढ़े दस बजे मुख़बिर की जिरह प्रारम्भ हुई। मुख़बिर ने कहा कि अभियुक्त वात्सायन दिल्ली आने पर बम-फ़ैक्टरी में ठहरा करता था। गाडोदिया स्टोर की लूट में मुझे जो रुपए दिए गए थे, वे करेन्सी नोट के रूप में दिए गए थे। मैंने सौ रुपए वाले नोटों को तीन-चार बार हरद्वारीलाल के हिस्सेदार चन्द्रभान के मार्फ़त भुनाया था। मदनगोपाल ने जो बन्दूक़ मुझे दी थी, उसे मैंने सितम्बर महीने में अन्य वस्तुओं के साथ कपूरचन्द के यहाँ भेज दी थी।

इसके बाद मुख़बिर ने क्रान्तिकारियों के दल में पुकारे जाने वाले नाम बताए।

श्री० चन्द्रशेखर—"आज़ाद", "महाशय जी", "पण्डित जी", "गुप्त", "रामनरायन गुप्त" और "भाई साहब।"
श्री० भगवतीचरण—"हरीश" और "अर्जुन।"
श्री० यशपाल—"जगदीश" "सोहनसिंह" और "प्रान।"
श्री० विद्याभूषण—"रमेश।"
श्री० वैशम्पायन—"शिव" और "बच्चन।"
श्री० सत्गुरुदयाल अवस्थी—"कपूर।"
श्री० वीरभद्र तिवारी—"भैया।"
श्री० धन्वन्तरि—"प्रेम" और "धनी।"
श्री० सम्पूर्नसिंह टण्डन—"आसफ़।"
श्री० सुखदेवराज—"शिराज।"
श्री० एम० पी० अवस्थी—"ख़न्जर।"
श्री० सदाशिवराव—"सखाराम।"
श्री० भगवानदास—"कैलाश।"
श्री० शङ्करराव—"डबल रोटी।"
श्री० डी० वी० तैलङ्ग—"मुण्ड।"
श्री० सदाशिवराव गजानन्द पोद्दार—"पी।"
श्री० विश्वेश्वरनाथ—"लेफ़्टिनेण्ट।"
श्री० प्रोफ़ेसर निगम—"साहिब।"
श्री० ख़ुशीराम—"जगदीश।"
श्री० भवानीसिंह—"रणवीरसिंह", "सिंह" और "बागर।"
श्री० भवानीसहाय—"रामप्रसाद।"
श्री० हज़ारीलाल—"श्रीकृष्ण", "तारा", "पाण्डे" और "रामूँ।"
श्री० भागीरथ—"चञ्चल।"
श्री० कपूरचन्द—"हरीराम।"
श्री० गिरिवरसिंह—"गङ्गाराम।"
श्री० विमलप्रसाद—"जैन", "शङ्कर" और "बालम।"
श्री० हरकेश—"मास्टर।"
श्री० छैलबिहारी—"सूरज" और "मास्टर।"
श्री० रामलाल—"भूत।"
श्री० विशम्भरदयाल—"भगवती" और "भाई साहब।"
श्री० बाबूराम गुप्त—"बाबू।"
श्री० ख़्यालीराम गुप्त—"चतुर्भुज" और "गुप्त।"
श्री० मदनगोपाल—"केवल" और "मुन्शी।"
श्री० केशवचन्द्र—"भूतनाथ।"
श्री० रुद्रदत्त—"कैलाश।"
श्री० रामचन्द्र बापट—"कपिल।"
श्री० लेखराम—"जाट।"
श्रीमती दुर्गादेवी—"भाभी।"
श्री० रामचन्द्र शर्मा—"शर्मा।"
श्रीमती प्रकाशो—"सरला।"

प्रश्न—दल में तुम्हारा क्या नाम था?

मुख़बिर—"राजबली प्रसाद," "रघुनाथ प्रसाद," "सीतल," "कालीचरन" और "दयाकृष्ण।"

प्रश्न—दल के और कौन सदस्य थे?

मुख़बिर—"दीदो," "साइन्टिस्ट" (वैज्ञानिक), हरद्वारीलाल और कुछ अन्य व्यक्ति।

इसके बाद मुख़बिर ने एक-एक करके अभियुक्तों की ओर सङ्केत करते हुए उनके नाम बतलाए।

अभियुक्त पर जूते फेंके गए

इसके बाद मुख़बिर के सामने अनेकों पुस्तकें, रजिस्टर और काग़ज़-पत्र शनाख़्त करने के लिए पेश किए गए। ज्योंही मुख़बिर का ध्यान "हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन" के छपे नियमों की ओर गया, त्योंही बलवन्तसिंह नाम के एक नवयुवक कॉलेज के विद्यार्थी ने दर्शकों की गैलरी से मुख़बिर की ओर एक-एक करके दो जूते फेंक कर मारे। एक जूता मुख़बिर के दाहिनी ओर जाकर गिरा और दूसरा कठघरे की दाहिनी ओर लग कर ज़मीन पर गिर पड़ा। सारजण्ट बैलक ने जूतों को उठा लिया और एक सिक्ख सब-इन्स्पेक्टर ने अभियुक्त को गिरफ़्तार कर लिया, जिसने "मुख़बिर का नाश हो" "गाँधी का नाश हो" और "राष्ट्रीय झण्डा ऊँचा हो" के नारे लगाए।

अभियुक्त को सारजण्ट बैलक ने ले जाकर पुलिस के कमरे में बन्द कर दिया। अदालत की कार्रवाई जारी रही। अभियुक्त जलपान के समय ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जायगा।

अदालत में पेश काग़ज़ों में 'गोरकी' का अनुवादित उपन्यास 'मदर', हिन्दी पुस्तकों का सूचीपत्र और पिक्रिक तथा बारूद आदि बनाने के नुस्ख़े मौजूद थे।

अभियुक्त विद्याभूषण ने इस बात का तीव्र विरोध किया कि काग़ज़ों का परिचय कोर्ट-इन्स्पेक्टर दे रहा है। उनका परिचय मुख़बिर को स्वयं देना चाहिए।

उन काग़ज़ों में मुख़बिर का लिखा एक मसविदा भी मौजूद था। मुख़बिर ने कहा कि इसे मैंने अपनी गिरफ़्तारी के कुछ दिन पहले लिखा था। उस मसविदा में मैंने क्रान्तिकारी दल के सामने पेश करने के लिए अपना बयान लिखा था। मैंने दल से इस्तीफ़ा दे देने का निश्चय कर लिया था।

आज अदालत में सबूत-पक्ष ने दर्जनों काग़ज़-पत्र मुख़बिर द्वारा शनाख़्त कराने के लिए उपस्थित किए। उनमें से अधिकतर मुख़बिर की तलाशी के वक़्त प्राप्त हुए थे। उन काग़ज़ों में "अखिल भारतीय सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस" के विधान का एक मसविदा भी था। मुख़बिर दल से इस्तीफ़ा देने के बाद उपरोक्त संस्था का सङ्गठन करना चाहता था। "क्रान्ति और भारतीय क्रान्तिकारी" शीर्षक लेख की तथा गन-कॉटन के छपे हुए नुस्ख़े की नक़ल की मुख़बिर ने शनाख़्त की। मुख़बिर ने कहा कि इस नुस्ख़े को "साइन्टिस्ट" ("वैज्ञानिक") ने जॉन रीड की केमिस्ट्री से नक़ल किया था। नुस्ख़े की नक़ल के अतिरिक्त अदालत के सामने बहुत सी विज्ञान, इतिहास, राजनीति और क्रान्ति सम्बन्धी पुस्तकें मौजूद थीं।

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मि० आसफ़अली ने अदालत का ध्यान अभियुक्त हरकेश की उस अर्ज़ी की ओर आकर्षित किया, जिसमें अभियुक्त को गिरफ़्तारी के समय पुलिस द्वारा क़ब्ज़े में कर ली गई वस्तुओं के लौटा देने की प्रार्थना की गई थी। ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेन्ट ने इस सम्बन्ध में हुक्म जारी करने का वचन दिया। इसके बाद मि० आसफ़अली ने अदालत से यह प्रार्थना की कि जेल से आए हुए उस रजिस्टर के देखने की हम लोगों को आज्ञा दे दी जाय, जिसके लिए कुछ दिन पहले सफ़ाई की ओर से अर्ज़ी पेश की जा चुकी है। अदालत ने यह प्रार्थना भी मञ्ज़ूर कर ली।

हाईकोर्ट की नज़ीर

इसके बाद मि० आसफ़अली ने अदालत का ध्यान हाईकोर्ट की उस नज़ीर की ओर आकर्षित किया, जिसमें कहा गया था कि सेशन कोर्ट में पेश होने वाले सब काग़ज़ातों को खुली अदालत में सब अभियुक्तों के सामने पूरी तरह से पढ़ कर सुना देना चाहिए। आपने कहा कि ऐसी हालत में, जबकि सबूत-पक्ष उन काग़ज़ातों के अन्दर लिखी बातों को सफ़ाई के विरुद्ध अपना आधार बना रहा हो, पढ़ कर सुना देना और भी आवश्यक हो जाता है। यदि सबूत-पक्ष काग़ज़ातों में लिखी बातों का वैसा प्रयोग न करने वाला हो तब बात दूसरी है। इस पर ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेन्ट ने कहा कि जब अभियुक्तों को अदालत में पेश काग़ज़ातों की नक़लें मिल ही जाती हैं, तब उन्हें अदालत में पढ़ कर सुनाने से क्या लाभ?

कोर्ट-इन्स्पेक्टर सरदार भागसिंह ने कहा कि ये बातें इस अदालत में नहीं लागू होतीं।

मि० आसफ़अली ने सरदार भागसिंह द्वारा उत्तर दिए जाने का घोर विरोध किया। आपने कहा कि यह बात पेशे की मर्यादा के ख़िलाफ़ है। कोर्ट-इन्स्पेक्टर ने उत्तर देकर सरकारी वकील के अधिकार पर हस्तक्षेप किया है।

सरकारी वकील ने उठ कर उत्तर देते हुए मि० आसफ़अली से कहा कि सब काग़ज़ातों के पढ़ कर सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। अदालत ने मि० आसफ़अली की बात को नामञ्ज़ूर कर दिया।

क्रान्तिकारी पुस्तकें

पुस्तकों में निम्न-लिखित पुस्तकें पेश की गई थीं। "दि रोमैन्स ऑफ़ आयरिश हीरोज़" (आयर्लैण्ड के वीरों की कथा), "दि फ़िलॉसफ़ी एण्ड फ़्रेञ्च रिवॉल्यूशन" (दर्शन और फ़्रान्स की राज्यक्रान्ति), "इण्डियाज़ वार ऑफ़ इन्डिपेण्डेन्स" (भारत का स्वाधीनता संग्राम), "रशियन रिवॉल्यूशन" (रूस की राज्यक्रान्ति), "कम्यूनिज़्म" (साम्यवाद), "अप्टन सिन्क्लेयर्स लाइफ़" (अप्टन सिन्क्लेयर का जीवन-चरित्र) इत्यादि।

एक काग़ज़ ऐसा था, जिसमें भगवतीचरण की रचित एक पञ्जाबी कविता लिखी थी। महात्मा गाँधी के नाम मुख़बिर ने जो पत्र लिखा था, उसकी उसने शनाख़्त की।

अभियुक्तों ने कोर्ट-इन्स्पेक्टर के प्रश्नों के न सुन सकने की अदालत से शिकायत की।

विद्याभूषण ने प्रेज़िडेन्ट को सम्बोधित करते हुए कहा—"मि० प्रेज़िडेन्ट, क्या यह मुक़दमा हम लोगों के लिए हो रहा है? हम लोगों को न तो कोर्ट-इन्स्पेक्टर की बात सुनाई पड़ती है, न मुख़बिर की।"

इस पर प्रेज़िडेन्ट ने मुख़बिर से ज़ोर से बोलने के लिए कहा।

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई।

कल मुख़बिर पर जूते फेंकने की घटना के कारण आज ता० ३० की स्पेशल ट्रिब्यूनल की बैठक में दर्शकों की गैलरी में पहले से ही विशेष प्रबन्ध कर लिया गया था। गैलरी की कुर्सियाँ ५ फ़ीट पीछे हटा दी गई थीं और दर्शकों के बीच में सी० आई० डी० और तीन पुलिस के आदमी बैठा दिए गए थे। दर्शकों के बैठने के स्थान भी कम कर दिए गए थे। कुछ लोगों को एक घण्टा बाहर खड़े रहने के बाद प्रवेश-पत्र मिले।

मि० आसफ़अली ने मुख़बिर कैलाशपति के अन्य मुख़बिरों से अलग रक्खे जाने के सम्बन्ध में जो अर्ज़ी दी थी, उसके समर्थन में कहा कि मुख़बिर कैलाशपति अन्य मुख़बिरों से अलग रक्खा जाय; जिससे वह जिरह में पूछे हुए प्रश्नों पर आपस में बातचीत न कर सके और अपनी गवाही की कमी की पूर्ति दूसरे मुख़बिरों द्वारा न करा सके। आपने कहा कि जेल में स्थान बहुत काफ़ी है, मुख़बिर एक दूसरे से अलग रक्खे जा सकते हैं। एक मुख़बिर सिविल वार्ड में एक महीने से अलग ही रक्खा जा रहा है। मेरी प्रार्थना है कि मुख़बिर तीन जगह अलग-अलग रक्खे जायँ।

रायबहादुर कुँवरसेन—क्या आप मुख़बिरों को कम से कम तीन दलों में विभाजित कराना चाहते हैं?

मि० आसफ़अली—जी हाँ, कम से कम तीन दलों में विभाजित कराना चाहता हूँ। यदि यह सम्भव न हो तो दूसरा उपाय यह है कि पहले सब मुख़बिरों की गवाहियाँ एक-एक के बाद लगातार हो जायँ, इसके बाद जिरह प्रारम्भ हो। अदालत को इस ढङ्ग से कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार है। मुझे आशा है कि सरकारी वकील मेरी इस प्रार्थना का विरोध न करेंगे, क्योंकि इसमें उन्हें कोई असुविधा न होगी।

सरकारी वकील ने मि० आसफ़अली का उत्तर देते हुए कहा कि पहली दफ़ा जब इस सम्बन्ध में अर्ज़ी पेश हुई थी, तब सबूत-पक्ष सफ़ाई-पक्ष की बात मानने के लिए तैयार था, यदि उसे केवल मुख़बिरों की सुरक्षा का निश्चय हो जाता। सबूत-पक्ष का अब भी वही विचार है। सबूत-पक्ष को अपने मामले की मज़बूती पर विश्वास है, वह सफ़ाई-पक्ष के किसी न्यायोचित अधिकार का अपहरण नहीं करना चाहता। मुख़बिरों के अलग-अलग रखने के सम्बन्ध में विचारणीय बात जगह की नहीं है। मुख्य प्रश्न मुख़बिरों की सुरक्षा का है। यह बात ठीक है कि मुख़बिर रामलाल अन्य मुख़बिरों से अलग सिविल वार्ड में रक्खा गया है। परन्तु उसके सम्बन्ध में जेल-अधिकारियों को किसी प्रकार के ख़तरे की आशङ्का नहीं थी। मुख़बिर रामलाल स्वयं उस स्थान में अपने को सुरक्षित नहीं समझता और उसे किसी अधिक सुरक्षित स्थान में हटाने का विचार हो रहा है। अन्त में आपने कहा कि जेल के मौजूदा प्रबन्ध और स्थान को देखते हुए मुख़बिरों का अलग-अलग करके रक्खा जाना सम्भव नहीं है।

मि० आसफ़अली द्वारा बताए दूसरे उपाय के सम्बन्ध में सरकारी वकील ने कहा कि इस केस में ऐसी कोई असाधारण बात नहीं है, जिससे क़ानून की प्रचलित पद्धति में परिवर्तन किया जाय। साधारणतया नियम यह है कि गवाही के बाद ही जिरह भी हो जाती है। कोई कारण नहीं है कि जिरह तब तक के लिए स्थगित रक्खी जाय, जब तक कि सब मुख़बिरों की गवाही न समाप्त हो जाय। मुख़बिर की लगातार गवाही लेना मेरे लिए असुविधाजनक होगा। इसके बाद आपने कहा कि सफ़ाई-पक्ष की सुविधा से मेरा कोई सरोकार नहीं है। परन्तु सफ़ाई-पक्ष को अपनी सुविधा का ख़्याल रखने का पूरा अधिकार है।

विचित्र तर्क

मि० आसफ़अली ने सरकारी वकील की बातों का उत्तर देते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं सरकारी वकील को उनके तर्कों के लिए बधाई दूँ या उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करूँ। सरकारी वकील ने आज एक विचित्र ही तर्क उपस्थित किया है। मुख़बिर रामलाल से सरकार नाराज़ हो गई है, इसलिए जेल के अधिकारी उसे कहीं भी रखने में उसकी जान का ख़तरा नहीं समझते। मि० आसफ़अली ने कहा कि सफ़ाई-पक्ष सभी मुख़बिरों की सुरक्षा चाहता है। सरकारी वकील ने कहा—कि मुझे सफ़ाई-पक्ष की सुविधा से कोई मतलब नहीं है, परन्तु "मैं न्याय के नाम पर ट्रिब्यूनल से प्रार्थना करता हूँ कि वह अभियुक्तों की सुविधा पर ध्यान दे।" सरकार को सुविधा की कमी नहीं है। उसके हाथ में अपरिमित ख़ज़ाना, अगणित क़ानूनी सलाहकार, असंख्य कर्मचारी और शासन के सब विभाग ही हैं। सुविधा की ज़रूरत तो उन अभियुक्तों को है, जिनके पास किसी प्रकार के साधन नहीं हैं। वास्तव में इस षड्यन्त्र केस का एकमात्र आधार मुख़बिरों की गवाही है। कोई भी स्वतन्त्र गवाह उनका समर्थक नहीं है, ऐसी हालत में ट्रिब्यूनल का यह फ़र्ज़ है कि वह ऐसा प्रबन्ध करे, जिससे जिरह के समय मुख़बिर एक-दूसरे से मिल न सकें। किसी भी गवाह पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव न पड़ना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि अब मुख़बिरों को एक साथ मिल कर क़िस्से गढ़ने का अवसर न मिलना चाहिए। "ईश्वर के लिए, जिरह के समय मुख़बिरों को अलग-अलग रख कर एक सुअवसर अभियुक्त-पक्ष को भी देने की कृपा कीजिए।" यूरोपियन वार्ड के बग़ल वाले तीन कार्यालयों में मुख़बिरों के रहने के लिए यथेष्ट स्थान है। वह स्थान सुरक्षित भी है। आपने कहा कि एक बार सफ़ाई-पक्ष को भी मामले की यथार्थता प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए।

मुख़बिरों की लगातार गवाही होने और जिरह स्थगित रहने के सम्बन्ध में मि० आसफ़अली ने "इवीडेन्स ऐक्ट" की दफ़ा १३५ का हवाला देते हुए कहा कि अदालत को इस विषय में अपने विचार के अनुकूल कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। आपने कहा कि यदि अनेक साधारण मामलों तक में गवाहों की जिरह स्थगित रक्खी जा सकती है, तो इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? बहस सुन लेने के बाद अर्ज़ी पर फ़ैसला सुनाने के लिए अदालत ने बुधवार का दिन नियत किया।

इसके बाद षड्यन्त्र सम्बन्धी वस्तुओं की शनाख़्त करने की कार्रवाई प्रारम्भ हुई। मुख़बिर कैलाशपति प्रत्येक वस्तु की शनाख़्त करता गया और अदालत उसे दर्ज करती गई। इस कार्रवाई के बीच में अभियुक्तों ने कई बार शिकायत की कि कोर्ट-इन्स्पेक्टर द्वारा मुख़बिर से पूछे गए प्रश्न धीमे स्वर में होने के कारण सुन नहीं पड़ते। सरकारी वकील ने कहा कि अभियुक्त आपस में बातें करते हैं, इस कारण वे सुन नहीं पाते।

प्रोफ़ेसर निगम ने सरकारी वकील के कथन का घोर विरोध किया।

मि० आसफ़अली ने कहा कि काग़ज़ातों के मिसिल में दर्ज किए जाने के पहले, उनका मामले से कहाँ तक सम्बन्ध है, यह समझा देना आवश्यक है। अदालत ने मि० आसफ़अली की बात मान ली।

इसके बाद सबूत-पक्ष द्वारा उस पत्र के पेश करने पर, जोकि अभियुक्त हरद्वारीलाल ने अपने क़ानूनी सलाहकार को लिखा था, दोनों पक्षों में उत्तेजनापूर्ण बहस छिड़ गई।

सफ़ाई के वकील मि० एस० एन० बोस ने इस पत्र के पेश किए जाने का विरोध किया। 'इवीडेन्स ऐक्ट' की १२६वीं दफ़ा का हवाला देते हुए आपने कहा कि अभियुक्त द्वारा क़ानूनी सलाहकार को दी गई सलाहें प्रकट नहीं की जा सकतीं।

कोर्ट-इन्स्पेक्टर—यह पत्र अभियुक्त की सहधामणी से प्राप्त हुआ है, जबकि वह जेल में अपने पति से मिलने के लिए गई थी। अभियुक्त ने जेल-नियमों के विरुद्ध यह पत्र उसको दिया था।

अभियुक्त विद्याभूषण—हरगिज़ नहीं, यह बिलकुल झूठ है।

मि० आसफ़अली ने कहा—क़ानूनन् स्त्री और पति के बीच की लिखा-पढ़ी गुप्त रक्खी जा सकती है। यह पत्र अनुचित ढङ्ग से प्राप्त किया गया है।

इस प्रश्न पर मि० आसफ़अली और सरकारी वकील में बहुत उत्तेजनापूर्ण बहस छिड़ गई, जिसमें दोनों ओर से "अनुचित उकसाहट", "अशिष्ट आक्षेप", "अन्याययुक्त कथन" आदि कठोर शब्द प्रयोग किए गए। मि० आसफ़अली ने आख़ीर में कहा कि हम अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, सबूत-पक्ष को हमारे प्रति कुछ कम अन्याययुक्त होना चाहिए।

इस प्रश्न पर लगभग आध घण्टे तक बहस होती रही। अदालत ने सफ़ाई-पक्ष की बात नहीं मानी और पत्र को पेश करने की आज्ञा दे दी।

इसके बाद कुछ और काग़ज़ों के पेश करने के बाद अदालत स्थगित हो गई।

आज ता० १ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडेन्ट ने अभियुक्त-पक्ष की ओर से पेश की गई उस अर्ज़ी पर फ़ैसला सुनाया, जिसमें मुख़बिर कैलाशपति को अन्य मुख़बिरों से अलग रक्खे जाने के लिए कहा गया था। प्रेज़िडेन्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि यदि मुख़बिर कैलाशपति अन्य मुख़बिरों से अलग रक्खा जा सकता, तो सफ़ाई-पक्ष के कथनानुसार अच्छा ही होता। परन्तु मैं सरकारी वकील के इस कथन से सहमत हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जेल में न तो इसके लिए यथेष्ट स्थान है, न मुख़बिरों की सुरक्षा का व्यक्तिगत प्रबन्ध ही हो सकता है।

इस सम्बन्ध में सफ़ाई-पक्ष ने जो दूसरी बात पेश की है, वह यह है कि पहले सब मुख़बिरों की गवाही हो जाय, इसके बाद उनकी जिरह प्रारम्भ हो। परिस्थितियों को देखते हुए, ट्रिब्यूनल का विचार है कि क़ानून की जो पद्धति हिन्दुस्तान भर की अदालतों में प्रचलित है, उसको बदलना उचित न होगा। इसलिए अर्ज़ी ख़ारिज की जाती है।

इसके बाद षड्यन्त्र सम्बन्धी वस्तुओं की मुख़बिर कैलाशपति ने शनाख़्त की।

इसके बाद अदालत बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित हो गई।

ता० २ जुलाई को स्पेशल ट्रिब्यूनल की बैठक में दिन का अधिक हिस्सा षड्यन्त्र सम्बन्धी वस्तुओं की शनाख़्त में लग गया। मुख़बिर कैलाशपति ने आज अपना बयान समाप्त कर दिया। शनाख़्त के लिए जो वस्तुएँ पेश की गई थीं, उनमें से बहुत सी वस्तुएँ क़ुतुबरोड़ बम-फ़ैक्टरी और भिन्न-भिन्न अभियुक्तों के मकानों से मिली थीं। जिनमें लिटीमस पेपर, तौलने के बटखरे, ट्यूब,

पिकरिक एसिड, धोने के बर्तन, फ़ाइल, जूते, कम्बल, कपड़े, मोटर साइकिल के हिस्से और स्टूल आदि थे।

एक प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि स्टूल मैंने या ख़यालीराम या विमलप्रसाद जैन ने ख़रीदे थे। (इस पर हँसी हुई)

किसी अभियुक्त ने कहा—या सरदार जी (कोर्ट इन्सपेक्टर) भी क्यों नहीं जोड़ देते?

उपस्थित वस्तुओं में पिकरिक एसिड बनाने के लिए शीशे के गिलास भी थे।

इन वस्तुओं के सम्बन्ध में यह प्रश्न करने पर कि उन्हें कौन ख़रीद कर फ़ैक्टरी में लाया था, मुख़बिर कैलाशपति ने कहा कि, "जहाँ तक मेरा ख़्याल है, शायद इन्होंने या उन्होंने ख़रीदा होगा।" इस पर मि० आसफ़अली ने कहा कि यह कोई गवाही नहीं है, यह तो अनुमान मात्र है। मुख़बिर इस विषय में अनिश्चित है। अदालत के सामने शनाख़्त के लिए पेश की गई वस्तुओं में गन्धक, दस बोतल सलफ़्यूरिक एसिड (जिनको शायद मुख़बिर कैलाशपति ने बाबूराम की दूकान से ख़रीदा था।), गनकॉटन, फ़नेल, पिक्रो-क्लोरिन गैस, शीशे के पाँच गिलास, डेग्चिटो बोतल, रबर ट्यूब, भोजन बनाने के बर्तन, प्रोफ़ेसर निगम की एक फ़ाउण्टेन पेन और हवाई पिस्तौलों को साफ़ करने वाली एक ब्रश थी। अभियुक्तों का कठघरा हँसी से गूँज उठा, जब अदालत के सामने एक फटी-पुरानी रज़ाई, जिससे बहुत बदबू आ रही थी, शनाख़्त के लिए पेश की गई। मुख़बिर ने कहा कि रज़ाई मेरी है, मैंने इसे विशम्भरदयाल को दिया था। इसके बाद मुख़बिर ने पं० चन्द्रशेखर आज़ाद के कोट और निकर की शनाख़्त की, जिन्हें आज़ाद मुख़बिर के पास छोड़ गया था। इसके बाद मुख़बिर ने उस बी० एस० ए० मोटर साइकिल के पहियों, टायरों, एञ्जिनों और दूसरे पुर्ज़ों की शनाख़्त की, जिसका अभियुक्तों ने दिसम्बर सन् १९२९ में वॉयसरॉय की ट्रेन उड़ाने की स्कीम सोचने के अवसर पर उपयोग किया था।

मोटरकार

गाडोदिया स्टोर की डकैती में जिस मोटरकार पर बैठ कर अभियुक्त स्टोर लूटने गए थे, वह भी शनाख़्त के लिए पेश की गई। मुख़बिर ने कहा कि 'शेवरले' कार थी। इसके अतिरिक्त और उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानता। कार की रोशनी के रङ्ग के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता।

ता० ३ जुलाई को दिल्ली षड्यन्त्र केस में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने सबूत की ओर से शनाख़्त के लिए मुख़बिर कैलाशपति का वह बयान पेश किया गया, जो कि उसने मामले के प्रारम्भ में फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट मि० ईसर के सामने दिया था। सफ़ाई के वकील मि० आसफ़अली ने उपरोक्त बयान के पेश किए जाने का विरोध किया। आपने कहा कि यह बयान मुख़बिर कैलाशपति का नहीं मालूम होता। सफ़ाई के वकील मि० एस० एन० बोस ने कहा कि यह बयान अपराध करने के समय या उसके आस-पास किसी समय नहीं दिया गया था, इसलिए वह पेश नहीं किया जा सकता। अपराध का कार्य सन् १९२९ में प्रारम्भ हुआ था और बयान सन् १९३१ में दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त यह बयान केस की जाँच करने वाले किसी अफ़सर के सामने नहीं दिया था। आपने कहा कि इस बयान का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस अदालत के सामने दिए गए बयान का न तो वह पूरी तरह से समर्थन ही करता है, न उसका विरोध ही करता है। वास्तव में वह बयान सैकड़ों विरोधी बातों से भरा हुआ है। आपने कहा कि इस अदालत के सामने दिए गए बयान के समर्थन में ही कोई बात पेश की जा सकती है।

प्रेज़िडेण्ट—बयान हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वह पूरा का पूरा ही पेश किया जायगा।

मि० आसफ़अली की बहस

मि० आसफ़अली ने कहा कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा १६४ के अनुसार कोई भी बयान, दफ़ा १५७ के अनुसार पेश किए जाने लायक़ होते हुए भी, तब तक नहीं पेश किया जा सकता, जब तक कि दफ़ा १६४ के सम्पूर्ण नियमों का पालन न किया गया हो। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उपरोक्त बयान के दर्ज होते समय उस सम्बन्ध के सम्पूर्ण आवश्यक नियमों का पालन किया गया था।

ट्रिब्यूनल के एक सदस्य रायबहादुर कुँवरसेन ने कहा—क्योंकि इसकी गवाही देने के लिए मैजिस्ट्रेट अभी नहीं आए हैं।

मि० आसफ़अली ने अपनी बहस के सिलसिले में कहा कि दफ़ा १५७ के अनुसार अदालत में दिए गए बयान के केवल समर्थन में कोई बात पेश की जा सकती है। जब तक अदालत के सामने इस बात का सबूत न दे दिया जाय कि बयान दर्ज करने के जो नियम हैं, उन सबका उपरोक्त बयान के दर्ज करने में पालन किया गया है और जब तक इस बात का भी सबूत न दे दिया जाय कि बयान मुख़बिर ने अपने आप बिना किसी बाहरी दबाव के दिया था, तब तक सबूत की ओर से पेश किया जाने वाला मुख़बिर का यह बयान काग़ज़ का एक टुकड़ा मात्र है।

सरकारी वकील का उत्तर

सरकारी वकील ने मि० आसफ़अली के उत्तर में कहा कि दफ़ा १६४ के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बयान दर्ज करने का अख़्तियार है। आपने हाईकोर्ट की एक नज़ीर पेश करते हुए कहा कि किसी प्रश्न के समर्थन में ऐसा बयान तक पेश किया जा सकता है, जोकि पहले के किसी मामले में दिया गया हो। आपने कहा कि बयान विभाजित करके नहीं पेश किया जा सकता, वह पूरा का पूरा ही पेश किया जा सकता है। परन्तु सबूत की ओर से इस बात का विश्वास दिलाया जाता है कि वह अपने पक्ष-समर्थन के लिए केवल उन्हीं बातों का ज़िक्र करेगा, जिनका अदालत में दिए गए बयान से समर्थन होता होगा।

अधिकार का प्रश्न

मि० बोस ने सरकारी वकील के तर्क का उत्तर देते हुए कहा कि इस केस की जाँच फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट मियाँ जगदीशसिंह कर रहे थे, इसलिए मि० ईसर को इस सम्बन्ध में कारवाई करने का अधिकार नहीं था। फ़रुदेवालाँ बम-फ़ैक्टरी फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट मियाँ जगदीशसिंह के हलक़े में है। आपने ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा १६४ के सन् १९२३ वाले संशोधन का हवाला देते हुए कहा कि अदालत में मामले के प्रारम्भ होने के पहले जो बयान दफ़ा १६२ के अनुसार दर्ज किए जाते हैं, वे अदालत में मामले के चलते समय नहीं पेश किए जा सकते।

पहले दिल्ली षड्यन्त्र केस में मुख़बिर दीनानाथ के बयान का और इसी प्रकार दिल्ली के बनिया की हत्या के केस में, सबूत-पक्ष ने मुख़बिर के बयानों का ज़िक्र तक नहीं किया। इसलिए अदालत को इस बयान के पेश करने की इजाज़त न देनी चाहिए।

मि० आसफ़अली ने कहा कि जब तक उस समय के सिटी मैजिस्ट्रेट और आजकल के एडीशनल मैजिस्ट्रेट मि० ईसर अदालत के सामने पेश नहीं किए जाते तब तक सबूत-पक्ष यह बात नहीं साबित कर सकता कि मुख़बिर कैलाशपति का बयान क़ानून के अनुसार दर्ज किया गया था।

मि० आसफ़अली ने कहा कि बयान मुख़बिर कैलाशपति का नहीं है। बयान की अङ्गरेज़ी भाषा से ज़ाहिर होता है कि वह मुख़बिर कैलाशपति का बयान नहीं है। ट्रिब्यूनल बयान के अक्षरों को देख कर स्वयं ही निर्णय कर सकता है कि मुख़बिर कैलाशपति ऐसी भाषा में बयान दे सकता है या नहीं।

सम्पूर्ण बयान क़ानूनी कठिनाइयों से भरा पड़ा है। अगर सफ़ाई-पक्ष के विरोध करने पर भी सबूत-पक्ष उसे पेश करना ही चाहे तो वह कर सकता है।

सरकारी वकील ने मि० बोस की बात का उत्तर देते हुए कहा कि अधिकार का प्रश्न ही नहीं है। कोई भी उपयुक्त मैजिस्ट्रेट मामले की जाँच कर सकता था।

अदालत ने इस प्रश्न पर निर्णय देने के लिए ता० ८ जुलाई नियत की है।

इसके बाद कोर्ट इन्स्पेक्टर ने भिन्न-भिन्न पुस्तकों, काग़ज़ों और अन्य वस्तुओं के पेश करने का कारण बतलाया। यह पूछने पर कि गोरकी-लिखित 'मदर' का हिन्दी अनुवाद क्यों पेश किया गया है, आपने बतलाया कि 'मदर' एक प्रसिद्ध रूसी लेखक की क्रान्तिकारी पुस्तक है।

इसके बाद मि० आसफ़अली ने अदालत से कुछ काग़ज़ातों की फ़ोटो देने की प्रार्थना की। अदालत ने प्रार्थना पर विचार करने के लिए उन काग़ज़ातों की फ़िहरिस्त देने के लिए कहा। मि० आसफ़अली ने अदालत से मुख़बिर कैलाशपति की गवाही की नक़ल जल्द से जल्द देने के लिए भी प्रार्थना की। प्रेज़िडेण्ट ने नक़ल जल्दी ही देने का वचन दिया। आपने कहा कि प्रेस इस विषय में सावधानी से कार्य नहीं कर रहा है।

जलपान के बाद मुख़बिर कैलाशपति के बयान में जो कुछ बातें छूट गई थीं, उनके सम्बन्ध में मुख़बिर से प्रश्न करके उनकी पूर्ति कर दी गई।

आज की कारवाई में लाहौर षड्यन्त्र केस के सफ़ाई के वकील लाला श्यामलाल एडवोकेट भी उपस्थित थे। आप अभियुक्त धन्वन्तरि से मिले।

इसके बाद अदालत ८ जुलाई तक के लिए स्थगित हो गई।

(क्रमशः)

* * *

आरमीनिया

[श्री० गोपाल गङ्गाधर भावे, बी० ए०]

आरमीनिया एशिया-माइनर का एक प्रान्त है, जिसमें रूसी आरमीनिया तथा तुर्की आरमीनिया ये दो भाग सम्मिलित हैं। रूस के राज्य-विप्लव के समय तक आरमीनिया में कॉकेशिया का दक्षिणी भाग तथा छः तुर्की प्रान्त सम्मिलित थे। राज्य-विप्लव के अनन्तर जॉर्जिया तथा अज़रबैजन ये दो प्रान्त स्वतन्त्र हो गए और शेष रूसी आरमीनिया में प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी गई। सेव्रेस (Sevres) की सन्धि के द्वारा इस आरमीनिया के प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना की गई और इसकी चतुःसीमा अमेरिका के प्रेज़िडेण्ट विल्सन ने निर्धारित की।

इसमें रूसी आरमीनिया का प्रजातन्त्र राज्य, जिसका क्षेत्रफल लगभग ८० हज़ार वर्गमील है, तथा वान, (Van), अरज़ेरम (Erzerum), बिटलिस (Bitlis) और ट्रेबिज़ोण्ड (Trebizond) की विलायतें सम्मिलित हैं। तुर्की आरमीनिया के रक्षण तथा शिक्षण का भार राष्ट्र-सङ्घ अथवा मित्र-पक्ष के किसी देश के न उठाने के कारण उस पर तुर्कों तथा रूस का पूर्ण अधिकार है।

रूसी आरमीनिया की जन-संख्या सन् १९१७ में २२ लाख थी तथा तुर्की आरमीनिया की जन-संख्या सन् १९१४ में ३८ लाख थी।

आरमीनिया के पूर्व तथा पश्चिम में कोई स्वाभाविक सीमा न होने से यह देश यूरोप से एशिया में आने-जाने का उत्तम मार्ग रहा है। इस मार्ग से एलेक्ज़ेण्डर, फ़ारस की सेनाएँ तथा तूरानियों के जत्थे प्रस्थान कर चुके हैं। रोम तथा पारथिया के साम्राज्य दोनों को इस पर सत्ता जमाने की लालसा थी, किन्तु आरमीनिया ने युद्ध के मैदान में अपनी स्वतन्त्रता फिर से प्राप्त करने के हेतु, दोनों के साथ विश्वासघात किया। इस प्रकार उसे दोनों का द्वेष-भाजन बनना पड़ा।

आरमीनियन्स देश के आदि-निवासी नहीं हैं। ईसा के ११०० वर्ष पूर्व इसके पूर्वीय भाग में एक युद्ध-प्रिय तथा सभ्य जाति रहती थी। इस बिएनी जाति का उल्लेख एसीरिया के इतिहास में पाया जाता है। बड़ी-बड़ी दीवारें, कोट, नहरें, पुल, सड़कें इत्यादि इस जाति के अनेक स्मारक-चिन्ह पाए जाते हैं। 'वान' झील के आस-पास विचित्र लिपि में लिखे हुए लेख भी पाए जाते हैं। ईसा के ६०० वर्ष पूर्व इस सभ्यता का अन्त हुआ और देश में पश्चिम की ओर से आरमीनियन्स का पदार्पण हुआ। ये असभ्य तथा अनपढ़ थे। एक सहस्र वर्ष पश्चात् इन्होंने लिखना सीखा। आरमीनियन्स इण्डो-यूरोपियन वंश के कहे जा सकते थे। साइरस ने इनको अधीन कर प्राचीन देशवासियों के साथ शान्ति-पूर्वक रहने को इन्हें बाध्य किया। ईसा के ४०० वर्ष पूर्व तक दोनों जातियों में परस्पर विवाहादि सर्व प्रकार के सम्बन्ध होते थे।

इतिहास उठा कर देखने से पता चलता है कि आरमीनियन्स सदा अपने पड़ोसियों की अधीनता में रहे हैं। यहाँ की जातियाँ कभी एक नहीं हुईं; अतएव परदेशियों का इन्हें विभक्त करके शासन करने का उपाय सदा सफल होता रहा है। उनमें स्वतन्त्र राष्ट्र के आवश्यक गुणों का अभाव रहा है। एक-दूसरे पर विश्वास करना, समझौता करने को उद्यत रहना, दूर-दर्शी, स्वदेश-प्रेम तथा साम्प्रदायिक विद्वेषों का बलिदान इत्यादि स्वतन्त्र राष्ट्र के आवश्यक गुणों का उनमें जन्म से भारी अभाव रहा है।

आरमीनिया का प्लेटो समुद्र से ४,००० से ६,००० फ़ीट तक ऊँचा है, जिसके ऊपर कई पर्वत-श्रेणियाँ विद्यमान हैं। रूसी आरमीनिया में अरारट का विशाल पर्वत है, जिसकी ऊँचाई १७,०५५ फ़ीट है। अतः आरमीनियन्स पहाड़ी कहे जा सकते हैं। यहाँ के नैसर्गिक तथा पहाड़ी दृश्य बड़े ही रमणीक हैं। तथापि आरमीनिया को वृक्ष-विहीन देश की उपाधि देनी पड़ती है। यूफ्रेटीज़ तथा टाइग्राज़ नदियों की सहायक नदियों का उद्गम पहाड़ों में ही है। 'वान' झील १,३०० वर्गमील की है और समुद्र से ५,००० फ़ीट की ऊँचाई पर है। इसी प्रकार कई अन्य सुन्दर झीलें भी इस देश में पाई जाती हैं।

आरमीनियन्स परिश्रमी, बलवान तथा उत्साही होते हैं। पुरुष बहुधा लम्बे तथा काले होते हैं। वे मित-भाषी होते हैं, और जो कुछ कहते हैं, वह विचारपूर्वक कहते हैं। स्त्रियाँ अधिकतर सुन्दर, स्वास्थ्ययुक्त तथा कुशल माताएँ होती हैं।

आरमीनिया कृषि-प्रधान देश है, और यहाँ के निवासियों का अधिकांश भाग कृषक है। आरमीनिया की भूमि उपजाऊ है; और यदि वह क़ायदे से जोती जाय तथा उसमें पानी का सन्तोषप्रद प्रबन्ध किया जाय तो यहाँ सब चीज़ें अधिकता से उत्पन्न हो सकती हैं। यदि भूमि बिना जोते-बोए पड़ी रहने दी जाय तो सूर्य के प्रखर ताप से वह रेगिस्तान के समान ऊसर हो जाती है। आरमीनिया के कृषक बड़े परिश्रमी होते हैं। ऊसर दिखाई देने वाली भूमि में भी वह ऐसी-ऐसी वस्तुएँ पैदा कर लेते हैं, जिनके उत्पन्न करने के लिए बड़ी उपजाऊ भूमि तथा कई कठिन साधनों की आवश्यकता है। उनके खेती करने के विधि-विधान प्राचीन ढङ्ग के हैं। कृषक के पास पाश्चात्य यन्त्रों का उपयोग करने के लिए न तो पर्याप्त धन है और न विदेशीय आक्रमणों से रक्षा करने के साधन। घरों में ही तैयार होने वाले हथियारों से वे अपना काम निकालते हैं। खेत में बैलों अथवा भैंसों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उपयोग किया जाता है। अनाज काटना तथा दाना-भूसा विभक्त करना इत्यादि सब काम उसी प्रकार किए जाते हैं, जिस प्रकार कि हमारे अकर्मण्य देश में!

यहाँ के अधिकांश किसान पढ़े-लिखे होते हैं। आरमीनियन्स शिक्षा को बहुत महत्व देते रहे हैं। जो लोग धनी तथा श्रीमान होते थे, वे अपने पुत्रों को पैरी तथा पैट्रोग्रेड के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा देने को भेजते थे। इनमें से कुछ ऑक्सफ़र्ड तथा लन्दन के विश्व-विद्यालयों में पूर्वीय भाषाओं के शिक्षक भी नियुक्त हो गए हैं।

आरमीनियन्स का एक अपना भी विश्वविद्यालय है। गाँवों में पाठशालाएँ हैं, जो दान दिए हुए धन से चलती हैं। यहीं पर किसानों को प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। भावी सन्तान को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से कतिपय देशभक्त पुरुष गाँवों में अध्यापन-कार्य करते हुए अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, यह सब अच्छे चिह्न हैं।

आरमीनियन्स, जैसा कि सबको विदित है, ईसाई हैं। सच पूछिए तो यही जाति सेण्ट ग्रीगॉरी के प्रयत्न से सर्व-प्रथम ईसाई बनाई गई थी।

अन्य ईसाई-देशों से बहुत दिनों तक सम्बन्ध टूट जाने के कारण इनके प्रार्थना करने की विधि तथा अन्य व्यवहारों में बहुत अन्तर हो गया है। बहुत से मठों में पशुओं का बलिदान होता है, और लोहे के बर्तनों में मांस को पका कर ग़रीबों को बाँट दिया जाता है।

विवाह के दिनों में मठों और मन्दिरों के अन्दर बड़ी धूम मची रहती है। इस अवसर पर लोग ख़ूब ख़ुशियाँ मनाते हैं; उत्तम-उत्तम वस्त्र पहनते हैं तथा बहुत प्रसन्न-चित्त रहते हैं। वे अड़ोस-पड़ोस के गाँवों से आकर सायङ्काल में होने वाले नृत्य के लिए जमा होते हैं।

यदि आपको कभी ऐसे अवसर पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हो तो दूर से आपको बाँसुरी की मधुर तान तथा ढोल का तीव्र शब्द सुनाई देगा। इसके बाद जैसे ही सन्ध्या होती है, वैसे ही तीन बालिकाओं को एक विचित्र प्रकार का नृत्य करते हुए आप देखेंगे। किञ्चित काल के पश्चात् वे बालिकाएँ अदृश्य हो जायँगी और उनके स्थान पर श्वेत वस्त्र पहने हुए एक बालक आकर भीड़ को अपने नृत्य से मोहित करेगा। थोड़ी ही देर में वह भी ग़ायब हो जायगा और सारे पुरुष हाथ में हाथ डाल कर पाँच-पाँच, छः-छः के जत्थे बना कर नाचने लग जायँगे। इस प्रकार के नृत्यों को आरमीनिया के किसान बहुत पसन्द करते हैं।

शहरों में और अधिकतर रूसी आरमीनिया में लोगों के मनोरञ्जन के साधन इनसे भिन्न हैं। तिफ़्लिस में, जो जॉर्जिया की राजधानी है और जिसमें बहुत से आरमीनियन्स रहते हैं, अनेक नाटक-गृह तथा नृत्य-भवन हैं, किन्तु यहाँ रूसी नाटक और रूसी गायन को ही प्रधानता दी जाती है। पढ़े-लिखे आरमीनियन्स को सङ्गीत का बड़ा शौक़ होता है। वह अवश्य ही कम से कम एक पियानो अपने घर में रखता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के लोगों को छापेख़ानों से विशेष प्रेम है। छोटे-छोटे गाँवों में भी बहुधा छापे-ख़ाने मिलेंगे, और जहाँ भी कहीं आरमीनियन्स जाकर बसते हैं, वहाँ शीघ्र ही कोई पत्र निकलने लगता है। सुलतान अब्दुल हमीद के शासन-काल में छपाई के कार्य में बड़ी बाधाएँ उपस्थित की गई थीं, तथापि सन् १८५९ ई० में वान नगर में कई छापेख़ाने खोले गए।

दस्तकारी तथा कारीगरी में आरमीनियन्स की ख्याति बहुत फैली हुई है। वे दरी आदि बड़ी कुशलता तथा कारीगरी से बुनते हैं। बहुधा टर्किश नाम से प्रसिद्ध सारी दरियाँ वहीं की बनी होती हैं, जिन्हें क़ुस्तुन्तुनिया के व्यापारी पाश्चात्य देशों में बेचते हैं। तुर्की आरमीनिया के एक मठ में, बीच के बड़े भारी कमरे में, एक पुरानी दरी बिछी है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह ४०० वर्ष से अधिक पुरानी है।

* * *

[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

श्रीजगद्गुरु ने जब से लॉर्ड विलिङ्गडन महोदय की वह पुरानी ताड़ी-सी स्वादिष्ट स्पीच पढ़ी है, तब से स्पीचें पढ़ने का ऐसा चसका लगा है कि दिन-रात होंठ चाटा करते हैं और कभी-कभी इस धुन में भगवती भङ्ग-भवानी की आराधना तक की भी सुधि नहीं रहती।

❀

ख़ैर बड़े लाट के बाद बड़े साहब अर्थात् भारत के सिकत्तर श्रीमान् बेन साहब ने भी एक वैसे ही श्रुति-मधुर स्पीच दे डालने की कृपा की है और 'माशा अल्लाह' हमारे बड़े लाट बहादुर की तरह आप भी आपादमस्तक शान्ति-प्रेमी मालूम पड़ते हैं। फलतः प्रावृट काल के इन घनघटाच्छन्न के दिनों में बेचारी अशान्ति का .खुदा ही हाफ़िज़ है! हमें तो डर है कि इन शान्ति के अनन्य उपासकों के भय से बेचारी कुमारी स्नेहलता की भाँति किरॉसिन तेल डाल कर आत्म-हत्या न कर ले।

❀

और नहीं क्या जनाब, एक ओर महामहिम श्रीमान् बड़े लाट शान्ति-शान्ति चिल्ला रहे हैं और दूसरी ओर श्रीमान बड़े सिकत्तर साहब, शहनाई वाले के असिस्टेण्ट की तरह 'सुर' भर रहे हैं। ऐसी हालत में दईमारी अशान्ति ने क्या कुछ कौवे का मांस थोड़े ही खा लिया है जो जीती रह सकेगी? बात यह है कि बक़ौल सिकत्तर साहब, गाँधी-इर्विन समझौते के पालन पर ही बी ब्रितानिया का मान और सम्भ्रम निर्भर है। इसी से ये दोनों महानुभाव शान्ति की स्थापना के लिए दिलोजान से कोशिश कर रहे हैं। और, इसका सब से सीधा और सरल उपाय है, अपनी शान्ति-प्रियता और नेकनीयती की अपने ही श्रीमुख से प्रशंसा करना।

❀

ऐसी दशा में अगर दो-चार प्रादेशिक सरकारें और उनकी प्यारी पुलिस समझौते के विरुद्ध भी कोई कार्य कर बैठती हैं, तो उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि बक़ौल शख़्शे—"यह सरापा शोख़िए दस्ते-हिना थी, मैं न था!" बेचारियों की जन्म-जन्मान्तर की पड़ी हुई आदत क्या आप चाहते हैं कि एक ही दिन में छूट जाएगी! अभ्यास होते-होते होगा, या या कोई दाल-भात का कौर?

❀

फलतः गत ६ जुलाई के 'हिन्दी नवजीवन' में महात्मा गाँधी ने सुल्तानपुर, मथुरा, अमृतसर, अम्बाला, लुधियाना, रोहतक, कोण्टाई (बङ्गाल), रत्नगिरी, अहमदाबाद आदि स्थानों के अधिकारियों की समझौता-विरुद्ध कार्रवाइयों का जो विस्तृत विवरण प्रदान किया है, वह कोई ऐसी घटनाएँ नहीं हैं, जिनसे अशान्ति की सम्भावना हो, आख़िर, बेचारी पुलिस के लिए कुछ काम तो चाहिए, अन्यथा अगर उसके स्वभाव में मोरचा लग जायगा तो क्या उसे छुड़ाने के लिए आपके घर से तेल आएगा या हिज़ होलीनेस की कुल्हिया तोड़ी जायगी?

❀

इसीलिए जनाब, कहीं सभाएँ करने वालों की खोपड़ियाँ लाठियों द्वारा रँग दी जाती हैं, कहीं राष्ट्रीय झण्डे का अपमान किया जाता है, कहीं १४४ जारी है और कहीं किसानों पर मुक़दमे चलाए जाते हैं? इसके सिवा ये सब महज़ मामूली बातें हैं। इतने बड़े गाँधी-इर्विन समझौते का भला इन नगण्य घटनाओं द्वारा क्या बिगड़ सकता है? "कबहुँ कि काँजी सीकरनि छीर-सिन्धु बिनसाई?"

❀

इसके अलावा, बक़ौल लाट साहब और श्रीमान सिकत्तर साहब, महात्मा गाँधी तो शान्ति की चेष्टा करते ही हैं, इसलिए लाट साहब और सिकत्तर साहब भी वही करें, इसके कुछ मानी नहीं होते। आप ही बताइए, अगर सारा ख़ान्दान का ख़ान्दान एक ही काम करने लग जाए तो गृहस्थी कैसे चले? इसीलिए लाट साहब की तरह सिकत्तर साहब ने शान्ति और समझौते की दुहाई देकर महात्मा गाँधी की थोड़ी सी तारीफ़ कर दी है। अब इतने पर भी शान्ति और समझौते का मर्म आपकी समझ में नहीं आता तो मेहरबानी करके किसी चतुर नाई को अपनी अक़्ल का नाख़ून लेने को कहिए।

❀

भई, असल बात तो यह है, कि श्रीमान् लाट साहब की तरह ही हमारे सिकत्तर साहब का हृदय भी शिशु-सुलभ सरल विश्वास से ओत-प्रोत मालूम होता है। इसीसे आप समझते हैं कि जिस तरह महात्मा गाँधी, गाँधी-इर्विन समझौते का अक्षरशः पालन कर और करा रहे हैं, उसी तरह भारतवर्ष की नौकरशाही महोदया भी कर और करा रही होंगी। इसलिए अपने राम की राय है कि अगर ऋतु बाधा न दे तो आइए किसी ज्योतिषी से शुभ-मुहूर्त पूछ कर श्रीमान सिकत्तर साहब की सरलता पर निछावर हो जाएँ! क्यों, क्या राय है?

❀

ख़ैर, सिकत्तर साहब की तरह ही एक और भोले-भाले भारत-हितैषी का नाम भी श्रीजगद्गुरु के स्मृति-शिखर पर चढ़ बैठा है। फलतः कृतज्ञता का तक़ाज़ा है कि लगे हाथ उनकी भी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी जाय। क्योंकि इधर वर्षों से आप भारत के हित के लिए बेतरह व्याकुल रहते हैं और समय-समय पर इसे उन्नति के सातवें आसमान पर पहुँचा देने का स्तुत्य प्रयत्न भी किया करते हैं। इसलिए अपने राम तो एक दिन आपका 'टोस्ट' अवश्य ही पान करेंगे; चाहे धर्म जाय या रहे!

❀

अच्छा तो अब ज़रा मनोयोगपूर्वक इन भारत-बन्धु महोदय का परिचय सुन लीजिए। आपका प्रातःस्मरणीय शुभ नाम सर ह्यूबर्टकर है। आप विख्यात विलायती वणिक हैं और कलकत्ता के ब्रिटिश वणिक-समाज की ओर से गत गोलमेज़ में प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं तथा इस साल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। लेहाज़ा भारत की भलाई करना आपका मौरूसी हक़ है। क्योंकि एक तो आप गोरे हैं और दूसरे कृपा करके भारत में व्यवसाय करते हैं। बस बहरहाल आपके इन्हीं दो सद्गुणों पर सन्तोष कर लीजिए और आगे की कथा सुनिए।

❀

विलायत की किसी सभा में आपने एक सुन्दर और सारगर्भित सन्दर्भ पाठ करके इस बात के लिए अत्यन्त विक्षोभ प्रकट किया है कि आगामी गोलटेबिल कॉन्फ्रेन्स में राष्ट्रीयतावादी प्रतिनिधियों की अधिक भरमार हो जायगी और भारत के सच्चे हितैषी—राजे-महाराजे तथा सप्रू-पन्थी दल वाले टापते ही रह जाएँगे! फलतः सर ह्यूबर्ट का प्यारा भारत दुरवस्था की सीमा पर पहुँच जाएगा। क्योंकि ये राष्ट्रीय दल वाले स्वार्थपरता की साक्षात् मूर्तियाँ हैं। स्वतन्त्रता का सारा मज़ा अकेले ही हड़प जाना चाहते हैं। औरों को झाड़न-झूड़न भी न प्रदान करेंगे।

❀

इसलिए सर ह्यूबर्ट की राय है, कि भारत के भावी शासन-विधान में भारत-प्रवासी गोरे बनियों और अन्यान्य गोरों का विशेष हाथ रहना चाहिए। क्योंकि इन्होंने भारत की भलाई के लिए अपना .खून और पसीना एक कर दिया है। इस देश को उन्नत, सभ्य और समृद्धिशाली बनाने के लिए इन्होंने अपनी जानें लड़ा दी हैं। करोड़ों की पूँजी लगा कर भारत में अपने व्यापार का विस्तार किया है। अगर ये उदार हृदय परोपकारी गोरे बनिए न होते न जाने बुढ़ऊ बाबा (भारत) इस धरा-धाम पर होते या वैतरणी के उस पार चले गए होते।

❀

इतना ही नहीं, ह्यूबर्ट महोदय ने भारत को चिर-समृद्धिशाली और धन-धान्यपूर्ण बनाए रखने की और भी बहुत सी नायाब तदबीरें बतलाई हैं। आपकी राय में शासन-व्यवस्था चाहे जैसी हो, परन्तु आधिपत्य सिविलियनों का ही रहना चाहिए। क्योंकि राज-शासन की जैसी क्षमता इनमें होती है, वैसी आदमी तो क्या, विधाता के बाप में भी नहीं हो सकती। और ये काले! राम-राम! इनके हाथ में अगर शासन-सूत्र चला जावे तो सही साँझ विधाता की सृष्टि का सत्यानाश हो जाए। इसलिए क़ानून और शृङ्खला की रक्षा का भार भारतीय मन्त्रियों को सौंपना कदापि युक्तिसङ्गत न होगा।

❀

और सुनिए, पुलिस की व्यवस्था स्वयं गोरे गवर्नर के हाथों में होनी चाहिए और देहि पद-पल्लव मुदारम् दल की एक सर्वोपरि विराजमान शासन-परिषद होनी चाहिए। बस, इतने से ही सारा काम बन जाएगा। फिर भारतवाले ज्यों-ज्यों लायक़ फ़ायक़ होते जाएँगे, त्यों-त्यों उन्हें थोड़ा-थोड़ा अधिकार दिया जाया करेगा। क्योंकि अगर सारा अधिकार उन्हें एक साथ ही मिल जाएगा, तो अफ़ग़ानिस्तान के भूतपूर्व अमीर बच्चए-सक़ा की तरह ये भी .खूबसूरत औरतों को पकड़-पकड़ कर अपनी बीबियाँ बनाना आरम्भ कर देंगे।

❀

जल्दी मँगा लीजिए ! **नहीं तो पछताना पड़ेगा !!**

मानिक-मन्दिर

यह वही क्रान्तिकारी उपन्यास है, जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसी सुन्दर पुस्तक की प्रस्तावना लिख कर प्रेमचन्द जी ने इसे अमरत्व प्रदान कर दिया है। श्री० प्रेमचन्द जी अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं :—

"उपन्यास का सब से बड़ा गुण उसकी मनोरञ्जकता है। इस लिहाज़ से श्री० मदारीलाल जी गुप्त को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। पुस्तक की रचना-शैली सुन्दर है। पात्रों के मुख से वही बातें निकलती हैं, जो यथा-अवसर निकलनी चाहिए, न कम न ज़्यादा। उपन्यास में वर्णनात्मक भाग जितना ही कम और वार्त्ताभाग जितना ही अधिक होगा, उतनी ही कथा रोचक और ग्राह्य होगी। 'मानिक-मन्दिर' में इस बात का काफ़ी लिहाज़ रक्खा गया है। वर्णनात्मक भाग जितना है, उसकी भाषा भी इतनी भावपूर्ण है कि पढ़ने में आनन्द आता है। कहीं-कहीं तो आपके भाव बहुत गहरे हो गए हैं और दिल पर चोट करते हैं। चरित्रों में, मेरे विचार में, सोना का चित्रण बहुत ही स्वाभाविक हुआ है और देवी का सर्वाङ्ग सुन्दर। सोना अगर पतिता के मनोभावों का चित्र है, तो देवी सती के भावों की मूर्ति। पुरुषों में ओङ्कार का चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव है। विषय-वासना के भक्त कैसे चञ्चल, अस्थिर-चित्त और कितने मधुर-भाषी होते हैं, ओङ्कार इसका जीता-जागता, उदाहरण है। उसे अपनी पत्नी से प्रेम है, सोना से प्रेम है, कुमारी से प्रेम है और चन्दा से प्रेम है ; जिस वक्त जिसे सामने देखता है, उसी के मोह में फँस जाता है। ओङ्कार ही पुस्तक की जान है। कथा में कई सीन बहुत मर्मस्पर्शी हुए हैं। सोना के मिट्टी हो जाने का और ओङ्कार के सोना के कमरे में आने का वर्णन बड़े ही सनसनी पैदा करने वाले हैं, इत्यादि।" सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) रु०; नवीन संशोधित संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है !!

समाज-सेवा, देशभक्ति तथा एक देशोपकारी संस्था की आड़ में यदि अत्यन्त भयङ्कर तथा वीभत्स घटनाओं का नग्न चित्र देखना हो अथवा 'महाशय जी' व 'देवी जी' नामधारी नर-पिशाचों के आन्तरिक पापों का भण्डाफोड़ देखना हो, तो इस पुस्तक को उठा लीजिए। कुछ ही पन्ने पढ़ कर आप आश्चर्य की मूर्ति बन जायँगे, आपके रोम-रोम काँपने लगेंगे। जो स्त्री कि वाह्य जगत् में अत्यन्त पूज्य, अनिन्द्य सुन्दरी, विदुषी, सुशीला तथा समाज-सेविका है, वह वास्तव में व्यभिचारिणी, कलङ्किनी, पापिनी, हत्यारिणी तथा एक वेश्या से भी घृणित है। समाज में प्रतिष्ठित रहते हुए वह भीतर ही भीतर इन पापों की पूर्ति के लिए कैसे-कैसे रहस्य रचती है—इसका अत्यन्त रोमाञ्चकारी वर्णन इसमें किया गया है।

सुखवती देवी नाम्नी एक अत्यन्त सुन्दरी तथा विदुषी महिला किस प्रकार अपने पति का गला घोंट कर, एक प्रेस तथा मासिक पत्र की सञ्चालिका बन जाती है, समाज-सेवा की आड़ में किस प्रकार देवी जी ने अनेक धनिक पुरुषों को अपने जाल में फँसा कर रुपया ऐंठा तथा ब्रह्मचर्य के पवित्र नाम पर किस प्रकार दर्जनों होनहार नवयुवकों का सर्वनाश किया और एक नवयुवक के प्राण लेकर ही अपने प्राण त्यागे ; इतना नाटक खेलते हुए भी किस प्रकार देवी जी समाज में पूज्य बनी रहीं—इसका सारा रहस्य जादू की क़लम से लिखा गया है। पुस्तक के एक-एक शब्द में रहस्य भरा हुआ है। मूल्य १॥) रु० !

समाज की जिन अनुचित और अश्लील धारणाओं के कारण स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन असुख और असन्तोषपूर्ण बन जाता है, एवं जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा युवक और युवती का सुख-स्वाच्छन्द्यपूर्ण जीवन घृणा, अवहेलना, द्वेष और कलह का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में उनकी आलोचना की गई है।

लेखक ने देशीय और विदेशीय समाजों की उन समस्त बातों का, जो इस जीवन में बाधक और साधक हो सकती हैं, चित्रण किया है ! इसके साथ ही युवकों तथा पुरुषों के उन व्यवहारों एवं आचरणों की तीखी आलोचना की है, जिनसे विवाह की उपयोगिता, पवित्रता और मधुरता मारी जाती है ! लेखक के भावों में जो विवाह युवक और युवती के, पुरुष और स्त्री के प्रेम-जीवन की रक्षा नहीं कर सकते, वे विवाह, विवाह नहीं होते, प्रत्युत उनके पूर्व-जन्मों के दुष्कर्मों के प्रायश्चित्त होते हैं, जिनको वे कष्ट, घृणा और अवहेलना के साथ व्यतीत करते हैं !!

पुस्तक में स्त्री और पुरुष के जीवन की अनेक इस प्रकार की विवाद-ग्रस्त बातों का निर्णय किया गया है, जिनका कहीं पता नहीं लगता। पुस्तक में स्वतन्त्र देशों के उन प्रसिद्ध विद्वानों और लेखकों के विचारों के उद्धरण दिए गए हैं, जिन्होंने स्त्री-पुरुष के जीवन को सुख-सौभाग्य का जीवन बनाने के लिए प्रयत्न किया है और जिनके प्रभावशाली विचारों ने शिथिल और स्वतन्त्र जातियों के स्त्री-पुरुषों में स्फूर्ति उत्पन्न कर दी है ! सचित्र पुस्तक का मूल्य २) रु० मात्र !

केवल विवाहित स्त्री-पुरुष ही इस पुस्तक को मँगावें !

व्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Registered No. A—2085

कौन सा ऐसा शिक्षित परिवार है,

जिसमें 'चाँद' न जाता हो ?

'चाँद'-जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना—जिसने अपने जीवन में प्रथम प्रभात से ही क्रान्ति की उपासना में अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया है—निश्चय ही सद्विचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इष्ट-मित्रों को ऐसा करने की सलाह दीजिए। 'चाँद' का वार्षिक चन्दा केवल ६॥) रु० है अर्थात् आठ आने फ़ी कॉपी—ऐसी हालत में कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे—जो हज़ारों रुपए व्यय करने में भी आजकल के स्कूल और कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ? जुलाई, १९३१ की विषय-सूची इस प्रकार है :—

जुलाई, १९३१ की विषय-सूची

इसके अतिरिक्त ४ तिरङ्गे तथा रङ्गीन चित्र (आर्ट पेपर पर) अनेक चुटीले कार्टून तथा ऐसे चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो और किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहीं सकते।

'चाँद' का सम्पादकीय मण्डल

हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित और सुसञ्चालित पत्र दूसरा कौन है ?

व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Printed, Published and Edited by Bhuvneshwar Nath Misra, M. A., vice Tribeni Prasad B. A., in Jail.
At The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok—Allahabad.